लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

खंड १, १९५५

(२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र, १९५५

(खंड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

विषय—सूची

खंड १ (अंक १ से २०—२२ फरवरी से २२ मार्च, १९५५)

अंक १—मंगलवार, २२ फरवरी १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से ८, १० से १८, २१ से २७, २९, ३०, ३२ से ३४, ३६ से ४१, ४३ और ४४ . १—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५, ९, १९, २८, ३१, ३५, ४२, ४५ और ४६ से ५२ . . . . ४६—५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ८ ५५—६२

अंक २—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ९४, ११५, १३७, १२६, ५४ से ६१, ६४ से ६६, ६९ से ७२, ७४, ७६ से ७८, ८२ से ८५, ८७ से ९१, ९३ . . ६३—१०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६३, ६७, ६८, ७२, ७५, ७९ से ८१, ८६ ९२, ९५ से ११४, ११६ से १२५, १२७ से १३६, १३८ . १०९—१३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९ से ३९ . . १३९—१५८

अंक ३—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १४४, १४७, १५० से १५२, १७४, १९४, १५३, १५५, १६०, १६१, १८४, १६२ से १६५, १६९, १७१ से १७३, और १७५ से १८० . . १५९—२०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५, १४६, १४८, १४९, १५४, १५६ से १५९, १६६ से १६८, १७०, १८१ से १८३, १८५ से १९३ और १९५ से २०३ . . . . . २०४—२२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ५४ और ५६ से ५८ . . . २२३—२३४

अंक ४—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २०७, २१५, २१६, २१०, २१२, २१७, २१८, २२०, २२३ से २२६, २३०, २३२ से २३६ और २३८ से २४७ . . . २३५—२७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८, २०९, २११, २१३, २१४, २१९, २२१, २२२, २२७ से २२९, २३१, २३७, और २४८ से २८० २७८—३०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९ से ६७ . ३०५—३१०

अंक ५—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८३ से २८७, २८९, २९१, २९२, २९४, २९६ से २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३११ से ३१९, ३२३ से ३२५, ३२७ से ३३१, ३३३ और ३३४ . . . ३११—३५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८१, २८२, २८८, २९०, २९३, २९५, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०७ से ३०९, ३२० से ३२२, ३२६, ३३२ और ३३५ से ३३९ . . . . . ३६०—३७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८ से ८२ . . . ३७२—३८०

अंक ६—मंगलवार, १ मार्च, ९९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३४२, ३८४, ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५० से ३५२, ३५५, ३५६, ३५८, ३८१, ३५९, ३६०, ३६२, ३८५, ३९५, ३६३ से ३७३, ३७५, ३७७ और ३७८ . . ३८१—४२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४४, ३४६, ३४९, ३५३, ३५४, ३५७, ३६१, ३७४, ३७६, ३७९, ३८२, ३८३, २८६ से ३९४, ३९६ और ३९७ . . . . . ४२८—४३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९८ . ४३९—४४८

अंक ७—बुधवार, २ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९ से ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०८ से ४१०, ४१२ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२३, ४२५, ४२८ से ४३०, ४३२, ४३४, ४३५, ४३७ और ४४१ से ४४८ . ४४९—४९३

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर ४९३—४९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०२, ४०५, ४०७, ४११, ४१६, ४१७, ४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३१, ४३३, ४३६ ४३८ सें ४४० और ४४९ से ४५५ ४९५–५०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ से १०५ ५०९–५१४

अंक ८—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५८, ४५९, ४६१, ४६४—४७३, ४७५, ४७६ ४७८, ४७८क, ४७९, ४८०, ४८२, ४८३, ४८५, ४८९ और ४९१–४९४ . . . ५१५–५६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५६, ४५७, ४६०, ४६२, ४६३, ४७४, ४७७, ४८१, ४८६—४८८, ४९०, ४९५—५०२ और ५०४–५३४ ५६०–५९१

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६–१२८ . . . ५९१–६०८

अंक ९—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८, ५४० से ५४७, ५५०, ५५९, ५५१-क, ५५२, ५५४ से ५५६, ५६०, ५६१, ५६३, ५६४, ५६६, ५६७, ५७० से ५७३ और ५७५ से ५७८ . . . ६०९–६५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५३७, ५३९, ५४८, ५४९, ५५३, ५५७ से ५५९, ५६२, ५६५, ५६८, ५६९, ५७४, और ५७९ से ५८२ ६५२–६६२

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ६६३–६६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३९ . . ६६४–६७०

अक १०—सोमवार, ७ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ से ५९६, ५९८ से ६०१, ६०३, ६०७, ६१० से ६१५, ६१९ से ६२३, ६२५, ६२६, ६२९ से ६३३, ६३५, ६३६, ६३८, ६३९ और ६४१ . . . ६७१–७१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकिन प्रश्न संख्या ५८३, ५८४, ५९७, ६०२, ६०४ से ६०६, ६०८, ६०९, ६१६ से ६१८, ६२४, ६२७, ६२८, ६३७ और ६४० . ७१९–७२८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १५४ . . ७२८–७३६

अंक ११—गुरुवार, १० मार्च १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४५ से ६५०, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६६७, ६७२, ६७३, ६७५ से ६७७, ६७९ से ६८२, ६८६, ६८७, ६८९ से ६९१, ६९४ से ६९९, ७०२, ७०५ और ७०९ . . . . ७३७—७८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४२, ६४४, ६५१, ६५२, ६५५, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६६६, ६६८ से ६७१, ६७४, ६७८, ६८४, ६८५, ६८८, ६९२, ७००, ७०२, ७०३, ७०४, ७०६ से ७०८, ७१० से ७१७ और ७१९ से ७२९ ७८७—८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५५ से २०५ . . ८१४—८४६

अंक १२—शुक्रवार, ११ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ८४७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३५, ७३७, ७४२, ७४५, ७५०, ७५१, ७५५, ७५९, ७६१, ७६२, ७६५ से ७६७, ७६९, ७७०, ७७२ से ७७९, ७८१, ७८३, ७८५, ७८६, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९८ और ७९९ . . . ८४७—८९५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३०, ७३६, ७३८ से ७४१, ७४४, ७४६ से ७४९, ६५२ से ७५४, ७५६ से ७५८, ७६०, ७६३, ७६८, ७७१, ७८०, ७८२, ७८४, ७८७ से ७८९, ७९१, ७९५, ७९७ और ८०० ८९६—९१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६ से २२२ ९१३—९२८

अंक १३—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण . . . ९२९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०१, ८०३ से ८०५, ८०७, ८१२, ८१३, ८६०, ८१४, ८१५, ८१७, ८१९ से ८२३, ८२६, ८३१, ८३४ से ८३६, ८४५, ८३८, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६, ८४९, ८५२ और ८५४ ९२९—९७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०२, ८०६, ८०८ से ८११, ८१६, ८१८, ८२४, ८२५, ८२७ से ८३०, ८३२, ८३७, ८४१, ८४३, ८४७, ८४८, ८५०, ८५१, ८५३, ८५५, ८५७ से ८५९ और ८६१ से ८६३ . ९७३—९८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ से २४५ . . ९८९—१००४

अंक १४—सोमवार, १४ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— **स्तम्भ**

तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ८६८, ८७१ से ८७४, ८७७, ८७८, ८८१, ८८३, ८८५, ८८८, ८९१, ८९२, ८९४, ८९५, ८९७, ९००, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०७, ९१०, ९१५, ९१७, ९१८, ९२० और ९२१ . . . . . १००५—१०५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७०, ८७५, ८७६, ८७९, ८८०, ८८२, ८८४, ८८६, ८८७, ८८९, ८९०, ८९३, ८९६, ८९८, ८९९, ९०२, ९०८, ९०९, ९११ से ९१४, ९१६, ९१९ और ९२२ से ९५४ . . . . . १०५१—१०८४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २७५ . . . १०८४—११०८

अंक १५—मंगलवार, १५ मार्च, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ से ९६७, ९६९, ९७०, ९७४, ९७५, ९७७, ९७९ से ९८२, ९८४ से ९९०, ९९२ से ९९६, ९९९ से १००२ और १००४ से १०१० . . . . ११०९—११५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९६८, ९७१ से ९७३, ९७८, ९८३, ९९१, ९९७, ९९८ और १००३ . . . . . ११५६—११६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ से २९२ . . ११६१—११७०

अंक १६—बुधवार, १६ मार्च १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण ११७१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०११ से १०१८, १०२०, १०२१, १०२३ से १०२६, १०२८, १०३०, १०३४, १०३५, १०३७, १०३९, १०४२, १०४३, १०४७ से १०४९ और १०५१ से १०६३ . ११७१—१२२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२२, १०२७, १०२९, १०३१ से १०३३, १०३६, १०३८, १०४०, १०४१, १०४४ से १०४६, १०५० और १०६४ से १०८८ . . . . . १२२०—१२४४

अतारांकित प्रश्न संख्या २९३ से ३०९ . . . १२४४—१२५४

अंक १७—गुरुवार, १७ मार्च, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९ से १०९१, १०९३, १०९६ से ११००, ११०२ से ११०४, ११०९, १११५, १११६, १११८, ११२० से ११२४, ११२६, ११२८, ११२९, ११३२ से ११३४, ११३६ और ११३७ . . . . . १२५५—१२९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९२, १०९४, १०९५, ११०१, ११०५ से ११०८, १११० से १११४, १११७, १११९, ११२५, ११२७, ११३१, ११३५, ११३८ से ११६८, ११७० और ११७१ . १२९८—१३२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० से ३३६ . . . १३२४—१३४०

अंक १८—शुक्रवार १८ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १३४१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७२ से ११७८, ११८० से ११८२, ११८४ से ११८८, ११९०, ११९३, ११९४, ११९६ से १२००, १२०३, १२०५, १२०८ से १२१०, १२१२ से १२१४, १२१६, १२१८ से १२२१ और १२२४ . . . . १३४१—१३८७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३ और ४ . . . . १३८७—१३९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७९, ११८३, ११८९, ११९१, ११९२, ११९५, १२०१, १२०२, १२०४, १२०६, १२०७, १२११, १२१५, १२१७, १२२२, १२२३ और १२२५ से १२३० . . १३९१—१४०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४६ . . . १४०३—१४०८

अंक १९—सोमवार, २१ मार्च, १९५५

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण १४०९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३१, १२३३ से १२३६, १२३८, १२४१, १२४३, १२४५ से १२४७, १२५०, १२५२ से १२५९, १२६१, १२६२, १२६५, १२६६, १२६८ से १२७१, १२७४, १२७५, १२७७, १२७९ और १२८० . . . १४०९—१४५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३२, १२३७, १२३९, १२४०, १२४२, १२४४, १२४८, १२४९, १२५१, १२६०, १२६३, १२६४, १२६७, १२७२, १२७३, १२७६, १२७८, १२८१ से १२८३ और १२८५ से १२९४ . . . . . १४५६—१४७३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३७६ . . . १४७४—१४९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९६—१३००, १३०४, १३०६, १३०७, १३०९, १३१३, १३१४, १३१८, १३१९, १३२१, १३२३—१३२७, १३३०, १३३२—१३३४, १३४०—१३४३, १३४६—१३५१, १३५३, १३५५, १३५७, १३६० . . . . . १४९५—१५४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९५, १३०१—१३०३, १३०५, १३०८, १३१०—१३१२, १३१५—१३१७, १३२०, १३२२, १३२८, १३२९, १३३१, १३३८–१३३९, १३४४, १३४५, १३५२, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९, १३६१—१३६६ . . १५४३—१५६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७—४१५ . . . . १५६०—१५८६

अनुक्रमणिका . १—१२६

GIPND—NSH—6LS—27-11-56—240

लोक-सभा

शनिवार, १२ मार्च, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना : (ज़िला गोरखपुर--उत्तर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दस्तकारी

*८०१. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५४ में दस्तकारी के विकास के लिये अनेक राज्यों को ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) उक्त अवधि में दस्तकारी की चीज़ों की प्रदर्शनी के लिये अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड को कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५३**]

(ख) दस्तकारी की चीज़ों की प्रदर्शनियों के लिये अभी तक ३,८०,९७२ रुपये की धनराशि मंजूर हुई है ।

सरदार हुक्म सिंह : विवरण से मालूम होता है कि केवल सात भाग 'क' राज्यों को ही ये अनुदान मिले हैं । क्या अन्य राज्यों ने कोई ऋण अथवा अनुदान नहीं मांगे अथवा यह बात केन्द्र के निर्णय पर निर्भर थी जिससे उन राज्यों को कोई धनराशि नहीं दी गई ?

श्री कानूनगो : सम्भवतः अन्य राज्यों ने इसकी मांग नहीं की होगी या फिर जो योजनायें उन्होंने भेजी होंगी, वे अपेक्षित स्तर की नहीं थीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उन राज्यों से जिनको ये अनुदान दिये गये हैं, अनुदान देने से पूर्व कोई योजना मांगी गई थी ?

श्री कानूनगो : जी हां । अपनी अपनी योजनायें प्रस्तुत करने के लिये सारे राज्यों को परिपत्र भेजे गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : विवरण में यह दिखाया गया है कि सुलतानपुर में लट्ठे की छपाई के लिये पेप्सू के लिये २०,००० रुपये मंजूर किये गये हैं । यह सहायता किस रूप में दी गई थी । क्या यह नकदी के रूप में थी अथवा किसी अन्य रूप में ?

श्री कानूनगो : मुझे इस विशिष्ट योजना के बारे में विस्तृत रूप से मालूम नहीं है, किन्तु राज्य सरकारों द्वारा ही योजनायें भेजी जाती हैं और योजनाओं के अनुसार ही खर्च करने को इन राज्य सरकारों के लिये धन का आवंटन किया जाता है ।

सरदार हुक्म सिंह : कराची अथवा सिडनी में गुड़ियों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के

लिये गुड़ियां खरीदने के लिये कितना खर्च किया गया था ?

श्री कानूनगो : लगभग ५० रु० की एक बहुत छोटी सी धनराशि खर्च की गई ।

भारत-चीन करार

*८०३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत के सम्बन्ध में हाल में हुए भारत-चीन करार के उपबन्धों के अनुसार डाक, तार और टेलीफोनों की व्यवस्थाएं तथा विश्राम गृह चीन सरकार को सौंप दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को उनका पूरा मूल्य मिल गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). सौंपे जाने का काम शीघ्र ही समाप्त होने वाला है । मित्रता के नाते से डाक तार की व्यवस्थाएं मुफ्त सौंपी जा रही हैं । विश्राम घर और उनके सामान का मूल्य चीन सरकार दे रही है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह वस्तुएं, जो कि चीन सरकार को मुफ्त दी जा रही हैं, इनका वास्तविक मूल्य क्या है और क्या कारण है, जब कि इकरारनामे में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उनका उचित मूल्य लेकर ही वह दी जायेगी, तो अब यह विशेष उदारता दिखलाने की क्या आवश्यकता महसूस हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जुलाई, १९५४ की बाढ़ के बाद डाक और तार के अधिष्ठापनों का मूल्य अनुमानतः ३३,८१६ रु० है, और जहां तक उपकरणों सहित विश्रामगृहों का सम्बन्ध है, उनका मूल्य २,९१,९०९ रु० है । हम केवल डाक और तार के अधिष्ठापनों को ही चीन सरकार को उनके बदले में बिना कुछ मांगे हुये सौंपने का विचार कर रहे हैं । मैंने अपने उत्तर में बताया है कि उस राज्य के प्रति केवल मित्रता दिखाने के लिये ही ऐसा किया जा रहा है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो वस्तुयें दी जा रही हैं, इनके बदले में चीन सरकार ने कोई ऐसा आश्वासन दिया है कि वह तिब्बत और चीन के अन्य भागों में जाने वाले भारतीय यात्रियों या व्यापारियों को विशेष सुविधायें देगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या उसने कोई आश्वासन दिया है अथवा कोई समझौता किया है कि यह जो वस्तुयें दी जा रही हैं उनका ख्याल रखते हुये वह भारतीय व्यापारियों को विशेष सुविधायें देंगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह सौदे का सवाल नहीं है । समझौते के अनुसार, चीन सरकार ने कुछ उत्तरदायित्वों का वचन दिया है और मुझे विश्वास है कि वह उन उत्तर-दायित्वों को पूरा करेगी ।

टिन्कचर

*८०४. **श्री डाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के टिन्कचरों के आयात और निर्यात तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने के सम्बन्ध में विनियमन करने वाली एक केन्द्रीय विधि अधिनियमित करने के बारे में तब से कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब किये जाने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् । केन्द्रीय विधान मंडल में एक विधेयक के पुरःस्थापन का निश्चय कर लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

श्री डाभी : क्या मुझको इस सम्बन्ध में कोई अनुदान दिया जा सकता है कि इस विधेयक के कब तक पुरःस्थापित होने की सम्भावना है ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि अब से कभी भी ऐसा किया जा सकता है । विधेयक लगभग तैयार है और जहां तक मेरा विचार है, इसका पुरःस्थापन जल्दी ही किया जायेगा ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या टिन्कचर को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में मद्य निषेध की विधि बाधा करती है ?

श्री करमरकर : सूचना मिलने पर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा । मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में, जिस के पुरःस्थापन की संभावना शीघ्र ही है, कह रहा हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केवल बम्बई सरकार ने ही केन्द्र को ऐसे विधेयक के पुरःस्थापन के लिये लिखा है अथवा अन्य राज्यों ने भी अपनी सिफारिशें भेजी हैं ?

श्री करमरकर : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बम्बई सरकार ने हम से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की और मेरा विचार है कि आंध्र और मैसूर सरकारों से भी हम को टिप्पण प्राप्त हुए । मुझे मालूम नहीं है कि किसी अन्य सरकार ने हम से ऐसा विधान बनाने के लिये कहा है अथवा नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : टिन्कचर की उस बोतल का क्या हुआ, जो कि इस सभा के एक माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य मंत्री को यहां सौंपी थी ? उस को एक राज्य मंत्री ने तैयार किया था ।

श्री करमरकर : सौराष्ट्र, आन्ध्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी प्रस्तावित नियंत्रणों के लिये इच्छा प्रकट की है और जहां तक उस विशिष्ट बोतल का सम्बन्ध है, मैं पूर्व सूचना मिलने पर उत्तर देने से पूर्व उस को ढूंढ़ने का प्रयत्न करूंगा ।

शक्ति मद्यसार

*८०५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३-५४ की गन्ना पेरने की ऋतु में शक्ति-मद्यसार का उत्पादन गिर गया; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १९५३-५४ की गन्ना पेरने की ऋतु में शक्ति मद्यसार के उत्पादन में गिरावट का कारण यह था कि चीनी के कम उत्पादन के कारण सीरे की कमी रही ।

श्री झूलन सिंह : १९५३-५४ के ये आंकड़े पूर्व के सालों के आंकड़ों के मुकाबले में कैसे हैं ?

श्री कानूनगो : आंकड़े इस प्रकार हैं : १९५३—८२.१ लाख गैलन; १९५२—७० लाख गैलन; १९५१—५६.७ लाख गैलन ।

श्री झूलन सिंह : क्या शक्ति मद्यसार के उत्पादन में गिरावट का कारण यह था कि देश में सीरे की बहुत अधिक बर्बादी हुई ?

श्री कानूनगो : जहां तक इस विशिष्ट साल का सम्बन्ध है, मद्यसार के उत्पादन के लिये सीरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था ।

भगाये गये लोगों की बरामदगी

*८०७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में पाकिस्तान में कुल कितने अपहृत व्यक्ति फिर से प्राप्त किये गये थे; और

(ख) उन में से कितने भारत भेजे गये ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५४ में पाकिस्तान में कुल २७१ अपहृत व्यक्ति फिर से प्राप्त हुए ।

(ख) १६८ ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : पूर्व के सालों के आंकड़ों के मुकाबले में कुल आंकड़े क्या हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास पूर्व के सालों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । यदि मेरे माननीय मित्र एक प्रश्न रखेंगे, तो मैं उस का उत्तर दूंगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या पाकिस्तान में अपहृत व्यक्ति फिर से प्राप्त करने का काम बहुत धीरे चल रहा है और यदि हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हम समय समय पर पाकिस्तान सरकार से अनुरोध करते आ रहे हैं तथा उस को यह बताते आ रहे हैं कि भगाये गये लोगों को फिर से प्राप्त करने के लिये शीघ्रता से कार्य करना चाहिये ।

श्री के० सी० सोधिया : यह संस्था कब तक चलती रहेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, वर्तमान अधिनियम की अवधि मई या जून में समाप्त होगी । अतः, यदि इस को जारी रखने का इरादा है, तो यह मामला संसद् के पास जायेगा और संसद् ही यह निश्चय करेगा कि वे इस अधिनियम की अवधि बढ़ाना चाहते हैं अथवा नहीं ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार अखिल भारतीय नारी सम्मलन द्वारा पारित संकल्प से अवगत है कि इन बरामदगियों को रोक देना चाहिए ? सरकार ने उस संकल्प के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अखिल भारतीय नारी सम्मेलन द्वारा पारित कहे जाने वाले संकल्प के बारे में मैं ने प्रेस के समाचार देखे हैं । जांच करने पर यह पता चलता है कि प्रेस से जो वक्तव्य जारी हुआ था वह अधिकृत वक्तव्य नहीं था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या यह सच है कि बरामद हुए अधिकांश व्यक्ति ४० वर्ष की आयु से ऊपर के थे, नीचे के नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं । यह सूचना सही नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सरकार के पास ऐसा कोई अभिलेख है कि अपहृत व्यक्तियों में से अभी कितने फिर से प्राप्त होने हैं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : इस विषय पर सभा में समय समय पर वक्तव्य हुए हैं । उन परिस्थितियों में, जो कि उस समय प्रचलित थीं और जब कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटीं, सरकार को उन मनुष्यों की संख्या का अनुमान लगाना, जो कि बरामद हो सकते हैं, संभव नहीं है । हम सामान्यतः सूत्रों के आधार पर ही काम करते हैं; कभी कभी सूत्र भी गलत सिद्ध होते हैं और जैसे ही कोई सूत्र मिलता है, बरामदगी वस्तुतः हो जाती है । अतः किसी को भी यह कहना कठिन है, कि उन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है, जो अब भी बरामद होने हैं ।

आदर्श कारखाने और औद्योगिक सम्पदायें

*८१२. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योग बोर्ड द्वारा किये गये निश्चय के

अनुसार छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये आदर्श कारखानों और औद्योगिक सम्पत्तियों की स्थापना करना है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने कारखाने तथा औद्योगिक सम्पत्तियों की स्थापना होगी;

(ग) वहां किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जायेगा; और

(घ) यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में योजनायें तैयार करने की प्रार्थना की गई है और उन के उत्तरों की प्रतीक्षा है । उत्तर प्राप्त होने के बाद ही स्थापित किये जाने वाले इकायों की संख्या का निश्चय किया जायेगा ।

(ग) आदर्श कारखानों का मुख्य कार्य सुधरे हुए औजारों के प्रयोग का प्रदर्शन करना है । औद्योगिक सम्पत्ति का अभिप्राय छोटे उद्योगों के विकास के लिये सुविधायें प्रदान करना है ।

(घ) वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के दौरान में ।

श्री गिडवानी : ये कारखाने किन किन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे ? क्या यह प्रत्येक राज्य में स्थापित किये जायेंगे, यदि हां, तो किन किन राज्यों में ?

श्री कानूनगो : यह सब कुछ राज्यों से प्राप्त होने वाली प्रस्थापनाओं पर निर्भर है ।

श्री गिडवानी : इन कारखानों में प्रशिक्षण की कितनी क्षमता होगी ? क्या सरकार ने कोई संख्या निश्चित की है ?

श्री काननगो : जी नहीं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : वित्तीय दायित्व किस का होगा ? वित्तीय दायित्व राज्य का होगा, अथवा केन्द्र का अथवा दोनों का ?

श्री कानूनगो : प्रथमत: राज्यों पर ही यह दायित्व होगा और केन्द्र भी आदर्श रूप में कुछ की स्थापना करेगी ।

श्री गिडवानी : इन प्रस्तावित औद्योगिक सम्पत्तियों का प्रशासन किस प्रकार होगा । वे केन्द्र के अधीन रहेंगी अथवा राज्य सरकारों के ?

श्री कानूनगो : यह सब कुछ वित्तीय व्यवस्था की विशिष्ट प्रणाली पर निर्भर है, जिस का निश्चय किया जाता है । राज्य व केन्द्र की होने पर यह प्रणाली भिन्न प्रकार की होगी, केन्द्र की होने पर दूसरे प्रकार की तथा सम्पूर्णत: राज्यों की होने पर यह अन्य प्रकार की होगी ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

८१३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल की सरकार को आदेश दिया है कि वह पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के रोज़गार के सम्बन्ध में हर तरह की जानकारी एकत्र करें;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल की सरकार ने वाणिज्य मंडलों, व्यापार संस्थाओं तथा ग़ैर-सरकारी संस्थाओं से आंकड़े एकत्र किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास विस्थापित व्यक्तियों को दी गई नौकरियों का मोटा अनुमान है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां । परन्तु मैं इस का उत्तर ऐसे ही दूसरे प्रश्न के उत्तर के समय दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न की क्या संख्या है ।

श्री जे० के० भोंसले : संख्या ८६०; उस का उत्तर पर्याप्त लम्बा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन को वह प्रश्न इस प्रश्न के साथ लेने और उस का उत्तर अभी देने में कोई आपत्ति है ।

श्री जे० के० भोंसले : नहीं, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : तो वह प्रश्न संख्या ८६० का भी उत्तर अभी दे सकते हैं ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*८६०. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के संसद सदस्यों के साथ पुनर्वास मंत्रियों को सम्मेलन होने के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (१) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये अतिरिक्त भूमि के पर्याप्त अकाल वाले खंडों का अधिग्रहण तथा बेकार भूमि का उद्धार करना और सिंचाई सुविधाओं का उपबन्ध ।

भूमि को कृषि योग्य बनाने की दृष्टि से उसे प्राप्त करने के लिये राज्य सरकारें प्रयत्न कर रही हैं और आवश्यकतानसार वे सिंचाई सुविधाओं का भी उपबन्ध कर रही हैं । योजना आयोग से प्रार्थना की गई है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये वे विभिन्न विकास योजनाओं में से भूमि अलग नियत कर दें ।

(२) विस्थापित व्यक्तियों को सत्वर नियोजित करने के लिये अन्तर्कालीन व्यवस्था के रूप में तहेरपुर जैसी "समस्या बस्तियों" में विकास कार्य आरम्भ किये गये हैं । ये इन में मुख्यत: सड़कों और तालाबों आदि के लिये भूमि सम्बन्धी कार्य सम्मिलित हैं ।

(३) विस्थापित व्यक्तियों को नियोजन प्रदान करने के लिये शरणार्थी उपनगरों और नगर से सम्बद्ध बस्तियों में उद्योगों की स्थापना के लिये प्रार्थनापत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । समिति की बैठक हुई थी और उस ने अनेक प्रार्थनापत्रों पर विचार किया है ।

(४) शरणार्थी बस्तियों में सहकारिता के आधार पर गृह उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी योजनाओं का भी परीक्षण किया जा रहा है ।

(५) दो और समितियां एक विचित्र बस्तियों के विकास के लिये और दूसरी व्यावसायिक तथा शिल्पी प्रशिक्षण के लिये स्थापित की गई हैं । इन समितियों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ।

(६) गृहों में प्रशिक्षित निराश्रितों महिलाओं के नौकरी की दृष्टि से एक उत्पादन केन्द्र हुगली जिले के मयरबार में खोलने के लिये स्वीकृति दी गई है तथा वह शीघ्र कार्य आरम्भ करेगा ।

(७) ३१ दिसम्बर, १९५० के पहले बिना सूची वाले घुमक्कड़ व्यक्तियों की तीन सूचियों को इस प्रकार की बस्तियों की स्वीकृति सूची में प्रविष्ट कर लिया गया है जिन्हें नियमित रूप में प्रदान किया

जायेगा अथवा जहां रहने वाले व्यक्तियों के लिये वैकल्पिक आवास का उपबन्ध किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : चूंकि पुनर्वास समस्या राष्ट्रीय विपदा का परिणाम है और भारी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने भारत के अन्य राज्यों से इस दिशा में सम्पर्क स्थापित किया है कि रोजगार देने के कार्य में अपने अपने हिस्से की पूर्ति करे ?

श्री जे० के० भोंसले : रोजगार के लिये नहीं किन्तु पुनर्वास की दृष्टि से हमने अन्य राज्यों से सम्पर्क पैदा किया है । इस विशेष मामले में अन्दमान में विस्थापित व्यक्तियों की स्थापना के प्रश्न पर गृह मंत्रालय के सहयोग से विचार किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश में हमने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अनेक व्यक्तियों को स्थापित किया है और राज्य में अधिक भूमि प्राप्त करने के लिये मैसूर सरकार से सम्पर्क पैदा कर रहे हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा प्रश्न रोज़गार दिलाने के सम्बन्ध में है ।

श्री जे० के० भोंसले : मेरा अभिप्राय केवल रोजगार दिलाने से है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल की वाणिज्य मंडल से इस प्रकार का अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है कि वहां वर्तमान में उपस्थित व्यक्तियों में से कितने विस्थापित लिये गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : पश्चिमी बंगाल सरकार इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था कर रही है ।

श्री के० के० बसु: मैं जानना चाहता हूं क पश्चिमी बंगाल और भारत के अन्य भागों में गैर सरकारी उद्योगों या सरकारी संगठनों में नियोजित विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है ?

श्री जे० के० भोंसले : नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु १९५१ की संगणना के अनुसार यह लगभग १,३५,८२३ है । यह उन व्यक्तियों की संख्या है जो नियोजित किये जा चुके हैं ।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी

*८१४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी की स्थापना पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) उस की स्थापना के समय से वहां केबल का मासिक उत्पादन औसतन क्या है;

(ग) इस फैक्टरी में उत्पादन का अन्तिम लक्ष्य क्या है;

(घ) यह कब तक पूर्ण होगा; और

(ङ) इस सम्बन्ध में देश की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० डुबे) : (क) ३१ जनवरी, १९५५ तक १,७०,५६,००० रुपये ।

(ख) लगभग १५ मील लम्बी ।

(ग) और (घ). विद्यमान क्षमता पर आधारित प्रति वर्ष ४६९ मील सब्सक्राइबर केबल के उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति १९५६-५७ के अन्त में होने की आशा है । कुछ कारखानों में दोहरा पाली आरम्भ कर इसे ५०० मील प्रति वर्ष तक बढ़ा देने की आशा है ।

(ङ) रेलवे तथा सुरक्षा सेना आदि अन्य उपभोक्ताओं की मांगों को मिला क

कुल वार्षिक आवश्यकता लगभग ८०० मील तक हो जाने की आशा है। १९५५-५६ के लिये डाक तथा तार विभाग द्वारा अधिसूचित सब्सक्राइबर केबल की वास्तविक मांग केवल ५३६ मील के आस पास है जब कि उक्त वर्ष के लिये पहले जो भविष्यवाणी की गई थी वह अधिक थी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस फैक्टरी में कितने विदेशी शिल्पिक नियोजित किये गये हैं और क्या समाचारपत्रों का यह संवाद सत्य है कि इन में से अनेक शिल्पिकों को काम नहीं दिया गया है अथवा उन के लिये काम उपलब्ध नहीं है ?

श्री आर० जी० डुबे : फैक्टरी में कदाचित तीन विदेशी शिल्पिक काम कर रहे हैं और समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के विषय में मेरा मत है कि वह सर्वथा निराधार है ।

श्री रामचन्द्र रड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि इस फैक्टरी में प्रयुक्त की जाने वाली तांबे की मात्रा का आयात किया जाता है अथवा वह स्थानीय साधनों से उपलब्ध है ?

श्री आर० जी० डुबे : मेरा विचार है है कि वह नही उपलब्ध है ।

श्री कासलीवाल : मैं जानना चाहता हूं कि उक्त फैक्टरी में उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के सम्बन्ध में विदेशों ने कोई पूछताछ की है और यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें निर्यात करने का विचार रखती है ?

श्री आर० जी० डबे : मेरा अनुमान है कि इस प्रकार की पूछताछ नहीं की गई है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि देश में अभी भी केवल कितनी मात्रा में मंगाई जाती है और आयात किये गये केबल तथा स्वदेश में निर्मित केबल की कीमत में क्या अन्तर है ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरा विश्वास है कि फरवरी के अन्त तक हमारा उत्पादन ८६ मील की लम्बाई तक था । इस का अर्थ यह है कि वर्तमान में हम लगभग समूची मात्रा का आयात कर रहे हैं । जहां तक लागत का सम्बन्ध है सम्भरण और वितरण के महानिदेशक और डाक तथा तार से चर्चा की गई थी और यह निर्णय किया गया है कि अधिकतम कीमत आयात मूल्य निश्चित करते हुए उत्पादन लागत और ६ प्रतिशत इस का आधार रहेगा ।

सुपारी और रबड़

***८१५. श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया की सरकार की ओर से उस देश की सुपारी और रबड़ आयात करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पट्टे बनाने का उद्योग

***८१७. श्री तुषार चटर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मेसर्स जे० एच० फेनर अण्ड कम्पनी लिमिटेड को विभिन्न प्रकार के पट्टे बनाने के लिये अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति कब दी गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वदेशी पट्टा उद्योग की ओर से सरकार के समक्ष इस बात का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था कि इस प्रकार की अनुमति से देश के पट्टा उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर विचार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) २३ अप्रैल, १९५४ ।

(ग) जी हां ।

(घ) हां श्रीमान् । अभ्यावेदन पर उचित विचार किया गया था ।

श्री तुषार चटर्जी : विचार के पश्चात् क्या निर्णय किया गया है ?

श्री कानूनगो : विचार करने के पश्चात् कुछ ऐसी किस्मों के निर्माण की अनुमति का निर्णय किया गया है जो पहले निर्मित नहीं की जाती थी ।

श्री तुषार चटर्जी : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि स्वदेशी उद्योग की उत्पादन क्षमता के थोड़े से भाग का उपयोग किया जा रहा है क्या उक्त कम्पनी को कार्य संचालन की अनुमति देना स्वदेशी उद्योग के लिये बाधक नहीं है ?

श्री कानूनगो : बात यह है कि नवीन कम्पनी द्वारा जिन विशेष प्रकार की किस्मों के निर्माण की अनुमति दी गई है वे निर्मित नहीं होती थीं ।

श्री तुषार चटर्जी : वे कौन-कौन सी विशेष किस्में हैं जिन का निर्माण किया जाता है ?

श्री कानूनगो : प्लास्टिक चढ़े हुए कन्वेयर पट्टे और एलीवेटर पट्टे, मजबूत बुने हुए बालों के पट्टे और बगैर किनारी बुने हुए सूती पट्टे ।

श्री पी० सी० बोस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विदेशी कम्पनी ऊंट के बालों तथा रबड़ के पट्टे बनायेगी ?

श्री कानूनगो : मैं ने तीन प्रकार के पट्टों का उल्लेख किया है । इस में एन्डलेस बुने हुए सूती पट्टे, प्लास्टिक चढ़े हुए कन्वेयर पट्टे सम्मिलित हैं तथा एक संसाधन रबड़ कन्वेयर और रबड़ ट्रांसमिशन पट्टे और रबड़ प्लाय ट्रांसमिशन पट्टे का भी उत्पदान करेगा ।

श्री के० के० बसु : मैं जानना चाहता हूं कि उक्त कम्पनी को पट्टे निर्माण करने की अनुज्ञप्ति स्वीकार करते समय क्या स्वदेशी उद्योगों से उन पट्टों के निर्माण की क्षमता के सम्बन्ध में परामर्श किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी, हां । इस मामले से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर लिया गया है ।

प्रधान मंत्री की तेहरान यात्रा

*८१९. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तेहरान जाने के लिये आमंत्रित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन की यात्रा का क्या उद्देश्य है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). कुछ समय पूर्व भारत स्थित ईरान के राजदूत ने अपनी सरकार की ओर से प्रधान मंत्री को ईरान आने के लिये आमंत्रित किया था । राजदूत को बताया गया था कि पूर्व कार्यक्रम के कारण प्रधान मंत्री निकट भविष्य में ईरान नहीं जा सकेंगे किन्तु आशा है कि किसी अगली तिथि पर उन्हें वहां जाने का सुअवसर मिलेगा ।

प्रधान मंत्री का यह वहां जाना शिष्टता सम्बन्धी होगा और उस से दोनों देशों में सौहार्द और मैत्री में वृद्धि होने की संभावना है।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह धारणा सही है कि ईरान धीरे धीरे तुर्क-पाकिस्तान सैनिक गठबंधन की ओर प्रवृत हो रहा है और यदि हां, तो भारत सरकार इस के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि.....

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न से यह किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता है। यहां तो प्रश्न केवल प्रधान मंत्री की यात्रा से सम्बन्धित है।

रिकार्ड करने वाली चलती फिरती गाड़ियां

*८२०. **श्री इब्राहीम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भाषागत प्रदेशों में रिकार्ड करने वाली चलती फिरती गाड़ियां स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वे कब स्थापित की जायेंगी; और

(ग) क्या उक्त रिकार्ड आकाशवाणी के प्रसारण स्टेशनों से प्रसारित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) रिकार्ड करने वाली चलती फिरती २५ गाड़ियां प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है।

(ख) उन्हें प्राप्त करने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं और आ जाने पर वे कार्य आरम्भ कर देंगे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

श्री इब्राहीम : इन गाड़ियों की अनुमानित लागत क्या होगी।

डा० केसकर : उपकरण सहित संपूर्ण गाड़ी की कीमत लगभग १.७१ लाख रुपये है।

उर्वरक उत्पादन समिति

*८२१. **श्री हेडा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त स्थानों पर उर्वरक फैक्टरियां स्थापित करने की सम्भावना मालूम करने के लिये नियत की गई मुखर्जी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी दुबे) : (क) उर्वरक उत्पादन समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार द्वारा १९५५ के अप्रेल के मध्य में प्राप्त हो जाने की आशा है। किन्तु इसी बीच समिति ने एक अन्तर्कालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस में भाखड़ा नंगल क्षेत्र में अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के उत्पादन हेतु एक फैक्टरी स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

(ख) सरकार ने समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

श्री हेडा : क्या यह सच है कि प्रतिवेदन प्राप्त होने तक यह जानने के लिये कि वे स्थान इन कारखानों के लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं उन स्थानों की जांच की गई है ?

श्री आर० जी० दुबे : निस्सन्देह समिति ने विभिन्न स्थानों अर्थात् राजस्थान और दक्षिण के अन्य स्थानों में इस संभावना की जांच की है।

श्री हेडा : वे स्थान कौन से हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि इस समय कोई विस्तृत जानकारी देना लोक हित के विरुद्ध होगा।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं यह भी कह दूं कि समिति न राजस्थान हैदराबाद जैसे कई राज्यों का, जहां के माननीय

सदस्य हैं और मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन तथा सौराष्ट्र का दौरा किया है । वे उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर भी जायेंगे । उन के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री हेडा : मुझे उन स्थानों के ठीक ठीक नाम चाहियें थे, क्योंकि हैदराबाद में भी एक से अधिक स्थानों की जांच की गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : हो सकता है ।

ऊन

८२२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन की किस्म के सम्बन्ध में विदेशी आयात कर्ताओं की ओर से बहुत सी शिकायतें आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात का प्रबन्ध करने के लिए कि ऊन की एकरूप किस्म का निर्यात हो जिस से व्यापार को हानि न पहुंचे, क्या कार्यवाही की है या उस का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). हां श्रीमान् । कुछ शिकायतें मिली हैं । इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि भारत से निर्यात की गई सब ऊन एकरूप किस्म की हो और उस का उचित श्रेणीकरण हो, भारत सरकार ने सागर तट कर अधिनियम १८७८ की धारा १९ के अधीन ७ फरवरी, १९५५ से न वर्गीकृत कच्ची ऊन के निर्यात को निषिद्ध कर दिया है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : किन किन स्टेट्स से कम्पलेंट्स आई हैं और किस किस तरह की शिकायतें आई हैं ?

श्री करमरकर : बाहर वाले जो मंगाते हैं, उन से कम्पलेंट्स आई हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : किन किन स्टेट्स से आई हैं ?

श्री करमरकर : यह इनफ़ारमेशन मेरे पास अभी मौजूद नहीं है ।

सीमेंट

*८२३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सीमेंट के नये कारखानों के नाम क्या हैं जिन्हें देश के विभिन्न भागों मे निर्मित करने और विस्तृत करने का विचार है;

(ख) उन समवायों के और उन के प्रबन्ध अभिकर्ताओं के (यदि उन के प्रबन्ध अभिकरण नहीं हैं) नाम क्या हैं जिन्होंने यह निर्माण या विस्तार अपने हाथ में लिया है; और

(ग) उन के उत्पादों के उपयोग की क्या योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५४]**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस विस्तार कार्यक्रम के लिये राज्य या केन्द्रीय सरकार ने कितनी अर्थ-सहायता का, ऋण या अंशपूंजी के रूप में अंशदान दिया है ?

श्री कानूनगो : कुछ नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा सामेंट लिमिटेड की पूंजी में पर्याप्त राशि अंशदान के रूप में दी है ?

श्री कानूनगो : उड़ीसा सरकार इसे अधिक अच्छा जानती होगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि उपमंत्री ने गलत उत्तर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री हेडा : इन नये समवायों को चलाने वाले कुछ लोग विशेषत: मद संख्या ७ के समवाय वित्तीय आधार पर दृढ़ और पुराने हैं । इस पर संयंत्र चलाने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री कानूनगो: ठीक है वे लोग इस पर काम करते होंगे । अनुज्ञप्ति देने के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि में प्रगति का पता लगेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : देश में सीमेंट की कुल कितनी मांग है और इस वृद्धि से कितनी मांग पूरी हो जायेगी ?

श्री कानूनगो : कुछ वर्षों के पश्चात् कुल मांग का अनुमान ९४ लाख या लगभग १०० लाख टन है और मुझे आशा है कि इस विस्तार से आवश्यक मात्रा पूरी हो जायेगी ।

भारत में पुर्तगाली बस्तियां

*८२६. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाली सरकार ने भारत में उस की बस्तियों में स्वतन्त्रता आन्दोलन को दबाने के हेतु बनाये अपने नये विधान की सूचना भारत सरकार को दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विधान के अधीन सत्याग्रह करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को निर्वासित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). इस वर्ष के आरम्भ में पुर्तगाली सरकार ने भारत सरकार को पुर्तगाल में अधिनियमित किये गये एक नये विधान की सूचना दी थी जिस में गोआ के राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने और भारत और गोआ के सत्याग्रहियों को पकड़ कर पुर्तगाल और अन्य पुर्तगाली प्रदेशों की दण्ड स्थापनाओं में दण्ड भुगतने के हेतु भेजने का उपबन्ध किया गया है ।

(ग) भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार को एक सख्त विरोध पत्र भेजा है और उन्हें पुन: चेतावनी दी है कि भारत और गोआ के सत्याग्रहियों को बाहर भेजने के किसी भी प्रयत्न से भारत में अत्यधिक गंभीर प्रतिक्रिया होगी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या भारत सरकार को यह भी विदित हुआ है कि इस प्रस्तावित विधान में गोआ के मन्दिरों और अन्य धार्मिक सार्थों की सम्पत्ति की जब्ती का भी उपबन्ध है ?

श्री अनिल के० चन्दा : बाद में इस विषय पर और प्रश्न है ।

श्री भागवत झा आजाद: क्या उस विरोध पत्र के पश्चात् उस प्रस्तावित विधान को पारित नहीं किया गया या पुर्तगाली सरकार ने उसे पारित कर दिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं विधान को वापस नहीं लिया गया । परन्तु जहां तक हमें पता है गत एक वर्ष में किसी को गोआ से निर्वासित नहीं किया गया सिवाय डा० गेरोंडे के अन्तिम मामले के ।

श्री जोकीम आल्वा : हमारे महा वाणिज्यदूत को गोआ से निकल जाने के लिये कहा गया था और उस के उत्तर में हम ने पुर्तगाली महावाणिज्यदूत को बम्बई से चले जाने के लिये कहा था । तब कैसे कब और क्यों हमारा नया महावाणिज्यदूत गोआ भेजा गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : क्योंकि वहां हमारा महा वाणिज्य दूतावास है और उस का ठीक प्रकार से प्रबन्ध करना है

सरकारी गृह-निर्माण कारखाना

*८३१. **कुमारी एनी मैस्करीन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी गृह-निर्माण कारखाना में अभी तक कितने भांडारों का निबटारा हुआ है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : सरकारी गृह-निर्माण कारखाने में अभी तक ३५ लाख रुपये के अंकित मूल्य के अतिरिक्त भंडारों का निबटारा हुआ है ।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या इस निबटारे से सरकार को लाभ हुआ है या हानि ?

श्री आर० जी० दुबे : इस समय हानि का हिसाब लगाना संभव नहीं है ।

शिमला में निष्क्रान्त मकान

*८३४. **श्री सत्यवादी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिमला के विस्थापित लोगों द्वारा दिये गये टेंडर पर घरों के आवंटन के प्रश्न का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): शिमला के उन निष्क्रान्त मकानों में से जिन के निविदा (टेंडर) स्वीकार किये गये थे, ३७ भवनों के सम्बन्ध में निविदा (टेंडर) कर्ताओं को १ मार्च, १९५५ को अस्थायी स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया है । शेष निविदा-कर्ताओं (टेंडर्स) के मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

डा० सत्यवादी : जिन मकानों के टेन्डर ऐसे लोगों के नाम मंजूर किये गये हैं जो खुद ही उन मकानों के ऐलाटी भी हैं तो, क्या मैं जान सकता हूं कि, टेन्डर मंजूर होने के बाद जो किराया उन से लिया जा रहा है क्या वह उस टेन्डर के हिसाब में रखा जायेगा?

श्री जे० के० भोंसले: पहली मार्च से किराया नहीं लिया जायेगा, लेकिन तब तक जरूर लिया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये घर

*८३५. **श्री आइ० ईयाचरण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये घरों का निर्माण केवल राजधानी में ही हो रहा है या अन्य राज्यों में भी हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन में निर्माण कार्य हो रहा है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राजधानी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी जहां आवश्यक हो घरों का निर्माण हो रहा है । यह निर्माण कार्य प्रायः सभी राज्यों में हो रहा है ।

श्री आई० ईयाचरण: केन्द्र के लिय कितनी राशि नियत की गई है और राज्यों के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : राज्यों के लिए कुछ नियत करने की कोई व्यवस्था नहीं है । यदि माननीय सदस्य का यह अभिप्राय है कि राजधानी की तुलना में राज्यों में कितनी राशि व्यय की जा रही है, रेलवे रक्षा वित्त, डाक तथा तार और अन्य बहुत से मंत्रालयों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे पृथक् पृथक् आंकड़े अब उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इन सभी मंत्रालयों के लिये निर्माण कार्य हो रहा है ।

श्री शिवनंजप्पा : यह कहा जाता है कि मैसूर सरकार ने निम्न-वेतन के कर्मचारियों की आवास व्यवस्था योजना प्रस्तुत की है ।

कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी और कितनी सहायता की मंजूरी दी गई थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह: इस में से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । परन्तु जहां तक राज्य कर्मचारियों के लिए गृह-निर्माण में वित्तीय सहायता के हेतु केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है ऐसी कोई योजना नहीं है । निम्न वेतन वर्ग आवास व्यवस्था योजना का सामान्य रूप से लाभ भले ही उठाया जाये परन्तु केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि वह राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्माण-कार्य के हेतु आरम्भ की गई योजनाओं के लिये अर्थ सहायता दे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : करनूल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था के हेतु क्या कार्यवाही की गई है, जहां पर मकान नहीं वरन् केवल तंबू हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भी अस्थायी ढांचे खड़े कर के या घरों का अधिग्रहण कर के कुछ अस्थायी व्यवस्था कर दी थी । इस सम्बन्ध में स्थिर निश्चय हो जाने पर ही कि राजधानी कहां बनाई जायेगी कोई स्थायी निर्णय हो सकेगा ।

श्रीलंका में भारतीय

*८३६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि श्रीलंका सरकार ने भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता के लिये बहुत से प्रार्थनापत्रों को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि जिन शान्ति न्यायाधीशों के समक्ष प्रार्थियों ने शपथपत्र लिये थे उन्होंने स्वयं राजभक्ति की शपथ नहीं ली थी;

(ख) क्या यह कार्यवाही उन बातों के अनुकूल है जिन्हें अक्तूबर १९५४ में भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों ने परस्पर मान लिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) भारत सरकार को सूचना मिली है कि श्रीलंका की नागरिकता के लिए प्रार्थनापत्रों को अब भी केवल औपचारिक कारणों के आधार पर रद्द किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने अक्तूबर, १९५४ के करार को लागू करने के सम्बन्ध में इस मामले और अन्य मामलों के बारे में श्रीलंका सरकार से पत्र व्यवहार किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत सरकार को जो जानकारी मिली है जिस के सम्बन्ध में उपमंत्री ने अभी कहा है वह उस पत्र के पश्चात् मिली थी जिस की ओर उन्होंने अभी निर्देश किया है या उस से पूर्व ?

श्री अनिल के० चन्दा: यह पत्र व्यवहार आवश्यक था क्योंकि हमें यह जानकारी मिली थी कि करार को उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान् इसी विषय सम्बन्धी एक और प्रश्न, प्रश्न संख्या ८४५ है । मेरा सुझाव है कि इसे साथ ही ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उपमंत्री के लिए सुविधाजनक है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : तब वे उस का भी उत्तर दे दें ।

श्रीलंका में भारतीय

*८४५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५४ में भारत और श्रीलंका के प्रधान मंत्रियों में हुई बैठक के पश्चात् भारतीय उद्भव के लोगों की श्रीलंका की नागरिकता में पंजीबद्धता संतोषजनक रूप से हो रही है; और

(ख) अब तक कितने प्रार्थनापत्रों का निर्णय किया गया है और कितने अस्वीकृत किये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) श्रीलंका की नागरिकता के लिये प्रार्थनापत्रों की पंजीबद्धता के कार्य के सम्बन्ध में भारत सरकार संतुष्ट नहीं है ।

(ख) ३० नवम्बर, १९५४ तक क्रमानुसार ३८,७९५ और ९,६७१ ।

डा० राम सुभग सिंह : दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा अक्टूबर, १९५४ में निकाले गये संयुक्त वक्तव्य के बाद कितने राज्यहीन व्यक्तियों ने अपने आप को भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में पंजीबद्ध कराया और उन में से कितने अब तक भारत आये हैं और कितनों को लंका सरकार से दीर्घकालीन निवास आज्ञा पत्र प्राप्त करने में सफलता मिली है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह बड़ा लंबा प्रश्न है, पर मैं को सभा बता दूं कि भारतीय नागरिकता के आवेदनों के निपटारे के लिये हम ने अपने लंका स्थित उच्चायुक्त के लिये अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किये हैं । पर मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं । मेरे पास उन आवेदनों के आंकड़े हैं, जिन की लंका सरकार द्वारा उस देश की नागरिकता के लिये जांच की गई है । नवम्बर मास में--नवम्बर मास की यह अन्तिम संख्या है--केवल एक आवेदन की अनुमति दी गयी थी और आज तक कुल ९६७१ आवेदन मिले हैं । नवम्बर मास में २,९७७ आवेदन नामंजूर किये गये हैं और अब तक कुल २९,१२४ आवेदन नामंजूर किये जा चुके हैं, और अब तक कुल जितने व्यक्तियों के आवेदन अस्वीकृत किये जा चुके हैं, उन की संख्या ९७,३४४ है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को पता है कि लंका सरकार ने शिकायत की है कि उसे लंका स्थित भारत के उच्चायुक्त से सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है और सरकार ने इस आरोप का खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं ने इस बारे में एक समाचार पढ़ा है, पर लंका के प्रधान मंत्री से हमें कोई पत्र नहीं मिला है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा निकाले गये संयुक्त वक्तव्य के किसी भी अंश को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम अक्टूबर के समझौते को कार्यान्वित करने के लिये सब कुछ कर रहे हैं । भारतीय उच्चायुक्त ने उन लोगों से भारतीय नागरिक के रूप में पंजीयन के लिये आवेदन लेना शुरू कर दिया है, जिन के लंका की नागरिकता के आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं । जहां तक इस समझौते का सम्बन्ध है, हमें खेद है कि लंका सरकार अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं कर रही है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में आई है--उन्होंने आज के समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा--कि गलत वर्ण-विन्यास जैसे प्राविधिक कारणों पर ही बहुत से आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, श्रीमान् । यह बात मैं ने डा० राम सुभग सिंह के प्रश्न के उत्तर में भी बताई है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या माननीय मंत्री को पता है कि लंका के भारत स्थित उच्चायुक्त सर एडविन ने बम्बई में ८ जनवरी को यह कहा है कि बहुत से आवेदन अस्वीकृत होंगे ही और लंका सरकार भारतीयों को प्रलोभन देगी जिस से वे भारतीय नागरिकता स्वीकार कर लें ? मैं जान सकता हूं कि उन का अभिप्राय किस प्रलोभन से था और क्या लंका सरकार द्वारा कोई व्यावहारिक प्रलोभन दिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : लंका के उच्चायुक्त द्वारा बम्बई में दिया गया वक्तव्य हम ने कुछ दिन पहले पढ़ा था । लंका सरकार ने हमें अभी तक उन निदेशों के ब्यौरे नहीं बताये हैं जो उस ने नामों के गलत वर्ण-विन्यास आदि मामूली आधारों पर आवेदनों को अस्वीकृत कर देने के सम्बन्ध में पहले के नियंत्रणात्मक आदेशों को वापस लेने के बारे में दिये हों । साथ ही हमें इस के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि वे भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार का प्रलोभन देते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह बात मैं ठीक ही सोच रहा हूं कि दोनों प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन और उन के वक्तव्य से देश में लोगों को यह भरोसा सा हो चला था—मैं नहीं जानता कि सरकार के मन में वैसा भरोसा हुआ था या नहीं—कि आवेदन देने वाले व्यक्तियों में से ५० प्रतिशत पंजीबद्ध हो जायेंगे और अब ३० प्रतिशत से अधिक नहीं हो रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: जैसा मैं ने बताया, अब तक ९७,००० व्यक्तियों के लंका की नागरिकता के आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं । कुल संख्या क्या होगी, यह अनुमान हम इस समय नहीं लगा सकते ।

सरदार हुक्म सिंह : प्रतिशत क्या है.....

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे ।

ब्रिटिश वस्त्रों पर भारतीय शुल्क

*८३८. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २२ फरवरी, १९५५ को ब्रिटिश लोक सभा में प्रश्नोत्तरों की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में बताया जाता है कि श्री गैटस्केल के एक प्रश्न के उत्तर में व्यापार-बोर्ड के सभापति श्री पीटर थौर्नीक्राफ्ट ने कहा है कि उन के विचार से ब्रिटिश वस्त्र निर्यात के ऊपर भारतीय प्रशुल्क उचित न थे और भारत को उन्हें उचित सिद्ध करने में कठिनाई होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस आरोप का प्रतिवाद करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस से सम्बन्धित प्रेस-समाचारों पर सरकार का ध्यान गया है ।

(ख) सरकार का विचार है कि एक विदेशी संरकार की ससद् की कार्यवाही के बारे में कुछ कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है ।

श्री बंसल : क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश लोक सभा के इस महीने की ९ तारीख के वाद-विवाद की ओर आकर्षित किया गया है, जो लेबर दल के एक ऐसे प्रस्ताव पर था, जिस पर सरकार ने यह संशोधन रखा था कि यह उस का सर्वविदित इरादा है कि भारतीय सूती कपड़े के आयात के बारे में

आवश्यक सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाये । मैं जान सकता हूं कि क्या ये सुरक्षात्मक कार्यवाहियां सरकार को बताई गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : नहीं, श्रीमान् ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि क्या ब्रिटेन के भारत स्थित उच्चायुक्त दो-तीन दिन पहले मंत्री जी से मिले थे और यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर विचार हुआ था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक सौहार्द-भेंट थी । उच्चायुक्त प्रायः सरकार के सदस्यों से मिलते रहते हैं ।

श्री बंसल : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान ११ मार्च के स्टेट्समैन के एक मुख्य (बैनर) लाइन वाले समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में यह स्पष्ट बताया गया है कि उच्चायुक्त मंत्री जी से ब्रिटेन में भारत से सूती वस्त्रों के आयात के सम्बन्ध में मिले थे और राइट आनरेबुल लो ने भी, जब वह इस देश में आये थे, इस बारे में मंत्री जी से बात कर के इस अवसर का उपयोग किया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुख्य शीर्षक लाइन का सम्बन्ध है, मैं ने इसे देखा है ।

श्री कासलीवाल : क्या यह सच नहीं है कि लंकाशायर में भारतीय कपड़े के आयात के बारे में यह आन्दोलन इस दृष्टि से गलत और भ्रांति पूर्ण है कि वहां जाने वाले कपड़े में से अधिकांश को वहां पर फिर सुधारा (प्रोसिस किया) जाता है और उस का लंकाशायर से फिर निर्यात किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक अभिमत है, जो माननीय सदस्य रख सकते हैं । इस का अर्थ यह नहीं कि मैं भी यही अभिमत रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री बंसल : श्रीमान् यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं ने यह सुन नहीं पाया था कि श्री लो के आगमन और मंत्री जी के साथ उन की बातचीत के बारे में उन्होंने क्या उत्तर दिया था । मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी के साथ उन की लंबी बातचीत के समय क्या यह बात उठाई गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विनम्र निवेदन और सुझाव यह है कि प्रश्न स्पष्ट विषय से सम्बद्ध होना चाहिये । मेरा विचार था कि प्रश्न का सम्बन्ध मुख्य शीर्षक लाइन से था, श्री लो के आगमन से नहीं । श्री लो ने अन्य बातों के साथ इस बारे में भी बात की थी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को ब्रिटिश सरकार से कोई पत्र मिला है कि यदि प्रशुल्क इतना अधिक रखा गया तो वह भी इंगलैंड में भारतीय कपड़े के आयात पर रोक लगायेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह कहना ठीक ही होगा कि सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है ।

धोतियों का उत्पादन

*८४०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५४ में कपड़े की मिलों ने धोतियों के उत्पादन के प्रतिबन्ध के आदेशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) एक विशेष अभ्यंश से ऊपर धोतियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध एक अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क के साथ लागू कर दिया गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या पारित की गयी विधि में कोई दण्ड सम्बन्धी खण्ड भी है या नहीं ?

श्री कानूनगो : जी, हां, उच्चतर शुल्क के रूप में दण्ड है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के अधिक मामले हुए या उल्लंघनों की संख्या सामान्य रही ?

श्री कानूनगो : जैसा मैं ने बताया, उल्लंघन का प्रश्न उठता ही नहीं क्योंकि शुल्क की क्रम बद्ध दर की व्यवस्था कर दी गई है और यदि कोई आवण्टित अभ्यंश से अधिक उत्पादन करेगा तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि गत वर्ष इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया था कि कुछ मिलों पर जिन्होंने अधिक उत्पादन किया था, दण्ड सम्बन्धी खण्ड लगाये गये थे पर कोई अभियोग नहीं चलाया गया ? फिर उन से पूछा गया कि क्या अभियोग चलाया जायेगा या नहीं । उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन किया गया है ? यह कहना सही नहीं है कि विधि का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

श्री कानूनगो : स्पष्ट है कि माननीय सदस्य उस विधि के बारे में कह रहे हैं जो कुछ समय पूर्व लागू थी ।

श्री हेडा : किन किन मिलों ने कितना कितना अधिक उत्पादन किया है ?

श्री कानूनगो : ६४ मिलों ने अधिक उत्पादन किया और इकट्ठा किया गया उपकर २,३६,००० रुपये है ।

हज यात्रा

*८४२. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से हज यात्रा को जाने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी जाती हैं; और

(ख) १९५४ में इस कार्य पर कितनी राशि व्यय हुई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) हज के लिये हजाज को जाने वाले यात्रियों को चेचक और हैज़ा के टीके नगरपालिका औषधालयों और चिकित्सालयों में लगाये जाते हैं और बिना किसी शुल्क के अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं ।

हज के दिनों में हजाज़ में भारत सरकार मक्का में एक स्थायी औषधालय और जद्दा में एक अस्थायी औषधालय खोलती है । यहां हज के यात्रियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाती है । एक भारतीय चिकित्सक दल इन यात्रियों के साथ जाता है और मीना और अराफत में उन को चिकित्सा सहायता देता है । जद्दा के भारतीय दूतावास को हज के दिनों में औषधालय के प्रयोग के लिये एक एम्बुलेन्स गाड़ी दी गयी है । हजाज़ में, अभारतीय यात्रियों को भी चिकित्सा सहायता दी जाती है, पर अधिकतर भारतीय यात्री ही इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं ।

भारत सरकार यात्रियों को, हजाज़ में, खाद्यान्न, वस्त्र और कुछ आवश्यक साम न

ले जाने की अनुमति देती है । यात्रियों को भारतीय मुद्रा भी हजाज़ में ले जाने की अनुमति होती है ।

हजाज़ के यात्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्रों की आवश्यकता नहीं होती । ज़िला प्राधिकारियों या बम्बई की पत्तन हज समिति द्वारा यात्रा-पत्र उन्हें जारी किये जाते हैं ।

हजाज़ के यात्री यदि यात्री जहाज़ में डेक क्लास में यात्रा कर रहे हों और उन के पास अन्तर्राष्ट्रीय पारपत्र न हो तो उन्हें यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र या मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती ।

(ख) १९५३-५४ में बम्बई में टीका लगाने की व्यवस्था करने में कुल १९,००० रुपये व्यय हुए थे ।

१९५३-५४ में औषधालयों का सम्पूर्ण व्यय, जिस में चिकित्सा कर्मचारियों के वेतन और भते भी सम्मिलित हैं, ७०,४५५ रुपये था ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या इसी प्रकार की सुविधायें उन लोगों को भी दी जाती हैं जो अन्य देशों के तीर्थ स्थानों को जाते हैं और बनारस, अजमेर या रामेश्वरम को जाते हैं ?

श्री सादत अली खां : हज को जाने वाले यात्रियों का मामला दूसरा है क्योंकि उन की संख्या बहुत अधिक होती है और उन में से अधिकांश लोग देहातों के होते हैं, अतः उन का अधिक ध्यान रखा जाता है और उन्हें अधिक सहायता दी जाती है । अन्य पवित्र स्थानों को जाने वालों की संख्या बहुत कम होती है और उन्हें वाणिज्य दूतावास सम्बन्धी सुविधायें तो दी जाती हैं, पर खेद है कि उन्हें कोई विशेष सुविधायें नहीं दी जा सकतीं ।

श्री मुहीउद्दीन : क्या इस वर्ष हज के समय कोई चिकित्सा शिष्टमंडल भेजा जाने वाला है ?

श्री सादत अली खां : मैं बता चुका हूं कि सभी स्थानों पर चिकित्सा का प्रबन्ध किया जाता है ।

श्री इब्राहीम : क्या यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियां भी दी जाती हैं ?

श्री सादत अली खां : जी नहीं ।

संयुक्त राज्य अमरीका के औद्योगिक शिल्पिक दल

***८४४. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी १९५५, के प्रथम सप्ताह में अमरीका के दो औद्योगिक शिल्पिक दल भारत आये ;

(ख) यदि हां, तो उनके भ्रमण का क्या प्रयोजन था ; और

(ग) क्या इन दलों ने भारत-अमरीकी शिल्पिक सहयोग के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) यह दल कुछ हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों और औजार उद्योग के एककों को उनके स्थानों पर आवश्यक शिल्पिक परामर्श देंगे ।

(ग) अभी तक नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस शिल्पिक दल द्वारा विभिन्न उद्योगों को किस विशेष प्रकार का परामर्श दिया गया है या दिया जायेगा ?

श्री कानूनगो : वे इस प्रकार का परामर्श देना चाहते हैं :—

(१) बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उत्पादन के कारखानों में उत्पादन का नियंत्रण।

(२) सांख्यकीय तथा विश्लेषणात्मक दोनों के सम्बन्ध में गुण तथा प्रकार सम्बन्धी नियंत्रण।

(३) उत्पादों की विशेषता में एक-रूपता लाने के लिए दोनों स्थितियों में तथा तैयार होने पर निरीक्षण विभागों का संगठन करना और उनकी कुशलता बढ़ाना।

(४) विभिन्न प्रकार की धातुओं के सामान का विक्रय बढ़ाने के लिए उन के तैयार करने और उन पर पालिश करने के तरीकों के बारे में जानकारी देना।

(५) कच्चे माल के वृथा अंश की बर बादी में सम्भव कमी करके और उत्पादन यंत्रों की उपलब्ध क्षमता का अधिक उपयोग करके उत्पादन-मूल्य में कमी करना।

(६) अन्य किसी भी मामले के सम्बन्ध जानकारी देना।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : शिल्पिक सेवाओं को प्राप्त करने और इन परामर्श-दाताओं के सामान आदि के लिए संयुक्त राज्य ने कुल कितनी राशि आवण्टित की है ?

श्री कानूनगो : यह पूर्ण समझौते का एक भाग है। राशि बताने के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या टाटा वालों ने इस देश में रेज़र ब्लेड बनाने का काम आरम्भ करने के लिए इन विशेषज्ञों में से कुछ की सेवायें प्राप्त करने की प्रार्थना की है ?

श्री कानूनगो : इन दलों में से किसी की नहीं।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या भारत ने इन लोगों को बुलाया था या व स्वयं आये यदि बुलाया गया था तो अन्य किन किन देशों के शिल्पिक विशषज्ञों को बुलाया गया है।

श्री कानूनगो : संयुक्त राज्य अमरीका के शिल्पिक सहयोग कार्य की सम्पूर्ण योजना में भारत सरकार ने विशेष रूप से इनको बुलाया था।

श्री के० के० बसु : वे हल्के उद्योग कौन से हैं जिन पर वे विचार करेंगे और परामर्श देंगे ?

श्री कानूनगो : यह अधिकतर बिजली के पंखे, हरीकेने लालटेन और बाईसिकिलें हैं। ये तो प्रारम्भिक चीज़ें हैं। बाद में धातु को दबा कर काम में लाने का उद्योग और कुछ अन्य छोटे दो उद्योग भी सम्मिलित किए जायेंगे।

लोहे का कबाड़

*८४६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५४ से ३१ दिसम्बर, १९५४ तक निर्यात किये गये लोहे के कबाड़ का परिमाण और मूल्य क्या है ;

(ख) उक्त समय में भारत में इस्तेमाल किये गये माल का परिमाण क्या है ; और

(ग) क्या निर्यात अनुज्ञप्तियां स्वच्छन्द-तापूर्वक दी जाती हैं, या किसी प्रकार के लोहे के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १००,७४३ टन जिसका मूल्य १,४८,०९,७२८ रुपये है।

(ख) ३७१,२२५ टन।

(ग) केवल ऐसे कबाड़ के निर्यात की अनुमति दी जाती है जिसका प्रयोग देश में नहीं होता। कबाड़ के बोझों को जहाजों में लादने के पूर्व उनका परीक्षण कर लिया जाता है कि कहीं लदे हुये कबाड़ में किसी प्रतिषिद्ध प्रकार का कबाड़ तो नहीं जा रहा है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इसका अर्थ यह है कि लोहे का यह कबाड हमारे देश में काम में नहीं लाया जा सकता पर अन्य देश उसे काम में लाते हैं ?

श्री करमरकर : जी हां । माननीय सदस्य ठीक कहते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यह कबाड़ किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

श्री करमरकर : इस समय में यही कह सकता हूं कि जापान ही एक ऐसा देश है परन्तु समुचित उत्तर के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जो देश इस कबाड़ का आयात करते हैं वे इसे किन किन कामों में लाते हैं ।

श्री करमरकर : अपने शिल्पिक ज्ञान के द्वारा वे लोहे के इस कबाड़ को कच्ची सामग्री की तरह इस्तेमाल करके इससे इस्पात और लोहा बनाते हैं । हम इस सारे कबाड़ को इस प्रकार प्रयोग में नहीं ला सकते ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस लोहे के कबाड़ का निर्यात करने के पूर्व इसका उपयोग करने के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री करमरकर : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल ऐसे कबाड़ का निर्यात किया जाता है जिस का प्रयोग देश में नहीं किया जा सकता और इस दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जाता है कि ऐसा कबाड़ बाहर न भेजा जाय जिस का प्रयोग देश में किया जा सकता है ।

विस्थापितों के लिये रोज़गार

*८४९. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल के संसद्-सदस्यों के साथ पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन होने के बाद बेरोज़गार विस्थापितों को अल्पकालीन नौकरी दिलाने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) एक सरकुलर सड़क का निर्माण और ताहेरपुर बस्ती में धान कूटने की योजना का कार्य ।

श्री तुषार चटर्जी : इस से कितने लोगों को लाभ होगा ?

श्री जे० के० भोंसले : १,००० व्यक्ति सड़क निर्माण-कार्य में, और धान कूटने के काम में तीन परिवारों को ।

ब्लीचिंग पाउडर

*८५२. **श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार स्वदेशी ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में देश को स्वावलम्बी बनाने के लिये इस के उत्पादन को बढ़ाने की क्या कार्यवाही कर चुकी है अथवा करने का विचार कर रही है; तथा

(ख) कब तक उक्त पदार्थ के सम्बन्ध में स्वावलंबन प्राप्त होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (१) (क) इस उद्योग को प्रशुल्क से संरक्षण देने के उद्देश्य से आयात होने वाले ब्लीचिंग पाउडर पर मूल्यानुसार १५ प्रतिशत शुल्क लगा दिया गया है ।

(२) स्वदेशी निर्माताओं से अपने उत्पाद का स्तर सुधारने की प्रार्थना की गई है ।

(३) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन, ब्लीचिंग

पाउडर के स्थायी प्रकारों के निर्माण की दो नयी योजनाओं को अनुज्ञप्ति दी गई है ।

(ख) वर्ष १९५६-५७ के अन्त तक ब्लीचिंग पाउडर की कुल क्षमता (स्थापित तथा आयोजित) में १६,९७० टन प्रति वर्ष वृद्धि हो जाने की आशा है । आशा की जाती है कि इस से मांग का अधिकांश भाग प्राप्त हो सकेगा ।

श्री सारंगधर दास : मांग का कितना अंश इस समय विदेशों से आता है, तथा कितना यहां निर्मित किया जाता है ?

श्री कानूनगो : अधिकांश आयात किया जाता है क्योंकि यह अधिक टिकाऊ तथा अधिक स्थायी प्रकार का होता है । ब्लीचिंग पाउडर की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता ५ से ६ हज़ार टन आंकी गई है । १९५४-५५ के आठ महीनों में ४,०८८ टन आयात किया गया ।

श्री सारंगधर दास : यह देखते हुए कि स्वदेशी उद्योग को भारी संरक्षण प्राप्त है, सरकार ने यथाशीघ्र इस की किस्म को सुधारने की क्या व्यवस्था की है ?

श्री कानूनगो : उक्त प्रयोजन के निमित्त ही हम ने दो नई टुकड़ियां स्थापित की हैं जो कि अच्छी टेकनीक से अच्छा उत्पादन करेंगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार इस बात का संकेत दे सकती है कि वर्ष १९५५-५६ के दौरान ब्लीचिंग पाउडर की कितनी राशि आयात की जायेगी ?

श्री कानूनगो : पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

दस्तकारी

*८५४. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारी की चीज़ों की बिक्री में सुधार करने के उपायों पर विचार करने के लिये जनवरी के द्वितीय सप्ताह में पुरी (उड़ीसा) में अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड द्वारा कोई सम्मेलन बुलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं की बिक्री के बारे में इस सम्मेलन में क्या निश्चय किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) पुरी में हुए बिक्री सम्मेलन में पास हुए प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर प्रस्तुत की जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५५**]

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्मेलन द्वारा की गयी किन किन सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है और किन किन को कार्यान्वित कर चुकी है ?

श्री कानूनगो : अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है । अभी उस पर सोच-विचार चल रहा है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : विक्रय की सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या सरकार किसी विशेष रक़म की स्वीकृति देने की बात सोच रही है ?

श्री कानूनगो : यह जो सारी सिफारिशें हैं इन पर गौर किया जा रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड चल पूंजी के प्रश्न पर—जिस की बाज़ार में बिकने के पूर्व की अन्तरिम अवधि में दस्तकार को आवश्यकता है—के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

श्री कानूनगो : वे इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, किन्तु राज्य सरकारों के स्वीकार करने पर ही किसी सलाह पर कार्य किया जा सकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कुटीर उद्योगों के लिये ऋण सुविधायें

*८०२. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के कुटीर उद्योगों को उपलब्ध ऋण सुविधाओं में सुधार करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने किस सीमा तक अपनी शर्तों में ढील दी है;

(ख) क्या भारत के रक्षित बैंक ने भी यही मार्ग अपनाया है;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा किस हद तक ढील दी है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार भी ढील देने की इस योजना में भाग लेगी; तथा

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार से भाग लेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ग). माना जाता है कि माननीय सदस्य उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन स्वीकृत किये गये ऋणों की ओर निर्देश कर रहे हैं । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अधीन स्वीकृत किये गये ऋणों की शर्तों में ढील देने को कहा है । केन्द्रीय सरकार की सिफारिशें तथा किस सीमा तक उनमें ढील दी गई है, इन बातों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५६]** अन्य राज्यों से उत्तर आने अभी बाकी हैं ।

(ख) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५३ में एक नयी धारा १७(२) (ख ख), जोड़ने का उपबन्ध है जिसमें कुछ विशेष शर्तों पर कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन तथा बिक्री के निमित्त सहकारी बैंकों अथवा राज्य वित्त निगमों के द्वारा ऋण देने का उपबन्ध है ।

(घ) तथा (ङ) भारत सरकार ने प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित ढील देने से राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार की हुई हानि को अंशत: पूरा करने का वचन दिया है ।

बैंकाक में वाणिज्य स्थान

*८०६. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकाक के भारतीय वाणिज्य स्थान की असन्तोषजनक अवस्था के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; तथा

(ग) इस वाणिज्य स्थान में प्रतिदिन की औसत बिक्री क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी नहीं। सरकार को ज्ञात है कि वहां के दर्शन-कक्ष में उपलब्ध स्थान सन्तोषजनक नहीं है तथा हम किसी उपयुक्त इमारत की खोज में हैं ।

(ग) दर्शन-कक्ष में बिक्री की अनुमति नहीं है ।

सीमा विवाद

*८०८. **श्री डी ० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी सीमा के भारत तथा पाकिस्तान के बीच के सीमा विवाद पर अब तक क्या निर्णय हुए हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : दोनों सरकारों के बीच इन विवादों के सम्बन्ध में समझौता हो चुका है ;

(१) पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा राजशाही जिला जिसमें पूर्वी

बंगाल के विभाजन पूर्व के मालदा जिला के नवाबगंज व शिवगंज के थाने शामिल हैं : तथा

(२) दोनों देशों के बीच की सामान्य सीमा का वह भाग जो कि रेडक्लिफ पंचाट के अनुसार गंगा नदी पर उस स्थान पर पड़ता है जहां पर मत्तभंग नदी की धारा विलग होती है तथा इसी पंचाट के अनुसार सुदूर उत्तर का वह स्थान जहां यह धारा दौलत पुर और करीम गंज के थानों की सीमाओं से मिलती है।

पूर्वी सीमा के अन्य विवादों का अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

गोआ

*८०९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ की पुर्तगाली सरकार बलपूर्वक अर्थ दंड वसूल करने की नीति को अपना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मन्दिरों के कोषों को ज़ब्त किया जा रहा है तथा लोगों को चन्दा के रूप में धन देने के लिए बाध्य किया जा रहा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि कालापुर गांव के लोगों को राज्य आयात निधि के लिए १०,००० रुपए देने को बाध्य किया गया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग). प्राप्त संवादों के अनुसार गोआ के पुर्तगाली पदाधिकारियों को धन की कमी का अनुभव हो रहा है । इसलिये उन्होंने राज्य आयात निधि में स्वेच्छा से अंशदान देने के लिये गांव के लोगों, व्यापारियों, जमींदारों तथा संभवत: सभी धार्मिक संस्थाओं से प्रार्थना की है जिससे कि वे गोआ, दमन और दीव में ठहरी हुई सेना के भारी व्यय को पूरा कर सकें । समाचार मिला है कि कालापुर ग्रामवासियों ने इस निधि के लिये १०,००० रुपये प्रदान किये हैं ।

रेडियो स्टेशन

*८१०. **श्री राधा रमण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४ के दौरान कितने रेडियो स्टेशन खुले हैं ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है ;

(ग) क्या इन्दौर तथा जयपुर में रेडियो स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) अनुमानत: कब तक यह स्टेशन प्रसारण प्रारम्भ करेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५४ में कोई नया स्टेशन नहीं खोला गया । बम्बई, जालंधर, अहमदाबाद में तीन नये ५० किलोवाट के ट्रांसमीटर लगाये गये और उन्होंने प्रसारण प्रारम्भ किया । जनवरी १९५५ में राजकोट का स्टेशन खोला गया ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) से (ङ) जी हां । जयपुर व इन्दौर में स्थापना का कार्य चल रहा है, और आशा की जाती है कि अप्रैल १९५५ के अन्त से पहिले ही ये नये स्टेशन प्रसारण करना प्रारम्भ करेंगे ।

वस्त्र उद्योग में गवेषणा

*८११. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग में व्यवस्था की सर्वाधिक क्षमता प्राप्त करने के लिये सरकार का ध्यान व्यवस्था, यांत्रिक तथा अभियांत्रिक (इंजीनियरिंग) विभाग में गवेषणा के महत्व की ओर भी गया है; तथा

(ख) क्या वस्त्र उद्योग के हित में वर्तमान गवेषणा संस्थाओं से उक्त विषयों को लेने को कहा जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान संस्थायें उन मामलों से अवगत हैं ।

अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

*८१६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन पर होने वाले व्यय में हाथ बंटाने के लिये कौन कौन से देश तैयार हो गये हैं और भारत को इस सम्मेलन के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन पर होने वाले व्यय में हाथ बंटाने के लिए पांच देश तैयार हैं और उन के नाम इस प्रकार हैं :

१. बर्मा
२. श्रीलंका
३. भारत
४. इन्डोनेशिया
५. पाकिस्तान

भारत को इस सम्मेलन के लिये कितनी राशि देनी है, यह अभी तक पता नहीं ।

चाय

*८१८. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४ में भारत से वस्तुतः कुल कितनी चाय का निर्यात किया गया तथा पहले वर्ष की तुलना में चाय के निर्यात से कुल कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५७]**

सूती वस्त्र

*८२४. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलिस्तान ने भारत से किस प्रकार के सूती वस्त्रों का आयात किया;

(ख) पहिले वर्ष की तुलना में १९५४ का आयात कैसा रहा; तथा

(ग) उस में से कितने प्रतिशत आन्तरिक उपभोग के लिये है तथा कितना पुनःनिर्माण किये जाने के लिये ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क)

मोटे प्रकार का	(१) भूरी चादरें
	(२) भूरी ड्रिल
	(३) लट्ठा
	(४) भूरे रंग का सजावट का कपड़ा
मध्यम प्रकार का	(१) भूरी चादरें, लट्ठा
	(२) भूरी ड्रिल
	(३) सजाने का कपड़ा
	(४) छपी हुई छींट
महीन प्रकार का	(१) भूरी पोपलीन
	(२) भूरा लट्ठा

(ख) वर्ष १९५३ में २.०३५ करोड़ गज़ तथा उस की तुलना में वर्ष १९५४ में १२·५१९ करोड़ गज़ ।

(ग) यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दस्तकारी

*८२५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३-५४ के दौरान अमेरिका तथा कैनेडा को भारतीय इस्तशिल्प दस्तकारी की किन वस्तुओं का निर्यात किया गया; तथा

(ख) वर्ष १९५३-५४ तथा १९५४-५५ के दौरान इन देशों को निर्यात की गई दस्तकारी की वस्तुओं से केन्द्रीय कुटीर उद्योग वाणिज्यालय को कितनी आय हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५८**]

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*८२७. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५३ से, पूर्वी पाकिस्तान के चाय बागान से आये हुये १९० व्यक्ति आश्रमवाड़ी ख्वाई (त्रिपुरा) में ठहरे हुये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बार-बार आवेदन करने पर भी उन्हें पुनर्वास ऋण नहीं मिला है; तथा

(ग) यदि हां, तो उनके पुनस्संस्थापन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सीमा पर का धावा

*८२८. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ जनवरी, १९५५ को पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस ने जंगीपुर उपविभाग की सीमा पर की भारतीय पुलिस पर गोली चलाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप कोई मरा या घायल हुआ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं मरा और न घायल हुआं है ।

(ग) पूर्वी बंगाल सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के पास पाकिस्तानी पुलिस के भारतीय अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने तथा भारतीयों और भारतीय पुलिस पर गोली चलाने के विरोध में विरोध-पत्र भेजे जा चुके हैं। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने आवश्यक सुरक्षा कार्यवाही की है ।

श्रीलंका से भारतीय

*८२९. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका से अब तक कुल कितने भारतीय आ चुके हैं ;

(ख) उन्हें इस देश में दोबारा बसाने के क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितने परिवारों को सुविधायें दी गई हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १ जून १९५४ से ३१ जनवरी, १९५५ तक श्रीलंका से १६,७५२ भारतीय आ चुके हैं ।

(ख) और (ग). अब तक जो लोग आ चुके हैं, वे सरकार की सहायता के बिना सामान्य रुप में आबाद हो रहे हैं।

स्थिति का पूर्णतया ध्यान रखा जा रहा है और यदि आवश्यकता पड़ी तो उनके पुनर्वास के प्रबन्ध का प्रश्न लिया जायगा।

राजेन्द्र नगर बस्ती

*८३०. **श्री नन्द लाल शर्मा :**
बाबू राम नारायण सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने राजेन्द्र नगर के दो कमरों वाले आवास स्थानों को गिराने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मकानों में रहने वालों अथवा जिन्हें ये मकान आवंटित किये गये हैं, उन्हें वैकल्पिक स्थान अथवा प्रतिकर दिया जायगा ;

(ग) नये राजेन्द्र नगर में तीन कमरों वाले तथा दो मंजिले आवास-स्थानों का निर्धारित मूल्य क्या है;

(घ) इन मकानों की अंतिम कीमत के निर्धारण में कितना समय लगेगा; और

(ङ) किस आधार पर कीमत निर्धारित की जायेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) अन्तिम मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) लगभग एक मास।

(ङ) निर्माण का वास्तविक मूल्य।

अभ्रक

*८३२. **श्री जे० आर० मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने विदेश गये हुए हमारे वाणिज्य प्रतिनिधियों से इस बात की जांच कराई है कि भारतीय अभ्रक के मूल्यों में कमी हो जाने के तथा निर्यात की मात्रा में कमी होने के क्या कारण है; और

(ख) यदि हां, क्या प्राप्त हुए प्रतिवेदनों का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्राप्त हुए प्रतिवेदनों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५९**]

सीमा पर घटना

*८३७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन :** क्या **प्रधान मंत्री** १४ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसा कि उस में कहा गया है २२ और २३ दिसम्बर, १९५४ को पाकिस्तानी पुलिस द्वारा पूर्निया सीमा (बिहार) के निकट गोली से मार दिये गये एक भारतीय राष्ट्रजन के मामले में कोई सम्मिलित जांच की गई; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच का परिणाम क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). जी हां। दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने जांच की थी, अपनी अपनी सरकारों को प्रतिवेदन दिए हैं और सरकारें उन पर विचार कर रही हैं।

कोयला

*८४१. **श्री एस० एन० दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की खानों की वर्तमान उत्पादन स्थिति तथा भावी विकास की स्थिति का पुनरीक्षण तथा परीक्षण किया है ; और

(ख) १९५२ से १९५४ तक कोयले के उत्पादन में किस मात्रा तक कमी हुई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) कोयला उत्पादन की वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण सरकार ने किया है । कोयले की खानों के भावी विकास की नीति का अब पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) १९५२ की तुलना में १९५४ में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है । गत तीन वर्षों के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

१९५२ ३ करोड़ ६२ लाख टन ।
१९५३ ३ करोड़ ५८ लाख टन ।
१९५४ ३ करोड़ ६७ लाख टन ।

१९५४ में अब तक सबसे अधिकतम उत्पादन हुआ है ।

पंजाब में ग्राम उद्योगीकरण

*८४३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ और १९५४–५५ में पंजाब राज्य ने ग्राम-उद्योगीकरण की कितनी योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) उनमें से कितनी योजनाओं को केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया है ; और

(ग) उक्त अवधि में ऐसी योजनाओं के लिए कुल कितनी रक़म मंजूर की गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६०]**

भारी विद्युत् उपकरण जांच समिति

*८४७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन** मंत्री दिसम्बर, १९५४ के जर्नल ऑफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड ('उद्योग तथा व्यापार पत्रिका') के पृष्ठ १६७८ के हवाले में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी विद्युत् उपकरणों में के निर्माण में जांच करने वाली सरकार द्वारा नियुक्त समिति को यह कहा गया है कि वह सरकारी स्थानों में अनुपयुक्त क्षमता के उपयोग के लिए व्यौरात्मक सिफारिशें करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय सरकारी स्थापनों की कितने प्रतिशत क्षमता अनुपयुक्त है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) समिति को सरकारी स्थापनों में अनुपयुक्त क्षमता की जांच करनी थी जिससे कि यह पड़ताल की जाये कि ऐसी क्षमता के उपयोग से भारी विद्युत् उपकरणों के निर्माण की सम्भावना है या नहीं ।

(ख) अन्य बातों के साथ ही समिति ने यह प्रतिवेदन दिया है कि ऐसी कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है जिसे कि भारी विद्युत् उपकरण परियोजना के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाये ।

विज्ञापन

*८४८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि भारत में प्रादेशिक भाषाओं (वर्नाक्यलर) में प्रकाशित होने वाले ऐसे कितने दैनिक समाचार पत्र हैं, जिन की चार हजार से अधिक प्रतियां प्रति दिन बिकती हैं परन्तु जिन्हें केन्द्रीय सरकार से विज्ञापन प्राप्त नहीं होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : चार हज़ार से अधिक प्रामाणिक ग्राहक संख्या वाले प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों की पूरी संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है । यह सूचना एकत्र की जायेगी और उचित समय पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मिलों में तैयार किये गये कपड़े पर उत्पादन शुल्क

*८५०. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े पर, खादी तथा अन्य हथ करघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५३, के अधीन लगाए गए शुल्क से कुल कितनी आय हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): ६,९२,१८,००० रुपये ।

त्रिपुरा में विस्थापित परिवार

*८५१. **श्री दशरथ देव :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहुत से विस्थापित परिवारों को त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन में माणिक वलांदर तथा मथरमिया में मुसलमानों की भूमि पर बसा दिया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन भू-भागो के अधिग्रहण न करने तथा विस्थापितों को किसी अन्य सरकारी स्थान अथवा भूमि पर दोबारा बसाने का है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

मिश्र के प्रधान मंत्री का आगमन

*८५३. **श्री बी० डी० शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिश्र के प्रधान मंत्री ने भारत आने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके आगमन के लिए कोई तारीख निश्चित हो गई है; और

(ग) उनके आगमन के मुख्य कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं, किन्तु उनके आगमन की सम्भावना अप्रैल में है ।

(ग) उनके आगमन का मुख्य प्रयोजन भारत तथा मिश्र के मध्य विद्यमान सौहार्द-पूर्ण सम्बन्धों को और भी अधिक दृढ़ बनाना होगा ।

कम आय वर्ग आवास योजना

*८५५. **डा० सत्यवादी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में घोषित की गई कम आय वर्ग आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). योजना में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, किन्तु राज्य सरकारों के पास एक सिफारिश भेज दी गई है कि पहले पहल योजना को अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाये जहां आवास स्थानों की बेहद कमी है और बाद में योजना को, उपलब्ध वित्त तथा इस प्रकार प्राप्त किए गए अनुभव को दृष्टि में रखते हुए अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत किया जाये ।

कपास

*८५७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान सरकार ने भारत सरकार से अधिक रुई जापान भेजने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की अपेक्षा जापान इस वर्ष कितनी अधिक मात्रा में रुई खरीदना चाहता है ; और

(ग) जापान किस किस्म की रुई खरीदना चाहता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

महात्मा गांधी की रेडियो-जीवनी

*८५८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन ने महात्मा गांधी की की पूरी रेडियो-जीवनी तैयार करने का काम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का बी० बी० सी० को कौन सी सुविधाएं देने का विचार है ; और

(ग) क्या उनके कोई पदाधिकारी कार्यक्रम सामग्री एकत्रित करने के हेतु भारत आ गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) बी० बी० सी० वालों ने आकाश वाणी के स्टूडियोज़ की सुविधायें मांगीं । उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है ।

(ग) दो पदाधिकारी विशेषतया कार्यक्रम सामग्री एकत्र करने के लिए भारत आए हुए हैं ।

भारी विद्युत् उपकरण जांच समिति

*८५९. **श्री वी० पी० नायर** :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **उत्पादन** मंत्री दिसम्बर के "जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" ["उद्योग तथा व्यापार पत्रिका"] के पृष्ठ १६७८ कंडिका ३ के हवाले में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारी विद्युत् उपकरण के निर्माण से सम्बन्धित समिति उस उद्योग में लगे हुए श्रमिकों से भी सलाह लेगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : अपनी पड़ताल के दौरान, समिति ने विद्युत् उपकरण के निर्माताओं से पूछताछ की, किन्तु उद्योग में लगे हुए श्रमिकों से सलाह करना न तो निर्देश-पदों में ही सम्मिलित था और न उस सम्बन्ध में श्रमिकों से सलाह करना समिति ने आवश्यक समझा ।

गोआ के सत्याग्रही

*८६१. **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री एस० एन० दास :
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९५४ के पश्चात् सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने अथवा संदेह के आधार पर ही पुर्तगाल सरकार ने कितने भारतीय राष्ट्रजनों को गिरफ्तार किया ; और

(ख) क्या पुर्तगाल की जेलों में भारतीय बन्दियों के साथ पृथक् बर्ताव किया जाता है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख) शक में ग सत्याग्रह करने पर ८० भारतीय राष्ट्रजन गिरफ्तार किये गये हैं । इनमें से ५७ को १४ और १५ जनवरी, १९५५ को छोड़ दिया गया था । सरकार को जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि भारतीय और गोआ वाले दोनों प्रकार के बन्दियों के साथ पुर्तगाली जेल प्राधिकारी बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं ।

हथकरघा बुनकरों के लिये बस्तियां

*८६२. **श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा बुनकरों के लिये आवास व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की योजना कब तक चालू होगी।

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : भारत सरकार ने पहले ही येमीगनुर बुनकर सहकारी उत्पादन तथा विक्रय समिति को बुनकरों के लिये आवास बस्ती के हेतु ५०,६२५ रु० की आर्थिक सहायता दे दी है। इसी प्रकार की बस्तियों के निर्माण की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

*८६३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बताये गये मूल्य विश्व के मूल्यों की तुलना में ठीक नहीं है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि जहाजों के मालिकों ने सरकार से कहा है कि विशाकापटनम में बनाये गये जहाजों का भारतीय नौवहन समवायों द्वारा दिया जाने वाला मूल्य निश्चित करते समय केवल ब्रिटेन में प्रचलित मूल्यों की बजाये विश्व में प्रचलित मूल्यों पर विचार किया जाये ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) नहीं। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किसी विशेष जहाज़ के लिए जहाज़ मालिकों को बताया जाने वाला मूल्य लगभग उतना ही होता है जितना कि उन्हें ब्रिटेन जैसे देश से ख़रीदने पर देना पड़ता है जो कि दूसरे देश को निर्यात करने के लिये विश्व भर में सब से अधिक जहाज़ बनाता है।

(ख) जी हां।

गोआ

२२५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये वर्ष के दिन गोआ के ११ ग्राम में ३२ नागरिक तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में पकड़ गये; और

(ख) यदि हां, तो क्या झंडा फहराते हुए भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) जो हमें सूचनाएं मिली हैं उन के अनुसार नये वर्ष के पहले दिन पर दमन के कई गांव में मकानों पर और पेड़ों पर हमारे राष्ट्रीय झंडे फहराये गये थे। यह मालूम नहीं है कि इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारियां हुईं।

प्रलेख चित्र की आयु

२२६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रलेख चित्र अथवा समाचार चित्र की प्रति की अनुमानित आयु कितनी होती है;

(ख) चल चित्र विभाग के समाचार-चित्र और प्रलेख चित्र कितनी बार प्रदर्शित किये जाते हैं ।

(ग) ३५ मिलिमीटर और १६ मिलिमीटर में प्रत्येक समाचार-चित्र तथा प्रलेख चित्र की क्रमशः कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं;

(घ) एक सिनेमा से दूसरे सिनेमा में उक्त चित्रों को भेजते समय प्रति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). एक चित्र की आयु इस बात से निश्चित की जा सकती है

कि इसे कितनी बार प्रदर्शित किया जा सकता है । ३५ मिलिमीटर का प्रत्येक प्रलेख चित्र अथवा समाचार-चित्र ३०० से ३५० बार तक प्रदर्शित किया जा सकता है और १६ मिलिमीटर चित्र १५० बार ।

(ग) सिनेमाओं, विदेश में भारतीय शिष्टमंडलों, शाखा पुस्तकालयों और राज्य सरकारों को भेजने के लिये ३५ मिलिमीटर के १७३ चित्र और १६ मिलिमीटर के १२३ चित्र तैयार किये जाते हैं । मोटर गाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन करने के लिये एकीकृत प्रचार कार्यक्रम चित्रों के लिये ३५ मिलिमीटर में १९ चित्र और १६ मिलिमीटर में २९८ चित्र तैयार किये जाते हैं ।

(घ) प्रत्येक सिनेमा से आशा की जाती है कि वह चलचित्र का परीक्षण करे और यदि उस में कोई खराबी हो तो उस की सूचना चल चित्र विभाग के वितरण कार्यालय में दे । इस के अतिरिक्त वितरण इस प्रकार किया जाता है कि चलचित्र बीच बीच में परीक्षण के लिये शाखा कार्यालय में आ जाता है ।

विज्ञापन

२२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में सरकारी विज्ञापन की छपाई के रूप में अंग्रेज़ी अखबारों को तथा प्रादेशिक भाषाओं (वर्नाक्यूलर) के अखबारों को कितना कितना रुपया दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन कार्यालय ने १९५३-५४ में रेलवे को छोड़ कर—भारत सरकार के केवल प्रदर्शन विज्ञापन जारी किये । अंग्रेज़ी के पत्रों और पत्रिकाओं को दिये जाने वाले विज्ञापनों का मूल्य ४,०१,२४७ रु० तथा भारतीय भाषाओं के पत्रों और पत्रिकाओं को दिये गये विज्ञापनों का मूल्य ३,१३,८८४ रु० हुआ ।

गुड़

२२८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग अलग प्रथम ३ वर्ष में कितनी शक्कर और बूरे का निर्यात किया गया था; और

(ख) किन मुख्य देशों को इन का निर्यात किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सरकारी आंकड़ों में गुड़ और शक्कर के निर्यात को अलग अलग नहीं लिखा जाता । एक विवरण संलग्न है जिस में १९५३-५४ और १९५४-५५ (अप्रेल-दिसम्बर) के दौरान के "पामीरा और गन्ने के गुड़" के देशवार निर्यात दर्ज हैं । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६१**] । मार्च १९५३ से पूर्व "पामीरा और गन्ने के गुड़" के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते थे ।

पांडीचेरी

२२९. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पांडीचेरी के लोगों ने पुराने परिषदों के आधार पर नगरपालिका आयोग बनाने को पसन्द नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) कुछ लोगों ने परिषद् के पुराने सदस्यों को उन के पदों पर रखने का विरोध किया है । यह नहीं कहा जा सकता कि पांडीचेरी के लोगो ने इस अस्थायी प्रबन्ध का विरोध किया है ।

(ख) जून १९५५ तक परिषद् के आम निर्वाचन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

चाय

२३०. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ और १९५४-५५ में त्रिपुरा में चाय का प्रति पाउंड मूल्य क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रति पाउंड चाय के उस मूल्य की औसत दी गई है जो त्रिपुरा में कलकत्ते के स्थान पर १९५४–५५ के दौरान में नीलामियों में था । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६२**] १९५०–५१ के दौरान के मूल्य उपलब्ध नहीं हैं ।

उच्च आय वाले वर्ग की आवास योजना

२३१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन लोगों के लिये आवास योजना चलाने का विचार रखती है जिनकी आय ५०० रु० और १५०० रु० के बीच है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां, योजना के विस्तार, जिसमें यह प्रश्न भी सम्मिलित है कि क्या पात्र व्यक्तियों के लिये आय की सीमा निश्चित की जाये या नहीं, के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

देशों के प्रमुखों के दौरे

२३२. **श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी प्रमुख व्यक्तियों के नाम और संख्या क्या है जिन्होंने अप्रैल १९५२ से ३१ जनवरी, १९५५ तक भारत का दौरा किया ;

(ख) वे कितनी देर ठहरे और भारत सरकार ने उनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च किया; और

(ग) उपरोक्त काल में कितने अन्य व्यक्तियों को राज्य-अतिथियों की तरह रखा गया और प्रत्येक पर कितना खर्च किया गया ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६३**] ।

(ग) इस काल में विदेशों से बहुत से लोग भारत आये हैं । उनमें प्रधान मंत्री विदेश सरकारों के अन्य मंत्री विदेशी सरकारों के कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा सम्बन्धित संस्थाओं के लोग व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल, सदभावना प्रतिनिधिमंडल सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल और इसी प्रकार के लोग थे, समय समय पर इन प्रतिनिधि-मंडलों के बारे में जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती रही है । इन तीन वर्षों में जितने राज्य अतिथि दिल्ली आये हैं उनके बारे में सारी जानकारी एकत्र करने में बहुत परिश्रम करना पड़ेगा ।

चलचित्रों पर प्रतिबन्ध

२३३. **श्री चौधरी मुहम्मद शफ़ी** :
सरदार हुक्म सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण

रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न जानकारी हो :

(क) उन विदेशी चलचित्रों के नाम और सख्या क्या है जिन्हें १९५४ में भारत में दिखाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ;

(ख) उन भारतीय चलचित्रों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें प्रदर्शन करने के प्रमाणपत्र नहीं दिये गये ; और

(ग) उन भारतीय और विदेशी चलचित्रों की संख्या क्या है जिन्हें कुछ भाग काटने के पश्चात् प्रमाणपत्र दिये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६४]**

(ग)	भारतीय	२२५
	विदेशी	२४८

गोआ के सत्याग्रही

२३४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २६ जनवरी, १९५५ को सारे गोआ में "कोई कर नहीं होना चाहिए" सम्बन्धी प्रदर्शन द्वारा गोआ स्वतन्त्रता के दूसरे आन्दोलन में लगभग २०० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी ठीक है कि सत्याग्रहियों को पुर्तगाली और नीग्रो सैनिकों ने कोड़े मारे थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) . २६ जनवरी, १९५५ के पश्चात् शक में अथवा सत्याग्रह करने पर १४० से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की सूचना मिली है । सरकार को विदित है, यद्यपि पुर्तगाल सरकार इस बात से इनकार करती है, कि सत्याग्रहियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया और पुर्तगाल के क्षेत्र में राष्ट्रीय आन्दोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न किया गया ।

पैसेंजर फ्लैटों का दिया जाना

२३५. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मैसर्ज़ पीपल्ज़ इंजीनियरिंग और मोटर वर्क्स लिमिटेड, हावड़ा को संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक द्वारा पैसेंजर फ्लैट दिये जाने का कोई व्यादेश दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यादेश की पूर्ति के लिए निश्चित कालावधि क्या है और उसमें कितना धन लगने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संभरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशक के सब संविदाओं पर लागू होने वाली शर्तों के अनुसार, सिवाय निम्न व्यवस्था के यह आदेश दिया गया था ;

(१) भुगतान ७ क्रमों में ;

(२) इस्पात के मूल्यों में अंतर ;

(३) यदि वैध रूप से लगाया जा सकता हो तो विक्रय कर की वापसी ।

३ फ्लैट २०.४९ लाख रु० में खरीदे जाने थे ।

हथ-करघा निधि

२३६. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में विभिन्न राज्यों ने हथकरघा निधि के अनुदानों में से कितनी राशि व्यय की

स प्रकार ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : योजनाओं और उपकर निधि के प्रारम्भ से उस में से दिये गये अनुदानों में से व्यय की गई राशियों के बारे में एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६५]**

अहमदाबाद की सरदार नगर बस्ती

२३७. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५५ तक अहमदाबाद की सरदार नगर बस्ती में बनाये गये मकानों, छोटे मकानों तथा दुकानों की संख्या क्या है;

(ख) ३१ जनवरी, १९५५ को प्रत्येक वर्ग के इन में से कितने मकान और छोटे मकान तथा कितनी दुकानें खाली पड़ी थीं; **और**

(ग) उन के खाली पड़े रहने के क्या कारण थे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :

(क)

	छोटे मकान
क प्रकार	१२००
ख प्रकार	७००
ग प्रकार	२७००
दूकानें	२३२

(ख)

क प्रकार	४००
ख प्रकार	१५०
ग प्रकार	१७५
दुकानें	१९०

(ग) (१) धर्मशालाओं में तथा खाली स्थानों पर रहने वाले कुछ विस्थापित कुटुम्ब, जिन के लिये ये छोटे मकान बनाये गये थे, अभी तक इन में नहीं आये हैं ।

(२) सारे निवासियों को व्यापार हेतु अहमदाबाद जाना पड़ता है । उस उपनगर के भवन, जो कि नगर से सब से अधिक दूरी पर है, खाली हो गये हैं, क्योंकि वहां से यातायात का व्यय बहुत अधिक है ।

(३) किराया न देने पर कुछ कुटुम्बों के खिलाफ कार्यवाही की गई और वे उपनगर से चले गये हैं ।

(४) दुकानें खाली रही हैं क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों ने यह अभ्यावेदन भेजा है कि ८ रु० प्रति मास किराया अधिक है ।

गोआ स्वतन्त्रता आन्दोलन

२३८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ स्वतंत्रता आन्दोलन में भारतीय राष्ट्रजनों के भाग लेने के सम्बन्ध में, भारत सरकार ने अपने रुख में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) ऐसे कुल कितने गोआ-निवासी हैं जो इस कारण से कि वहां रहना कठिन है, भारत में आ चुके हैं; तथा

(ग) ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पुर्तगाली प्राधिकारियों ने पुर्तगाली बस्तियों से निकल जाने के लिये कहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार १,००० से अधिक गोआ-निवासी भारत में आ चुके हैं ।

(ग) लगभग ३,००० भारतीय राष्ट्रजनों को, बिना पर्याप्त समय अथवा अवसर दिये, कि वे अपने व्यापार को संभाल सकें अथवा अपनी सम्पत्ति को निपटा सकें, वहां से एकदम निकाल दिया गया ।

उल्हास नगर बस्ती

२३९. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उल्हास नगर बस्ती, बम्बई में कुल कितने व्यक्ति बसे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उस बस्ती के निवासियों के बच्चों के लिये बनाये गये स्कूल अधिक तर पुरानी टूटी फूटी बैरकों में स्थापित हैं जहां पर्याप्त प्रकाश भी नहीं आता; तथा

(ग) क्या भारत की अन्य शरणार्थी बस्तियों के समान, सरकार ने, इस बस्ती में भी प्राथमिक माध्यमिक, और उच्चतर शिक्षा के लिए स्कूलों के भवन, संभरित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ९०,१७६ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

हथ-करघा उद्योग

२४०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय हथ करघा बोर्ड की सिफ़ारिशों पर १९५४-५५ में गवेषणा तथा बिक्री के लिये विभिन्न राज्यों के लिये कितनी धन-राशि मंजूर की गयी है; तथा

(ख) राज्यों द्वारा, इस कार्य के लिये पहले ही कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है जो बताता है कि कुल कितनी धन-राशि मंजूर की गयी है और उपकर-निधि के प्रारम्भ होने के समय से ले कर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६६]**

निष्क्रान्त सम्पत्ति की वापसी

२४१. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने मुसलमान हैं, जो कि प्रधान मंत्रियों के अप्रैल १९५० वाले करार के अधीन पाकिस्तान से लौट आये हैं और जिन्होंने अपनी सम्पत्तियों के वापिस लौटाये जाने के लिये प्रार्थना की है;

(ख) इन में से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया है और कितनों को अस्वीकृत किया गया है; तथा

(ग) ऐसे कितने आवेदन कर्ता हैं जिन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ के अधीन प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मोटर कारें इत्यादि

२४२. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने कारखाने हैं जो इस समय मोटरकारों, मोटर साइकल और साइकलों का निर्माण कर रहे हैं और ये कारखाने किन किन राज्यों में स्थित हैं;

(ख) क्या भारत यहां की बनी हुई मोटरकारों, मोटर साइकलों और साइकलों का निर्यात भी करता है; तथा

(ग) यदि हां, तो किस किस देश को और कितनी कितनी संख्या में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ६७]

(ख) तथा (ग). १९५४ में भारत से निर्यात की गयी साइकलों की संख्या तथा जिन जिन देशों को भेजी गयी हैं उन देशो के नाम बताने वाला एक विवरण यहां संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६७] मोटर गाड़ियों और मोटर साइकलों के निर्यात के विषय में सरकार के पास कोई ठीक जानकारी नहीं है क्योंकि उन का अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। तो भी मोटर-गाड़ियों और मोटर साइकलों की निर्यात की गयी संख्या बहुत कम है।

गोआ

२४३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण गोआ में डा० गायटैंडे दिवस मनाया गया था;

(ख) क्या इस दिन सैकड़ों गोआ निवासियों ने सत्याग्रह किया था;

(ग) यदि हां, तो पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा कितने सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये थे;

(घ) क्या यह सच है कि इन सत्याग्रहियों को निर्दयता से पीटा गया था। और उन्हें बिना अन्न पानी के जेलों में बहुत दिनों तक रखा गया था; और

(ङ) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ). गोआ में १७ फरवरी, १९५५ को गायटैंडे दिवस मनाया गया था और उस दिन गोआ के कई स्थानों में चालीस से अधिक व्यक्तियों को सन्देह पर या सत्याग्रह करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि पुर्तगाल सरकार ने इन्कार किया है, भारत सरकार को मालूम है कि पुर्तगाली बस्तियों में राष्ट्रीय आन्दोलन को बलपूर्वक दबाने के लिये पुलिस के पास नजरबन्द सत्याग्रहियों के साथ निर्दय व्यवहार किया गया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार को कई विरोध-पत्र भेजे हैं लेकिन उन का कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

२४४. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संस्था ने, पटसन जांच आयोग के प्रतिवेदन पर, ४ दिसम्बर, १९५४ के सरकारी संकल्प में निहित इस सुझाव को मान लिया है, कि विस्थापित श्रमिकों को ऐसी मिल में लगा लिया जाये, जिन में अधिक घंटों तक काम होता रहता है; तथा

(ख) यदि हां, तो अभी तक, इस प्रकार से कितने विस्थापित श्रमिकों को लगाया जा चुका है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). भारतीय पटसन मिल संस्था के कथनानुसार कोई भी पटसन मिल बन्द नहीं हुई है। इसलिये ऐसी परिस्थितियों में मिलों के बन्द होने के कारण श्रमिकों के विस्थापित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

२४५. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन मिल संस्था ने, पटसन जांच आयोग के प्रतिवेदन पर ४ दिसम्बर, १९५४ के सरकारी

संकल्प में निहित इस सुझाव को मान लिया है कि पटसन के सामान के उत्पादन में नये नये रूपों को अपनाने के लिये अत्यधिक प्रयत्न किया जाना चाहिये; तथा

(ख) यदि हां तो कितनी सीमा तक ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् । संस्था ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह मार्किट गवेषणा के विकास कार्य तथा उत्पादन में नये नये रूपों को अपनाने के कार्य को शीघ्रतिशीघ्र प्रारम्भ कर देगी ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १, १९५५

(२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

1st Lok Sabha

नवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड १, अंक १ से १५—२१ फरवरी से १२ मार्च १९५५)

अंक १ सोमवार, २१ फरवरी, १९५५ — स्तम्भ

सदस्य द्वारा शपथग्रहण — १

राष्ट्रपति का अभिभाषण . . . — १—१०

सर्वश्री बोरकर, जमनादास मेहता, साल्वे और शारदा का निधन — १०-११

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — ११-१२

पटल पर रखे गये पत्र—

आठवें सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये विधेयकों का विवरण . . . — १२-१३

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . . . — १३-१४

सूती वस्त्र मशीनरी, कास्टिक सोडा तथा ब्लीचिंग पाउडर, मोटर गाड़ियों के स्पार्किंग प्लग, स्टीरिक एसिड तथा ओलीक एसिड, आयल प्रेशरलेम्प और रंग उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी अधिसूचनायें तथा संकल्प . . . — १४—१६

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . — १६

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १७

अत्यावश्यक पण्य अध्यादेश, १९५५ . . . . — १७

मोटर गाड़ी हैंड टायर इन्फ्लेटर उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प तथा अधिसूचना — १७-१८

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें — १८

श्री हरेकृष्ण महताब का त्यागपत्र . . — १८

अंक २—मंगलवार, २२ फरवरी, १९५५

स्थगन प्रस्ताब—

आन्ध्र में निर्वाचन . . — १९—२३

पटल पर रखे गये पत्र—

मद्रास अत्यावश्यक पदार्थ नियंत्रण तथा अधिग्रहण (अस्थायी शक्तियां) आन्ध्र संशोधन अधिनियम . . — २६

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम . — २६

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम . . — २७

प्रैस आयोग का प्रतिवेदन, भाग २ और ३ . — २७

	स्तम्भ
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—उपस्थापित—	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	२७—६७
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त	
डा० एम० एम० दास	६७—७२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	७३—७६
श्रीमती जयश्री	७६—७८
श्री वी० जी० देशपांडे	७८—८५
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	८५—८९
श्री एन० एम० लिंगम	८९—९२
श्रीमती इला पाल चौधरी	९२-९३
श्री नन्द लाल शर्मा	९३—१०२
कुमारी एनी मस्करीन	१०२—१०४
श्री एस० एन० दास	१०४—११७
श्री एस० एम० मोरे	११७—१२२

अंक ३—बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	१२३-२४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५४–५५—उपस्थापित	१२५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१२५
सभापति तालिका	१२५
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	१२५—२३०

अंक ४—गुरुवार, २४ फरवरी, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २०, २१ तथा २२	२३१-३२
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक वृत्तान्त तथा परीक्षित लेखा, १९५२–५३	२३२
प्राक्कलन समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२३२
भारत के औद्योगिक उधार तथा विनियोग निगम लिमिटेड सम्बन्धी विवरण	२३३—३५
सभा का कार्य—	
समय क्रम का नियतन	२३५—३९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव—असमाप्त	२३९—३२२

स्तम्भ

अंक ५—शुक्रवार, २५ फरवरी, १९५५

सर्वश्री आर० वी० थामस तथा ई० जॉन फिलिपोज़ का निधन . . ३२३

पटल पर रखे गये पत्र—— .

दामोदर घाटी निगम के आय व्ययक सम्बन्धी प्राक्कलन, १९५५–५६ . ३२३

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड का १-४-५३ से ३१-७-५४ तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे . . . ३२४

भारत में एक लोहे तथा इस्पात के कारखाने की स्थापना के लिये रूस के साथ क़रार का मूल-पाठ ३२४

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ३२४—२५

सभा का कार्य— . . . . ३२५—२६

राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव —स्वीकृत . ३२६–५९, ४१४—३६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . . . . ३५९—६०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये कल्याण विभाग बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . . . ३६०—८२

प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—असमाप्त . . . ३८२—४१३

अंक ६—सोमवार, २८ फरवरी, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . ४३७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

बीमा (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४३८

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . ४३८

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया— ४३८—८०

श्री एस० एस० मोरे . . ४३९—४२

श्री एम० डी० जोशी . . . ४४२—४५

श्रीमती सुचेता कृपालानी . . . . ४४५—५०

श्री बैरो . . . . . ४५०—५२

डा० कृष्णस्वामी . . . . ४५२—५६

बाबू रामनारायण सिंह . . . . ४५६—६०

श्री एन० बी० चौधरी . . . . ४६०—६४

डा० एम० एम० दास . . . ४६४—७८

	स्तम्भ
औषध (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित—	४८०—५०६
विचार करने का प्रस्ताव—	
राजकुमारी अमृत कौर	४८०—८४, ४९२—९६
श्री गिडवानी . .	४८४–८५
श्री वी० बी० गांधी	४८५–८६
श्रीमती कमलेन्दुमति शाह . . .	४८७–८८
श्रीमती इला पाल चौधरी	४८८—९०
डा० रामा राव	४९०–९१
श्री धुलेकर	४९१—९२
खण्ड १ से १७—	४९६–५०४
पारित करने का प्रस्ताव	५०४–५०६
श्री कासलीवाल	५०४–०५
सरदार ए० एस० सहगल	५०५–०६
दन्तचिकित्सक (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५०६—०८
विचार करने का प्रस्ताव—	५०६–०७
राजकुमारी अमृत कौर . . .	५०६–०७
खण्ड १ से १७	५०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	५०८
चाय पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	५०८–१०
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली के चूरे और डीकार्टी केडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—असमाप्त .	५११—१५
१९५५–५६ के लिये सामान्य आय-व्ययक—उपस्थापित .	५१५—६४
वित्त विधेयक पुरःस्थापित . . .	५६५–६६

अंक ७—मंगलवार, १ मार्च, १९५५

समिति के लिये निर्वाचन—	
राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति . .	५६७–६८
मूंगफली, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली का चूरा, डीकार्टीकेडेट बिनौले की खली इत्यादि के बारे में संकल्प—स्वीकृत .	५६८—९१
१९५४–५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें .	५९१—६४
विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित तथा पारित . .	६४३—४५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव असमाप्त . . .	६४६—६०
श्री करमरकर . . .	६४६—६६०
श्री यू० एम० त्रिवेदी	६६०

अंक ८—बुधवार, २ मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ६६१–६२
राष्ट्रपति से सन्देश ६६२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
इक्कीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६६२–६३
अत्यावश्यक पण्य विधेयक—पुरःस्थापित ६६३
१९५५–५६ के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—असमाप्त ६६३–७४०

अंक ९—गुरुवार, ३ मार्च, १९५५

१९५५-५६ के लिये रेलवे-आयव्ययक—
सामान्य चर्चा—असमाप्त ७४१–८२१, ८२२
राज्य सभा से सन्देश ८२१
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—राज्य सभा द्वारा
पारित रूप में पटल पर रखा गया . . ८२२

अंक १०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या २३ . . ८२३
अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम के अधीन अधिसूचना . ८२३–२४
सदस्य का निरोध से मुक्त किया जाना ८२४
१९५५-५६के लिये रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—समाप्त . ८२४–७५
१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—
मांग संख्या १—रेलवे बोर्ड . . . ८७५–७८–९१९–२२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
उन्नीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८७९–८०
इक्कीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ८८०–८१
खान (सशोधन) विधेयक —धारा ३३ और ५१ का सशोधन—पुरःस्था-
पित। ८८१
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—
(नये परिच्छेद ५ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . . ८८१–८२
मुफ्त, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—वापस लिया गया . ८८२–९६
श्री आर० के० चौधरी ८८२–८४
श्री बीरेन दत्त ८८४–८७

	स्तम्भ
श्री हेम राज . . .	८८७–९०
डा० सत्यवादी . . .	८९०–९२
श्री खंडूभाई देसाई . . .	८९२–९४
श्री डी० सी० शर्मा	८९४–९६
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार के लिये प्रस्ताव—	
स्थगित—	८९६
श्रीमती जयश्री . .	८९६–९८,८९९–९००
श्री पाटस्कर	९००–९०६
भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक—	
(नई धारा १५ क का रखा जाना)—विचार के लिये प्रस्ताव—असमाप्त—	९०६
श्री नम्बियार .	९०६–१४
श्री वेंकटारमन	९१४–१८
श्री टी० बी० विट्ठल राव . . .	९१८–२०
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगे—रेलवे—	९२०–२२

अंक ११—शनिवार, ५ मार्च, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच नहरी पानी का झगडा . .	९२३–२५
आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—पारित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	९२५–९३
श्री एन० सी० चटर्जी	९२५–२८
श्री पाटस्कर	९२८–३३
श्री एस० एस० मोरे	९३३–३७
श्री वी० बी० गांधी .	९३७–३९
श्री ए० एम० थामस	९३९–४१
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	९४१–४५
श्री एन० एम० लिंगम	९४५–४७
श्री वी० पी० नायर	९४७–५५
श्री तुलसीदास	९५५–५८
श्री झुनझुनवाला .	९५८–६०
श्री बंभल	९६०–६३
श्री हेडा	९६३–६८
श्री आर० के० चौधरी	९६८–७०
श्री अच्युतन	९७०–७२
श्री बोगावत	९७२–७३
श्री करमरकर	९७४–९३

	स्तम्भ
खण्ड १ से ५—पारित करने का प्रस्ताव— . .	९९३–९४, ९९५–९७
श्री करमरकर . . .	९९४, ९९६–९९७
श्री वी० पी० नायर . . .	९९४–९५
श्री सारंगधर दास . . .	९९५–९६
अत्यावश्यक पण्य विधेयक— प्रवर समिति को सौंपा गया— . .	९९८–१०११
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव— . .	९९८–१०१६
श्री करमरकर . .	९९८, ९९–१००२
श्री वेंकटरामन . . .	९९८–९९
पंडित डी० एन० तिवारी . .	१००२–१००८
श्री एस० सी० सामन्त . . .	१००८–०९
श्री राघवाचारी	१००९–१०११
श्री काज़मी	१०१३–१०१४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१०१४–१०१५
श्री अलगेशन	१०१५
सभा का कार्य	१०१२, १०१३, १०१४
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त— . .	१०१६–१०२४
श्री अलगेशन	१०१६–१०१८
श्री नम्बियार	१०१८–१०२४
अंक १२—सोमवार, ७ मार्च, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	१०२५–२६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
रेलवे —उपस्थापित . .	१०२६
१९५४-५५ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें—	
आंध्र—उपस्थापित . .	१०२६
१९५५-५६ के लिये आंध्र का आय—	
व्ययक—उपस्थापित . . .	१०२७–२८
१९५५–५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे—	
माग संख्या १—रेलवे बोर्ड	१०२७–११३६

अंक १३—गुरुवार, १० मार्च, १९५५ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

पौण्डों में दिये जाने वाले निवृत्ति वेतनों के भुगतान के बारे में दायित्व के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत तथा ब्रिटेन की सरकारों के मध्य हुआ पत्र-व्यवहार ११३७

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय छात्र-सेना निकाय की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ११३७-३८

१९५५-५६ के लिये अनुदानों की मांगें—रेलवे— ११३८-१२५६

मांग संख्या ३—विविध व्यय

मांग संख्या ४—साधारण कार्यवहन व्यय—प्रशासन

मांग संख्या ५—साधारण कार्यवहन व्यय—
मरम्मत और अनुरक्षण

मांग संख्या ६—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी

मांग संख्या ७—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन (ईंधन)

मांग सख्या ८—साधारण कार्यवहन व्यय—
संचालन कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त

मांग संख्या ९—साधारण कार्यवहन व्यय—
विविध व्यय

मांग संख्या ९क—साधारण कार्यवहन व्यय—
श्रम कल्याण

मांग संख्या १०—सरकार द्वारा संचालित गैर-सरकारी लाइनों और दूसरों को भुगतान

मांग संख्या ११—कार्यवहन व्यय—
अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १२क—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व)—श्रम कल्याण

मांग संख्या १२ ख—चालू लाइनों पर काम—
(राजस्व) श्रम कल्याण के अतिरिक्त

मांग संख्या १४—राजस्व रक्षित निधि में विनियोग

मांग संख्या १५—नई लाइनों का निर्माण—
पूंजी तथा अवक्षयण रक्षित निधि

मांग संख्या १६—चालू लाइनों पर नये काम

मांग संख्या १७—चालू लाइनों पर बदलाव के काम

मांग सख्या १८—चालू लाइनों पर काम—
विकास निधि

	स्तम्भ
मांग संख्या १९—विज़गापटम् बन्दरगाह पर पूंजी व्यय	
मांग संख्या २०—सामान्यराजस्व को देय लाभांश	
विनियोग (रेलवे) विधेयक पुरः स्थापित और पारित . .	१२५७–५८
१९५५–५६ के लिये लेखानुदान की मांगें . . .	१२५८–७२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१२७३–७४
श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) विधेयक—पारित	१२८६–९४
विचार करने का प्रस्ताव—	
डा० केसकर .	१२७४–७६
श्री एच० एन० मुकर्जी .	१२७७–८०
श्री एन० सी० चटर्जी	१२८०–८१
श्री वेंकटरामन् .	१२८१–८२
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	१२८२–८४
श्रीमती खोंगमेन	१२८४
श्री डी० सी० शर्मा	१२८४–८६
खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव—	१२९४
डा० केसकर . . .	१२९४
अंक १४—शुक्रवार, ११ मार्च, १९५५	
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१२९५
सभा का कार्य—	
आन्ध्र का आय-व्ययक	१२९६–९८
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५ और लेखानुदानों की मांगें, १९५५–५६ —आन्ध्र	१२९८–१३३८
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . .	१३३७–३९
आन्ध्र विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३३९–४०
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५४-५५—रेलवे	१३४०–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—	
पुरःस्थापित और पारित	१३४३–४६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—	
विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त—	
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१३४३–४६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
बाईसवां, प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	१३४६–४७

	स्तम्भ
प्रसारण निगम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१३४७–५६
डाक व तार के वित्त के पृथक्करण के बारे में संकल्प—वापस ले लिया गया	१३५६–८५
श्रमिकों द्वारा सामूहिक संपणन के बारे में संकल्प—असमाप्त .	१३८५–९४

अंक १५—शनिवार, १२ मार्च, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र—

३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुये अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी० लन्दन द्वारा स्वीकृत न किये गये न्यूनतम टेण्डर वाले मामलों का विवरण .	१३९५
विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण	१३९५–९६
रेलवे सामान (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपा गया.	१३९७–१४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—

पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१३९५–१४०५
श्री राघवाचारी	१४०६–०७
श्री सिंहासन सिंह	१४०७–०८
श्री आर० के० चौधरी	१४०८
श्री बर्मन	१४०८–०९
श्री मूलचन्द दूबे	१४०९–१०
श्री एस० सी० सामन्त	१४१०
सरदार हुक्म सिंह	१४१०–११
श्री बी० एन० मिश्र	१४११–१२
श्री एम० डी० जोशी . . .	१४१२
श्री अलगेशन	१४१२–२०

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक—संशोधित रूप में पारित— . . . . . | १४२१

विचार करने और प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १४२९–३०, १४४२, १४५२–५९

श्री ए० सी० गुहा . . .	१४२१–२५
श्री बंसल	१४२५–२९
श्री डाभी	१४३०–३१
श्री एस० सी० सामन्त . .	१४३१–३२
श्री धुलेकर . . .	१४३२–३३
पडित ठाकुर दास भार्गव . .	१४३३–३९
डा० रामा राव	१४३९–४०
श्री एन० राचय्या . . .	१४४०–४१
श्री सिंहसन सिंह . .	१४४१–४२

	स्तम्भ
श्री नंद लाल शर्मा	१४४२–४६
श्री सी० आर० अय्युण्णि	१४४६–४८
श्री एन० एम० लिंगम	१४४८–५२
खण्ड १ से २१ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव— . .	१४६०–६६
श्री ए० सी० गुहा	१४६६–६७
समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—समाप्त नहीं हुआ— . .	१४६७–७२
विचार करने का प्रस्ताव—	१४७४–८०
श्री ए० सी० गुहा	१४६७–७२
श्री सी० सी० शाह	१४७४–७८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१४७८–८०
प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य	१४७३–७४

लोक सभा

शनिवार, १२ मार्च, १९५५

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

पटल पर रखे गये पत्र

३१ दिसम्बर १९५४ को समाप्त हुए अर्द्ध वर्ष में आई० एस० डी०, लन्दन द्वारा अस्वीकृत किये गये न्यूनतम टेन्डर वाले मामलों का विवरण

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (**सरदार स्वर्ण सिंह**) : मैं सभा पटल पर उन मामलों के विवरण की एक प्रति रखता हूं जिनमें ३१ दिसम्बर, १९५४ को समाप्त हुए अर्द्ध वर्ष में भारतीय भांडार विभाग लन्दन ने न्यूनतम टेन्डर स्वीकार नहीं किये हैं। [देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ६८]

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दिखाने वाले विवरण

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में दिये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दिखाने वाले विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या २—लोक-सभा का आठवां सत्र । १९५४
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ७—लोक-सभा का सातवां सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३—लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८—लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ५]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २३,—लोक-सभा का चौथा सत्र १९५३,
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २८—लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संखया ३]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या २७—लोक-सभा का दूहरा सत्र, १९५२
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]

(८) अनुपूरक विवरण यंख्या २८—लोक-सभा का पहला सत्र, १९५२
[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री अलगेशन द्वारा ५ मार्च, १९५५ को प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

> रेलवे साकाद के अवैध कब्जे के अपराध के लिये दंड सम्बन्धी विधि का, जैसी कि वह अब प्रवर्तित है, सारे भारत में विस्तार करने का उपबन्ध करने वाले तगा उसके उपबन्धों का पुनः अधिनियमन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

सभा को विदित होगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिये दो घंटे का समय आवंटित किया है। इनमें ४३ मिनट पहले ही उपयोग किये जा चुके हैं और अब केवल १ घंटा १७ मिनट शेष हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि करी" १-१५ म० प० यह बिल निबटाया जायगा जब कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेमक १९५४ पर विचार किया जायगा। पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन पर भी चर्चा की जानी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव गुड़गांव) : मैंने कल संक्षेप में बताया था कि मेरे मतानुसार किन आधारों पर यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये और वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिये। आज मैं उन आधारों को अधिक स्पष्ट करूंगा।

सर्व प्रथम, जैसा कि मैं ने कल बताया था. मूल अध्यादेश १९४४ में पारित किया गया था। वह अध्यादेश आपात के परिणाम-स्वरूप सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा विधान सभा को निर्देश किये बिना ही पारित किया गया था। आपात काल में कोई विधि नहीं होती है और हमने भी अपने संविधान में अधिनियमित किया है कि आपात काल में मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी धाराओं की भी उपेक्षा की जायगी। अतः आपात के कारण, रेलवे भांडारों को इस प्रकार पूर्व-वर्तिता दी गयी कि साधारण विधि की उपेक्षा कर दी गयी और यह आपात-कालीन विधान पारित किया गया। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं होता है कि १९४४ में स्वीकार किये गये सिद्धान्त अब भी लागू किये जायें। वास्तव में कांग्रेस स्वतः इन अध्यादेशों से घृणा करती थी। पहले यह कहा जाता था कि वे विधिहीन विधियां थीं और विदेशी सरकार द्वारा लादी गई थीं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा अध्यादेश हमारी संविधि पुस्तक में अब अधिक देर रहे। मैं सभा से आग्रह करूंगा कि वह इस अध्यादेश की ओर उसी दृष्टि से देखे जैसे कि वह अन्य सभी अध्यादेश की ओर जो देश की सामान्य विधि और न्यायशास्त्र तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मान्य सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं देखती है। अतः मेरा निवेदन है कि स अध्यादेश के गुणों पर विचार किया जाये। माननीय मंत्री यह तर्क न रखें कि यह अध्यादेश गत कई वर्षों से लागू रहा है। यदि माननीय मंत्री हमें इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दें कि इस अध्यादेश के अधीन कितने मामलों का चालान किया गया और कितने मामलों में लोग निर्दोष पाये गये और वह किस प्रकार अब तक कार्यान्वित होता रहा है तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे मतानुसार यदि यह अध्यादेश जारी रखा गया तो निर्दोष छूटने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी।

इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं ने कल बताया था, यह एक विधिहीन विधि है और एक नवीन अपराध का निर्माण करता है जो देश की सामान्य विधि में नहीं आता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ११०

के अनुसार, क़ब्ज़ा मुख्य चीज़ है। यह धारा न केवल अचल सम्पत्ति वरन्, दोनों प्रकार की सम्पत्ति से सम्बन्धित है। यदि कोई वस्तु किसी के क़ब्ज़े में हो, तो उचित धारणा यह होती है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है। जब तक यह धारणा दूर न कर दी जाय तब तक यह कहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वह धारक की सम्पति नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ११० के अधीन यह कहा गया है कि चल तथा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति का कब्ज़ा ही उसके स्वामित्व के अधिकारी होने का साक्ष्य है। इस प्रकार क़ब्ज़े से स्वामित्व की धारणा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि ऐसा कब्ज़ा ठीक होता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को विधि की इस स्थिति के विषय में आपत्ति नहीं है। उनका कथन केवल यह है कि अपवादपूर्ण कठिनाई से बचने के लिये यह विधेयक बनाया गया है। यह नियम के लिये एक अपवाद है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कल आपने कहा था कि डाक-तार विभाग के सम्बन्ध में हमने ऐसा ही मिलता जुलता विधान पारित किया है। मैं ने भी कल इस विधान के सिद्धान्तों को स्वीकार किया था और इस विधान का समर्थन किया था। आज भी मैं प्रभारी माननीय मंत्री को उस आधार पर तर्क करने की छूट देता हूं। किन्तु जैसा कि आपने कल बताया था कि रेलवे भांडार की अनेक वस्तुयें बेची जाती हैं और रेलवे उसी बाजार से अनेक चीजें खरीदती है जिससे कि सामान्य जनता भी खरीदती है। चीजें बेचने के बाद, रेलवे द्वारा खरीदी वस्तुयें खुले बाजार में जाती हैं। तब पहचान का प्रश्न उपस्थित होता है। आप जानते हैं कि अनेक निर्णयों में यह कहा गया है कि साधारण चीजें जैसे खाना, कपड़ा आदि पहचानी नहीं जा सकती हैं। जब तक यह पहचान निश्चित न हो जाये कि वह रेलवे सम्पत्ति है तब तक किस प्रकार किसी को दण्ड दिया जा सकता है? कहा गया है कि "यदि विश्वास के लिये उचित आधार हों", तो मैं पूछता हूं कि वे कौन से आधार हैं? यदि किसी वस्तु पर मेरा क़ब्जा है तो मैं धारा ११० के अधीन यह कहने का हक़दार हूं कि मैं उस सम्पत्ति का स्वामी हूं न कि रेलवे। किन्तु रेलवे क्या करेगी? उचित धारणा क्या है? जैसा कि मैं ने कल बताया था, यदि रेलवे के अपने कारखाने हों और उसके अपने चिन्ह हों और वह उस सम्पत्ति को बेचती न हो, तो मैं समझ सकता हूं कि रेलवे सम्पत्ति पर वह चिह्न होंगे। यदि वह उस सम्पत्ति के बारे में विधि बनाना चाहते हों, तो मेरा पूर्ण समर्थन है किन्तु वह इस प्रकार की विधि से भिन्न होनी चाहिये कि प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति, जहां कहीं भी वह पायी जायगी, रेलवे सम्पत्ति समझी जायगी और उसके धारक का क़ब्ज़ा उस समय तक अवैध क़ब्जा समझा जायगा जब तक कि वह अपने क़ब्जे का औचित्य सिद्ध न करे। यह तो दांडिक विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। धारायें ३७९ और ४११ बेईमानी से ली हुई सम्पत्ति के अवध क़ब्ज़े का विवेचन करती हैं। यह मान लेने पर कि किसी व्यक्ति का अवैध क़ब्ज़ा है, बेईमानी का प्रश्न ही नहीं आता है। तब अपराधी मन का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। किन्तु अवैध क़ब्जा क्या है? यदि रेलवे कहती है कि वह उसकी सम्पत्ति है और न्यायालयों के पास इस विश्वास के लिये वह उसकी सम्पत्ति है, उचित आधार हों, तो वह कब्ज़ा अवैध हो जाता है। क़ब्ज़ा इस प्रकार अवैध नहीं हो सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यदि आप धारा को पढ़ें, तो यह दिखायी देगा कि रेलवे को भी यह सिद्ध नहीं करना है कि वह सम्पत्ति रेलवे की ही है। वर्तमान नियम यह है कि यदि किसी सम्पत्ति पर मेरा क़ब्ज़ा हो, तो मुझे उस सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है और विधि यह धारणा कर लेती है कि मैं उस सम्पत्ति का स्वामी हूं। अतः रेलवे यह दावा नहीं कर सकती है कि वह सम्पत्ति उसकी है जब तक कि वह उसे अपनी सिद्ध न कर दे। किन्तु रेलवे को यह भी सिद्ध करना नहीं पड़ता है। रेलवे के मामले में यह कैसे मान लिया जा सकता है कि किसी के क़ब्जे में पायी गयी सम्पत्ति रेलवे की ही है ? यह विधि इस प्रकार कार्यान्वित की जायगी कि लोग पीड़ित किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वारण्ट वाले मामले में भी अभियोग लगाने के पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। यहां यह है कि उस तिथि को जब कि सम्पत्ति पकड़ी गयी हो, "यह विश्वास करने के लिये उचित आधार ो ....." । क्या इस खण्ड के अधीन यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि उस तिथि तक वह वस्तु रेलवे की थी ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नहीं, उसे सिद्ध करना नहीं है। साधारणतया प्रत्येक मामले में व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है कि चुरायी गयी या दूसरे के अवैध क़ब्जे में पायी गयी सम्पत्ति उसकी सम्पत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय: यही उसे भी सिद्ध करना होता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, स्वामित्व का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। साधारणतया, उचित आधार क्या हैं ? पुरानी सम्पत्ति भी होती है जो बिक्री से खरीद की हुई होती है। २० वर्ष पुरानी और १० वर्ष पुरानी सम्पत्ति में भेद किस प्रकार किया जायगा ? उदारहण के लिये, आप यह किस प्रकार कहेंगे कि किसी विशिष्ट कम्पनी या ठेकेदार से खरीदा बल्ब उस बल्ब से भिन्न है जो उन्होंने भी वहीं से ख ीदा है ? फिर भी रेलवे कह सकती है कि वह सम्पत्ति हमारी है। यही वर्तमान विधि है। यदि मेरे पास कोई ५० वर्ष पुरानी सम्पत्ति पायी जाये, तो वे इस विधि के अनुसार मुझे उस सम्पत्ति का हवाला देने को कह सकते हैं। यदि हम उसका हवाला न दे सकें तो हमें पांच साल के लिये जेल भेज दिया जायगा।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अल्गेशन) : अध्यादेश १९४४ में जारी किया गया था। इस कथन में कोई तथ्य नहीं है कि ५० वर्ष पहले की संपति इस विधि के आधीन लायी जायगी। माननीय सदस्य अनावश्यक ही बढ़ा चढ़ा कर कह रह हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह क्रियाशील भाग को फिर से पढ़ें और तब हमें गलती बतायें। १९४४ का प्रश्न कहां आता है ? मान लीजिये कि यह सिद्ध हो जाय कि १९४० में या उसके पूर्व कोई रेलवे सम्पत्ति मेरे कब्ज म थी, तो इस धारा के शब्दों के अनुसार मुझे जेल भेज दिया जायगा। अतः मेरा निवेदन है कि वह इस धारा के साधारण अर्थ पर विचार करें। यह बात बहुत भद्दी लगती है कि यदि किसी व्यक्ति का कि ी वस्तु पर १९४४ के पहले भी क़ब्ज़ा हो, तो भी उसे उसके लिये न्यायालय के समक्ष लाया जाये। किन्तु धारा में ऐसी ही

है !

श्री अलगेशन : अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भूतलक्षी प्रभाव का कोई प्रश्न नहीं है । यहां हमें शब्दों के अनुसार चलना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : भूतलक्षी प्रभाव का कोई प्रश्न नहीं है । विधेयक के पारित हो जाने के बाद, यदि रेलवे सम्पत्ति किसी व्यक्ति के क़ब्ज़ में पायी गयी, चाहे वह क़ब्ज़ा अधिनियम पारित होने के पूर्व ही उसे क्यों न प्राप्त हुआ हो, तो वह अधिनियम उस पर लागू होगा । यह भूतलक्षी प्रभाव का प्रश्न नहीं है । किन्तु मैं माननीय सदस्य से पूछता हूं कि क्या रेलवे प्रशासन अथवा अभियोक्ता के लिये यह दिखाना अनिवार्य नहीं है कि अभियोग के दिन तक वह रेलवे की सम्पत्ति रही है। न्यायालय कहता है कि "ऐसी वस्तु रेलवे की सम्पत्ति होने अथवा रहने के सम्बन्ध में विश्वास करने के उचित आधार हों" । अतः स्थानान्तरण तथा विक्रय सम्बन्धी सभी सम्भावनायें समाप्त हो जानी चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : शब्द हैं "है अथवा रहा है" । अतः दोनों मामलों पर विचार किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: जहां तक "है" का सम्बन्ध है, क्या रेलवे प्रशासन के लिये यह कहना अनिवार्य नहीं है कि वह सम्पत्ति किसी समय रेलवे की थी और वह अब भी रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : रेलवे प्रशासन के लिये यह कहना अनिवार्य नहीं है कि वह स्वामी रहा है और उसका क़ब्ज़ा अभी जारी है ।

उपाध्यक्ष महोदय: पहली चीज़ यह है कि रेलवे प्रशासन को यह सिद्ध करना होगा कि किसी समय वह उसकी सम्पत्ति थी । दूसरी चीज़ यह है कि रेलवे प्रशासन ने उसे बेचा नहीं है और अब भी वह उसकी सम्पत्ति है । क़ब्ज़ा अवश्य ही ले लिया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह यह किस समय सिद्ध करेगा ? जिस समय कि सम्पत्ति मेरे क़ब्ज़े में पायी गयी, उसे यह दिखाना होगा कि वह उसके क़ब्ज़े में थी । उसे यह दिखाना होगा कि एक समय वह उसकी सम्पत्ति थी अथवा उसके क़ब्ज़े में थी और वह पर्याप्त होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे उचित आधार नहीं समझा जायगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि सम्पति का क़ब्ज़ा उचित आधार नहीं है, तो फिर उचित आधार है क्या ? रजिस्टरों से भी यह मालूम हो जायगा कि किसी विशेष प्रकार की सम्पत्ति उसके क़ब्ज़े में थी, अन्यथा सम्पत्ति की पहचान करना उसके लिये असम्भव होगा और उन सभी मामलों में पहचान सब से आवश्यक चीज़ है । यहां केवल वे चीज़ें ही आ सकती हैं जिन्हें अन्तिम रूप से रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति घोषित कर दिया गया है ; यह एक अन्यायपूर्ण विधि है और उसे कार्यान्वित करना असम्भव है ।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरि दक्षिण) : "रेलवे भांडार" की परिभाषा में यह कहा गया है कि रेलवे के निर्माण, कार्य संचालन अथवा देखरेख के लिये उपयोग की हुई अथवा उपयोग की जाने वाली कोई वस्तु उसके अन्तर्गत आती है । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने खाद्यान्न के उदाहरण का उल्लेख किया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे आशंका है कि उसमें खाद्यान्न जैसी वस्तुयें भी सम्मिलित हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सम्पत्ति रेलवे भांडार नहीं है। यदि मेरे मित्र यह कहें कि 'सम्मिलित' शब्द में ये वस्तुयें नहीं आती हैं, तो मैं उनसे स्पष्टीकरण के लिये कहूंगा। मेरे विचार से वह रेलवे द्वारा उपयोग किये गये हज़ारों भांडारों में से प्रत्येक के लिये लागू होगा। हम रेलवे का पक्ष ले कर देश की सम्पूर्ण विधि को बदलने जा रहे हैं और सरकार के विभाग आपस में संघर्ष करने जा रहे हैं। उसकी कई सम्पत्तियां एक समान हैं, और मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उनमें किस प्रकार विभेद किया जा सकता है।

यह एक ऐसा विशेष विधान बनाया जा रहा है जो देश की सामान्य विधि के विरुद्ध है। आप प्रमाण का भार अभियुक्त पर रखना चाहते हैं और वह भी करोड़ों रुपये की ऐसी सम्पत्ति के बारे में जिस की किसी प्रकार से पहचान नहीं की जा सकती है। साक्ष्य विधि की धारा ११४ के दृष्टान्त (क) के अनुसार यदि चोरी किया हुआ माल एक बैल हो तो दो साल बीत जाने पर यह चोरी किया हुआ नहीं माना जायेगा और यदि एक घड़ी हो तो एक मास बीत जाने पर विधि की दृष्टि से यह बात पहले ही मान नहीं ली जायेगी कि यह चोरी का माल है। परन्तु इसके अनुसार तो हमेशा यह मान कर चला जायेगा कि यह रेलवे की सम्पत्ति है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार ऐसी विधि को सारे भारत में लागू करना चाहती है। यदि ऐसा करना ही है तो चाहिये यह कि प्रवर समिति द्वारा इस बात की भली प्रकार जांच करा ली जाये। वही लोग पहले सम्पत्ति को बेचते है और जब हम खरीद लेते हैं तो हम से सवाल किया जाता है कि तुमने यह वस्तुयें क्यों खरीदीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : माननीय मंत्री ने यही तर्क पेश किया है कि यह अधिनियम वैसे भी अध्यादेशों द्वारा भारत में लागू रहा है। वास्तव में हमें इसके सम्बन्ध में विचार करने का अवसर अभी ही मिला है और हम सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि वर्तमान विधि भी मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इस खण्ड विशेष की भाषा बहुत आपत्तिजनक है जैसा कि हमारे मित्र ने कहा है। अपराध कब किया गया था या अभियोग कब आरम्भ हुआ इन बातों का कोई विचार नहीं किया गया है। मान लीजिये वह लोहे की रेल का कोई टुकड़ा है। बहुत वर्ष पहले वह रेलवे प्रशासन की सम्पत्ति रहा होगा। इस बात से कि यह अधिनियम १९४४ में लागू किया गया कोई सहायता नहीं मिलेगी।

रेलवे कम्पनी स्वयं अपना माल बेचती है और हर वस्तु में किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं होती है और न उसकी लम्बाई इत्यादि के ब्यौरे ही रखे जाते हैं। रेलवे से क्रय करने वाले उन को टुकड़े टुकड़े कर के बाज़ार में बेचते रहते हैं। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर आग्रह नहीं करता है कि उसको कोई खरीद का पर्चा दिया जाये जिस में इस प्रकार के ब्यौरे दिये गये हों। तब कोई यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि किस प्रकार विधिवत् उस को वह सम्पत्ति मिली है ?

विधेयक के नाम में "अवैध क़ब्ज़ा" शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर भी "अवैध क़ब्ज़ा" प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है। उसके स्थान पर अभियुक्त को इसका प्रमाण देना होगा कि उसका क़ब्ज़ा वैध है। प्रवर समिति को इसकी भाषा इतनी स्पष्ट कर देनी

चाहिये जिस से कि निरपराध व्यक्तियों को दण्डित न किया जा सके। इसकी भाषा इतनी अस्पष्ट है कि न्याय तत्व शास्त्र तथा साक्ष्य विधि के मान्य सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध है। यदि यह प्रमाणित कर दिया जाये कि यह वस्तु अमुक के क़ब्ज़े से मिली तो केवल इतनी ही बात पर उसको दण्डित किया जा सकता है।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। रेलवे में भ्रष्टाचार और चोरियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन को रोकने का कोई और तरीक़ा है ही नहीं। रेलवे वर्कशाप का कितना ही सामान चोरी जाता है और जब पुलिस उसका पता लगाती है तो रेलवे अधिकारी कहते हैं कि "हम उस वस्तु को पहचान नहीं सकते हैं", इसीलिये किसी को दण्ड नहीं मिलता है। जो लोग ईमानदार हैं उन्हें इस विधेयक से कोई भय नहीं होना चाहिये। जब रेलवे कोई वस्तु बेचती है तो उसकी रसीद देती है। यदि वह रसीद खो भी जाये तो उसके क्रय सम्बन्धी अभिलेख न्यायालय में मंगाये जा सकते हैं। एक ओर सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि सरकार भ्रष्टाचार और चोरी को रोकने में असमर्थ रही है और जब सरकार उसको रोकने के लिये विधान बनाती है तो हम उसका विरोध करते हैं। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

इस में एक दोष यह है कि अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिये मुझे यह प्रमाणित करना होगा कि वह वस्तु विधिपूर्वक मेरे क़ब्ज़े में आई थी। परन्तु जब वह वस्तु कभी हमारे क़ब्ज़े में ही न आई हो तो हम यह कैसे प्रमाणित कर सकते हैं ? इस प्रकार पुलिस या अभियोग पक्ष अपनी निजी शत्रुता निभाने के लिये निर्दोष व्यक्तियों को भी फंसा सकता है। इस लिये यह खण्ड नहीं होना चाहिये। इस के लिये मैं ने संशोधन भी रखा है। इस संशोधन के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अब सभा को इसे पास कर देना चाहिये और प्रवर समिति के पास भेज कर इस काम में विलम्ब नहीं करना चाहिये।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : रेलवे विभाग ने चितरंजन में इंजन बनाने आरम्भ कर दिये हैं। इस प्रकार के विधान भी एक प्रकार के अत्याचार के इजन हैं। ऐसे विधानों को बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। रेलवे स्लीपरों का ही उदाहरण लीजिये। जो 'स्लीपर बेकार हो जाते हैं वह बड़ी संख्या में नीलाम कर दिये जाते हैं। आस पास के साधारण कृषक इन्हें क्रय कर लेते हैं। भला वे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि उन्होंने इनको खरीदा है।

इस लिये माननीय मंत्री को चाहिये कि इस प्रकर के विधान न बनायें। यात्रियों की सुख सुविधा की व्यवस्था कर के उन्होंने जो लोकप्रियता प्राप्त की है वह इस प्रकार नष्ट हो जायेगी। इसलिये अच्छा यही है कि इस विधेयक पर आग्रह न किया जाय।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह एक असाधारण प्रकार का विधान है। अन्य विभागों में भी जैसे टेलीग्राफ के तारों के सम्बन्ध में इस प्रकार के विधान बनाये गये हैं। फिर भी इस को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। वहां इस प्रकार की सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सकेगा।

खण्ड २ में रेलवे स्टोर की जो परिभाषा दी गई है वह बहुत ही विस्तृत है। इसकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिये जिस से कि इस का क्षेत्र थोड़ा कम हो जाये। साधा

[श्री बर्मन]

परिस्थितियों में यदि किसी रेलवे स्टोर की चोरी होती है तो भारतीय दण्ड संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता तो मौजूद ही हैं परन्तु विशेष प्रकार की वस्तुओं की रक्षा करने के लिये इस प्रकार का विधान भी बनाया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द दुबे (ज़िला फ़र्रुखाबाद—उत्तर) : मेरे विचार से यह विधेयक इतना खराब नहीं है जितना कि इसे बताया गया है । रेलवे स्टोर की परिभाषा में हम यदि "का अर्थ है" शब्दों के स्थान पर "में सम्मिलित होंगे" शब्द रख दिये जायें तो बहुत सी आपत्तियां दूर हो जायेंगी ।

दूसरा प्रश्न क़ब्ज़े के प्रमाणित करने का है । पहले यह प्रमाणित करना होगा कि यह रेलवे स्टोर का माल है फिर न्यायालय किसी तर्क के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचेगा कि यह वस्तु केवल रेलवे स्टोर की ही नहीं है वरन् रेलवे के क़ब्ज़े में भी रही है । उसके बाद ही कार्यवाई की जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिये १० वर्ष पूर्व वह रेलवे के क़ब्ज़े में थी और १० वर्ष पहले वह चोरी गई थी । क्या ऐसी दशा में आप प्रमाण का भार अभियुक्त पर रखेंगे ?

श्री अलगेशन : क्या कोई ऐसा प्रतिबन्ध है कि यदि दस वर्ष पूर्व चोरी हुई हो तो अभियोग नहीं चलाया जा सकता है ? आखिर इससे अन्तर क्या पड़ता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तर है क्यों नहीं ?

श्री मूलचन्द दुबे : प्रमाण का भार अभियुक्त पर नहीं होना चाहिये जब कि मामला बहुत पुराना हो । जहां तक इस का सम्बन्ध यह विधान वास्तव में सामान्य विधि के विरुद्ध है । फिर भी रेलवे प्रशासन का क़ब्ज़ा किसी एक व्यक्ति का क़ब्ज़ा नहीं होता है इसलिये यदि किसी के पास कोई रेलवे स्टोर हो तो उसके पास कोई न कोई अभिलेख तो ऐसा होना ही चाहिये जिससे कि वह यह प्रमाणित कर सके कि उसने रेलवे स्टोर को वैधपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है । इस लिये इस विधेयक में कुछ न कुछ रूपभेद करने की आवश्यकता है इसलिये इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मान लीजिये कि गाड़ी जा रही है और रास्ते में थोड़ी देर के लिये रुक जाती है । इंजन का ड्राइवर कोयला गिरा देता है । कोई उसे उठा लेता है । ऐसी दशा में कोयला उठाने वाले को दण्डित किया जा सकता है ? परन्तु उसको दण्डित कैसे किया जा सकता है जिसने जान बूझ कर ऐसा करने का अवसर दिया है । अतः इसके लिये इस विधेयक में एक खण्ड और बढ़ाया जाये । मैं इसका समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह कैसे प्रमाणित किया जायेगा कि यह वही कोयला है ?

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला—भटिंडा) : मैं इस विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं ।

इस विधेयक में कुछ शब्द-परिवर्तन के सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं, किन्तु वे असन्तोषजनक हैं । और उन से काम नहीं चलता है । उनके आधार पर निर्दोष व्यक्तियों को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अमुक वस्तु उसके पास विधिपूर्वक आई थी । उदाहरण के लिये बिजली के पंखे बनाने वाला व्यक्ति या सार्थ यदि कोई ऐसा पंखा जिस पर 'उत्तरी रेलवे'

या "पूर्वी रेलवे" लिखा हो किसी को बेच दे या कोई उसे चुरा ले तो वह सामान क्या रेलवे की सम्पत्ति कहा जा सकता है ? सामान के रेलवे तक पहुंचने से पहले ही बीच में यदि इस प्रकार के सौदे हो जायें तो क्या ऐसे लोगों को इस विधेयक के अन्तर्गत अपराधी घोषित करना उचित होगा ? अनेक मामलों में ऐसे पंखे खरीदने वाला व्यक्ति निरपराध हो सकता है ।

श्री सिंहासन सिंह : ईमानदार व्यक्ति कुछ पंखे खरीदेगा ही क्यों जिन पर रेलवे का नाम लिखा हुआ हो ?

सरदार हुक्म सिंह : मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं जिन पर केवल दो घंटे के समय में हम यहां भली भांति विचार नहीं कर सकते हैं । अतः मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय । इस कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा और हम इसी सत्र में इसे पारित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय उपमंत्री को भाषण के लिये बुलाता हूं ।

श्री बी० एन० मिश्र (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर) : क्या मुझे अवसर नहीं दिया जायगा ? मैं तीन मिनिट से अधिक समय नहीं लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है ।

श्री बी० एन० मिश्र : मेरी आपत्ति विशेषतः खण्ड ३ के सम्बन्ध में है । मैं ने उस के शब्दों पर भली भांति विचार किया है और हमें अन्य किसी विधि में इस प्रकार का उपबन्ध नज़र नहीं आता है । जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि यदि किसी के घर में बाप दादों के समय से कोई रेलवे सम्पत्ति रखी हुई है तो इस विधेयक के अन्तर्गत उसे यह सिद्ध करना होगा कि यह उसकी वैध सम्पत्ति है । माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि अभियुक्त अपने को निरापराध सिद्ध करे जब कि प्रक्रिया के अनुसार यह अभियोगी पक्ष का दायित्व होता है कि उसने जो अभियोग चलाया है उसके अनुसार वह अभियुक्त को दोषी सिद्ध करें।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को स्वीकार किया जाय क्योंकि यदि यह पारित कर दिया गया तो सब लोग हमारी बेवकूफी पर हंसेंगे और हमारा मज़ाक़ उड़ायेंगे । यदि इस विधेयक को पारित ही करना है तो पहले इसे प्रवर समिति को सौंपा जाय ।

श्री एम० डी० जोशी : मैं ने इस विधेयक के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों को ध्यान से सुना है । जब अध्यादेश जारी हुआ था तो विधि के दृष्टिकोण से उस के शब्दों पर अधिक ध्यान दिया गया था । अब यह विधेयक का रूप ले रहा है अतः इस में शब्दों के विधिवत् प्रयोग तथा निर्वचन के लिये मैं भी यही निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपना उचित होगा ।

श्री अलगेशन : मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव को इस विधेयक से कुछ ऐसी चिढ़ हो गयी है कि उन्हें समझाना कठिन है । वह समझते हैं कि इस विधेयक से व्यक्तिगत अधिकारों को चोट पहुंचती है किन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य इतना पापपूर्ण नहीं है । जैसा कि मैं ने पहले बताया था यह विधि, १९४४ में भारत बर्मा आपात उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत पारित हुई थी ।

उस समय यद्यपि यह केवल अध्यादेश के रूप में था तथापि यह विधान मंडल

[श्री अलगेशन]

द्वारा पारित अधिनियम की ही भांति वैध था और भाग 'क' में के राज्यों में यह अभी तक लाग है । प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य इसे भाग 'ख' में के राज्यों में लागू करना है । अतः माननीय सदस्यों को ज्ञात हो गया होगा कि यह कोई नई वस्तु नहीं है जो उन पर सहसा लादी जा रही हो ।

श्री नम्बियार यहां नहीं हैं । उन्होंने हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट लिमिटेड की टेलीफोन फ़ैक्टरी में निर्मित वस्तुओं का उल्लेख किया था । यह स्पष्ट है कि इन के भांडार बहुत सुरक्षित रहते हैं ।

अभी कुछ दिन पहले मैं ने सुना था कि संसद् के कुछ सदस्य जब हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड को देखने गये थे तो एक महिला सदस्या को भीतर नहीं जाने दिया गया था । शायद वहां कुछ ऐसे नियम हैं । इससे पता चल सकता है कि वहां के भांडार कितने सुरक्षित रखे जाते हैं । मैं यह नहीं कहता कि वहां कभी चोरी नहीं होती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या आप चोरों तथा स्त्रियों को एक ही श्रेणी में रखते हैं ?

श्री अलगेशन : जी नहीं । मैं तो यह बता रहा था कि संसद् सदस्य भी वहां सरलता से नहीं घुस सकते हैं । उन के भांडारों और हमारे भांडारों की सुरक्षा में कितना अन्तर है । हमारे भांडार देश में अनेक स्थानों पर स्थित हैं । देश में ३४,००० मील लम्बी रेलवे लाइन हैं । रेल गाड़ियां और वैगन सर्वत्र आते जाते हैं और वस्तुयें सुरक्षित नहीं रह पाती हैं । अनेक बार बड़ी बड़ी चोरियों के मामले हमारे सामने आये हैं । जैसा कि श्री सिंहासन सिंह ने बताया हमें इसके निवारण के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करनी पड़ेगी । इसी उद्देश्य के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव संचार मंत्रालय पर तो बड़ी कृपा दृष्टि रखते हैं और जब मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं तो बड़े कुपित होते हैं । जब टैलीग्राफ तार अवैध क़ब्जा विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब उन्होंने प्रस्तुत विधेयक के सिद्धान्त की प्रशंसा की थी । इस विधेयक में और उस में केवल शब्दों का ही अन्तर है ।

श्री बर्मन : उस में एक विशेष प्रकार के टैलीग्राफ तार का उल्लेख था और यहां तो सब चीजें शामिल हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं ने उस विधेयक का भी विरोध किया था और जब उस में वस्तु विशेष का उल्लेख किया गया तब मैं ने उस का समर्थन किया ।

श्री अलगेशन : इस अन्तर का कारण भी मैं बताये देता हूं ।

उस अधिनियम में पहले यह उपबन्ध था कि जब डाक और तार भांडार से गायब हुई कोई वस्तु पकड़ी जाय तो उस से अपने को निरपराध सिद्ध करना अभियुक्त का काम होता था किन्तु बाद में टैलीग्राफ तार की ठीक ठीक परिभाषा दी गई और वे शब्द हटा दिये गये, क्योंकि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि वे डाक और तार विभाग के तार थे तो अभियुक्त पर आरोप लगाया जाना उचित है और यह सिद्ध करना उस का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे तार को अधिकृत रूप से अपने अधिकार में रखता है । किन्तु इस विधेयक में परिस्थिति वैसी नहीं है । टैलीग्राफ तार की भांति हम हमारे भांडारों की वस्तुओं की यहां परिभाषा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वे अनेक प्रकार की हैं

और जैसा कि मैं ने कहा है वे सर्वत्र फैली हुई हैं । इतना होते हुये भी इस विधेयक के अन्तर्गत रेलवे को यह सिद्ध करना होगा कि अमुक सम्पत्ति उस की है । यदि यह सिद्ध हो जाता है तो अभियुक्त को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वह अधिकृत रूप से उस वस्तु को अपने अधिकार में रखता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उस विधेयक में और इस विधेयक में सिद्धान्ततः कोई विशेष अन्तर नहीं है । पण्डित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि इस को आपात के समय बनाया गया था और अब आपात अवस्था न होने से इस की आवश्यकता नहीं है । यह ठीक है कि 'अध्यादेश' शब्द कुछ अप्रिय है । किन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि चोरियां कम नहीं हुई हैं बल्कि और बढ़ गई हैं । अतः हमें इसका निवारण करना है । जैसा मैं ने कहा है यह कोई नया उपबन्ध नहीं है ।

हम इस के इतिहास और इस के व्यवहार को दिखा कर कह सकते हैं कि माननीय सदस्यों ने इस के विरुद्ध जो कुछ कहा है वह अनुचित है ।

श्री बर्मन : क्या माननीय मंत्री हमें बता सकते हैं कि इस का वास्तव में क्या उपयोग किया गया है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न को मैं स्वयं ले रहा हूं । मैं आंकड़े देकर बता सकता हूं कि चोरी कितनी बढ़ गई है । १९५२–५३ में मध्य रेलवे पर लगभग ३ १/४ लाख रुपये के सामान की चोरी हुई थी और १९५३–५४ में ४ १/४ लाख रुपये की हुई । १९५२-५३ में दक्षिण रेलवे पर ४·२९ लाख रुपये के सामान की चोरी हुई और १९५३–५४ में ६·१९ लाख रुपये की । पूर्वी रेलवे के १९५४ के उत्तरार्ध के कुछ आंकड़े प्राप्य हैं । आधे वर्ष की कुल हानि ४·४७ लाख रुपये है ।

आपने चुराई गई वस्तुओं की मात्रा के सम्बन्ध में जानना चाहा था । कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं :—

बैल्टिंग .	१,७२,७०९ फुट
कैन्ट कपलर्स .	४२४
गाड़ियों में लगाया जाने वाला तार	१,०४,८६९ फुट
सैल . .	२२९

यह एक लम्बी सूची है । मैं चुराई गई वस्तुयें भी बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह एक रेलवे के आंकड़े हैं ?

श्री अलगेशन : छः माह में एक ही रेलवे पर । हमारे समक्ष यही गम्भीर समस्या है जिसको हमें सुलझाना है, तथा मैं सभा से आशा करता हूं कि हमारे दोष निकालने के स्थान पर हमारी इस विधेयक के सम्बन्ध में सहायता करें ।

यह अधिनियम १९४४ में लागू हुआ था तथा इस अवधि में चलाये गये अभियोगों की संख्या मैं बताऊंगा । १९४४ में अभियोगों की संख्या १३२ थी तथा ५९ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया । अगले वर्ष ४३७ अभियोग चलाये गये जिनमें से २०६ में दण्ड दिया गया । इसके पश्चात् इन अपराधों में कमी हो गई अर्थात् राज्यों ने इसको लागू नहीं किया । १९४६ में १७८ अभियोग चलाये गये तथा केवल ३० व्यक्तियों को दण्ड दिया गया । इसके पश्चात् १९४९ में १०२ अभियोग चलाये गये तथा २६ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया । केवल चौथाई मामले सिद्ध हो सके । इसलिये जो काल्पनिक भय माननीय सदस्यों को है वह एकदम व्यर्थ है ।

श्री नम्बियार शब्द 'पांच वर्षों' पर आपत्ति कर रहे थे । मैं पिछले वर्ष से आगे के आंकड़े बताता हूं । हमने राज्य सरकारों

[श्री अलगेशन]

को इसका स्मरण दिलाया तथा उनको बताया कि इसको लागू करके वह अभियोग चला सकती थीं जिसके परिणामस्वरूप १०-५-५४ तक ६८ अभियोग चलाये गये । पिछले वर्ष सावधानी करने के कारण केवल ६८ अभियोग ही चलाये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : समस्त भारत में ?

श्री अलगेशन : समस्त भारत में ३७ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया । अब हमें इन दण्डित मामलों को भी समझना चाहिये । एक रेलवे ने एक दिन से लेकर छः माह का कठोर कारावस तथा ५०० रुपये के जुर्माने का दण्ड दिया । दूसरी रेलवे ने न्यायालय के समाप्त होने से लगा कर दो वर्ष तक के कठोर कारावास की व्यवस्था की । यह अधिकतम दण्ड था । एक अन्य रेलवे में एक अभियुक्त को दण्ड दिया गया तथा परीक्षाधीन अपराधी अधिनियम के अधीन उसको छोड दिया गया तथा दूसरे व्यक्ति को दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया ।

श्री सिंहासन सिंह : किन वस्तुओं की चोरी हुई थी ?

श्री अलगेशन : मैं पहले सूची पढ़ चुका हूं परन्तु मैं ने यह नहीं बताया कि किन वस्तुओं की चोरी के कारण दण्ड दिये गये थे, क्योंकि यह सूचना स्वयं मुझे ज्ञात नहीं है । इसके द्वारा मैं केवल यह बता देना चाहता हूं कि 'पांच वर्ष' की व्यवस्था का उपबन्ध क देने के कारण न्यायालय की स्वतन्त्रता छिन नहीं जायेगी तथा जैसा कि मैं ने अभी बताया न्यायालयों ने पांच वर्ष से कम के दण्ड ही दिये हैं ।

मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि इसके द्वारा हम कोई नवीन परिवर्तन नहीं कर रहे हैं । मैं कुछ उदाहरण देता हूं । मैं साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में कुछ बताने नहीं जा रहा हूं । जब भी सार्वजनिक भांडारों तथा आवश्यक सामग्रियों के चुराने का प्रश्न आता है, विधि के अधीन अभियुक्त को यह सिद्ध करना होता है कि वह वस्तु विधिपूर्वक उसी व्यक्ति की है । इस प्रकार के सभी मामलों में यही नियम है कि अभियुक्त को यह सिद्ध करना होता है कि अमुक वस्तु उसके पास किस प्रकार से आई । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने साक्ष्य अथिनियम की धारा १०९ पढ़ी परन्तु धारा १०६ में दिया है.....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : धारा १०६ किस प्रकार लागू होती है ? इसका यह अर्थ होगा कि प्रत्येक अभियुक्त को विशेष ज्ञान होता है जिसके कारण केवल अभियुक्त पर ही सर्वदा यह भार होना चाहिये ।

श्री अलगेशन : कृपया मुझे कहने दें । धारा १०६ में दिया है कि यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति को पूर्णतया ज्ञात हो तो उसको सिद्ध करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर होगा । मैं टैलीग्राफ तार (अवैध क़ब्ज़ा) विधेयक में निर्धारित नियम के सम्बन्ध में बता रहा था कि इस विधेयक में भी यही नियम लागू होता है । अग्रेतर उदाहरण देने के लिये, अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम—जो कि सभा के समक्ष प्रस्तुत है—की धारा १५ का उदाहरण दिया जा सकता है ।

इसमें दिया है कि "जब भी किसी व्यक्ति पर, किसी ऐसे आदेश को, जिसमें, विधिपूर्वक प्राधिकार अथवा अनुमति के बिना किसी वस्तु के रखने की मनाही हो, तोड़ने पर, अभियोग चलाया जाता है तो यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व कि इस

प्रकार का प्राधिकार, अनुमति अथवा अनुज्ञप्ति उसके पास है, उसी व्यक्ति पर होगा।" इसी प्रकार, विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ की धारा २४ में दिया है :—"जब भी किसी व्यक्ति पर, अधिनियम के किसी ऐसे उपबन्धों को, जिनमें बिना किसी अनुमति के किसी भी कार्य को करने से रोका गया हो, तोड़ने का अभियोग चलाया जाता है तो यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व कि अपेक्षित अनुमति उसके पास थी, उसी व्यक्ति पर होगा।"

इसी प्रकार का उपबन्ध १८७८ में मद्रास काफी चोरी निवारण अधिनियम में था। इन कुछ उद्धरणों से ज्ञात होता है कि वर्तमान विधेयक के द्वारा हम कोई नया नियम नहीं बना रहे हैं।

मैं सभा के समक्ष एक और विचार धारा प्रस्तुत करता हूं। वह है, समाज की समाजवादी व्यवस्था तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि। मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक सम्पत्ति की ओर हमारा उतना ध्यान नहीं जाता जितना कि निजी सम्पत्ति की ओर जाता है। निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में छेड़छाड़ किये जाने पर हमें आश्चर्य होता है परन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ भी किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। इसलिये संसद् को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। इसके आधार पर हमें देश में ऐसी भावना जागृत कर देनी है कि सार्वजनिक सम्पत्ति यदि उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि निजी सम्पत्ति है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि सार्वजनिक सम्पत्ति उससे भी दुगुनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह सम्पत्ति पड़ौसी की सम्पत्ति नहीं बल्कि अनगिनत पड़ौसियों की सम्पत्ति होती है। इसीलिये सार्वजनिक सम्पत्ति अधिक महत्वपूर्ण है। सम्भव है इसके अनुसार हमें विधि में भी परिवर्तन करना पड़े, भारतीय दण्ड संहिता का संशोधन करना पड़े। निजी सम्पत्ति की चोरी के लिये हमने निश्चित दण्ड निर्धारित किया है, इसीलिये सार्वजनिक सम्पत्ति के लिये, उसके अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण, इससे भी अधिक दण्ड निर्धारित किया जाना चाहिये। इसी आधार पर मैं सभा से आशा करता हूं कि वह इस विधेयक में पूर्ण सहयोग देगी तथा देखेगी कि उसका उद्देश्य पूर्ण होता है।

इतना सब कहने के पश्चात्, मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी दुर्भावनाओं को अपने मस्तिष्कों से निकाल दें। जैसा कि मैंने बताया, यह अधिनियम भाग क में के राज्यों में लागू है तथा अभी भाग ख में के राज्यों में लागू नहीं है। रेलवे भांडारों की परिभाषा करने में तथा खंड ३ की शब्दावलि को ठीक करने में कई वैधिक कठिनाइयां आईं। अतः मेरा भी ऐसा ही विचार है तथा मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति को सौंपने वाला प्रस्ताव, जो कि मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार कर लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक को श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री के० आनन्द नम्बियार, सरदार हुक्म सिंह, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री बी० राम चन्द्र रेड्डी, श्री टेक चन्द, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल, श्री एस० वी० रामस्वामी, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री पी० आर० कनावडे पाटिल, श्री आर० वैंकटरामन्, श्री फूलसिंहजी बी० डाभी, श्री सी० आर० नरसिंहन्, श्री कमल कुमार बसु, श्री मूलचन्द

[उपाध्यक्ष महोदय]

दुबे, डा० लंका सुन्दरम्, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री ओ० वी० अलगेशन तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे ३१ मार्च, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औषधीयतथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मद्यसार, अफीम, गांजा अथवा अन्य नशीली वस्तुओं वाली औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क लगाने और वसूल करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक के द्वारा औषधि-उत्पादन उद्योग को, जो कि देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें लगभग २५ करोड़ रुपया लगा हुआ है तथा जिसको अपनी वस्तुओं के निर्माण और विभिन्न राज्यों में बिक्री के लिये बड़ी कठिनाइयों का सामना करन पड़ रहा है, सहायता देने का विचार है ।

भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के अनुसार मद्यसार अथवा अन्य नशीली वस्तुओं वाली औषधियों तथा प्रसाधन-सामग्री पर उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार प्रान्तीय सरकार को था, और प्रान्तीय सरकार अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार इस शुल्क को लगाती थीं । मैं विभिन्न राज्यों में लगाये गये शुल्कों की विभिन्नता के सम्बन्ध में बता देना चाहता हूं । क्लोराफ़ार्म जैसी वस्तु पर, जिसमें स्पिरिट का अंश होता ह, विभिन्न राज्यों में शुल्क ५ रुपये से ४० रुपये तक था जब कि एबस्ल्यूट एल्कोहाल तथा शोधित स्पिरिट पर विभिन्न राज्यों में १७ रुपये ८ आने से लगा कर ७० रुपये ५ आने प्रति गैलन तक का शुल्क था । इससे आप जान सकते हैं कि इस उद्योग को अपनी वस्तुओं के समान मूल्य रखने में कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती होंगी, तथा यह निश्चित ही है कि विभिन्न राज्यों में इनके भिन्न भिन्न मूल्य होंगे । भारत एक ऐसा देश है जिसम एक ही औद्योगिक तथा आर्थिक नीति है, अतः इस प्रकार की स्थिति में किसी उद्योग का पक्षपात न करते हुये, उद्योग के लाभ के लिये ऐसा नहीं होने देना चाहिये ।

संविधान बनाते समय, यह विषय, संविधान निर्माताओं के समक्ष लाया गया था तथा उन्होंने संघ सूची अर्थात् सातवीं अनुसूची की सूची १ की प्रविष्टि संख्या ८४ में इसको रखा था । उसी समय अनुच्छेद २७७ के अधीन संविधान बनने से पूर्व प्रचलित शुल्क दरों को उसी प्रकार उस समय तक के लिये रखा गया जब तक कि संसद् इन में परिवर्तन न करे अथवा शुल्क की दरों को समान करने के लिये कोई वैध कार्यवाही न करे । इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद २६८ में दिया हुआ है कि इन वस्तुओं पर वसूल किया गया शुल्क राज्यों को ही दिया जायेगा । केन्द्र केवल शुल्क लगायेगा । राज्य इसके संग्रह का कार्य करेंगे तथा इसका राजस्व भी राज्यों को ही मिलेगा । यह राजस्व भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जायेगा । इस लिये इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये मैं यह बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अथवा वित्त मंत्रालय का इस विधेयक के द्वारा, राजस्व प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है ।

केवल उद्योग की सहायता करने के लिये ही हम इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। १९४९ में केन्द्रीय सरकार ने अखिल भारतीय उत्पादन-शुल्क परिषद् समवेत की थी। उस परिषद् ने इस सम्पूर्ण विषय पर विचार के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन १९५२ में प्रस्तुत किया था परन्तु १९५१ में उसने एक अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा था जिसके द्वारा हम एक प्रकार की समानता स्थापित करने में सफल हुये थे, क्योंकि कई राज्य सरकारें इस अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने के लिये तैयार हो गई थीं। ऐसा राज्यों के सहयोग के कारण ही हुआ था परन्तु हम इस विषय को केवल राज्यों की सम्मति पर ही नहीं छोड़ सकते हैं। इसी अवधि में विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध के कारण और भी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

इस विधेयक के नाम से ही ज्ञात होता है कि इस विधेयक का प्रभाव कुछ ऐसी औषधियों पर ही पड़ता है जिन के बनाने में मद्यसार का प्रयोग किया गया हो तथा ऐसी कुछ औषधिपों पर भी पड़ता है जो पीने योग्य समझी जायेंगी। जिन राज्यों में मद्यनिषेध नीति कठोरता से लागू है वहां ऐसा अनुभव किया गया है कि पीने योग्य औषधियां अथवा मद्यसार के स्थान पर पी जाने योग्य वस्तुओं का आयात इन कुछ वर्षों में बढ़ गया है। इसलिये यह सोचा गया कि मद्यनिषेध वाले राज्यों में इन औषधियों के आयात का बढ़ जाना किन्हीं बुरे उद्देश्यों का द्योतक है। इसीलिये हम इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथमतः उद्योग की सहायता करने के लिये तथा साथ साथ, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई मद्यनिषेध नीति का भी हमें ध्यान रखना है।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : क्या इसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में किये गये आयात पर नियंत्रण लगेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : नहीं, इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है।

विशेषज्ञ समिति ने बहुत सी सिफारिशें की थीं, उन में से अधिकांश राज्य सरकारों के क्षेत्र से सम्बन्ध रखती थीं, और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के सहायता-पूर्ण सहयोग से इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने की चेष्टा करती रही है। उन सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा कुछ कार्यवाही की गई है, कुछ अन्य सिफारिशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य चर्चा हो रही है। उक्त सिफारिशों में से सिर्फ तीन बातों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। एक शुल्क की दर की एकरूपता के सम्बन्ध में है, दूसरी इस सम्बन्ध में है कि किन औषधियों को पेय समझा जा सकता है और किन को नहीं। तीसरी बात इन औषधियों के अन्तर्राज्य यातायात के सम्बन्ध में है। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न मद्यनिषेध सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत आता है, और यह विषय भी पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इन औषधियों के अन्तर्राज्य यातायात को विनियमित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने से पूर्व हमें राज्य सरकारों का सहयोग तथा अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। और साथ ही यह काम वित्त मंत्रालय का नहीं अपितु किसी अन्य मंत्रालय का होगा। मेरे विचार से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है।

तथापि 'मद्यनिषेध' वाले राज्य इस सम्बन्ध में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। अतः

[श्री ए० सी० गुहा]

मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किये जाने में विलम्ब नहीं होगा ।

यह एक अविवादास्पद विधेयक है । इसका एकमात्र तथा मुख्य उद्देश्य उद्योग की सहायता करना है । आयुर्वेदिक औषधियों के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं । मेरे विचार से विधेयक में जो उपबन्ध किया गया है वह वर्तमान स्थिति में सुधार ही है । अतः इस बात की आशंका नहीं की जानी चाहिये कि यह विधेयक किसी भी प्रकार से आयुर्वेदिक औषधियों या उनके प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपे जाने के विषय में एक प्रस्ताव की सूचना दी गई है ।

श्री बंसल (झज्जर—रेवाड़ी) : मेरा प्रस्ताव है कि :

> "इस विधेयक को कर्नल बी० एच० ज़ैदी, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्रीमती उमा नेहरू, श्री सी० डी० पांडे, श्री आर० बी० धुलेकर, श्री भागवत झा आज़ाद, सरदार हुक्म सिंह, श्री अरुण चन्द्र गुहा और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे ३१ मार्च, १९५५ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय: जब कभी भी प्रवर समिति को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो विचार यह होता है कि देश के विभिन्न भागों के माननीय सदस्य उस समिति में रखे जायें जिस से कि उनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके और किसी भी राज्य के सम्बन्ध में विशेष परिस्थितियां ज्ञात हो सकें ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : कम से कम मद्यसार के सम्बन्ध में दक्षिण के सदस्यों को उन का उचित स्थान दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: दक्षिण में मद्य निषेध है ।

श्री बंसल : यह गलती निरुद्देश्य भाव से हुई है । मैं और नाम सूची में जोड़ दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था । मैं चाहता था कि माननीय सदस्य कुछ और नाम जोड़ देते जो उन राज्यों के प्रतिनिधि होते जिन का नाम छूट गया है ।

श्री बंसल : जो आदेश ।

मुझे इस प्रस्तावित विधान के विभिन्न उपबन्धों से बहुत निराशा हुई है । इस विधेयक का इतिहास बहुत पुराना है, कोई बीस वर्ष से यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है । जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री ने बताया आबकारी अधिकारियों का एक सम्मेलन १९३७ में हुआ था और उस में कई प्रस्ताव पारित किये गये थे । उन में से एक का सम्बन्ध इस विधेयक की विषय वस्तु से था । उस संकल्प के आधार पर सरकार ने १९५० में इस समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी ।

विशेषज्ञ समिति ने बड़ी सावधानी से सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया है और उसका एक निर्णय यह है कि उत्पादन-शुल्कों के क्षेत्र में फैली यह अराजकता रोकी जानी चाहिये । मुझे हर्ष है कि माननीय मंत्री ने वह सिफारिश स्वीकार कर ली है और इस विधेयक द्वारा कुछ विशेष प्रकार की औष-

धियों पर जो शराब, अफीम, भांग अथवा अन्य नशीली वस्तुओं से तैयार की हुई औषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के अन्तर्गत आती हैं, उत्पादन-शुल्कों की एकरूप दरें लागू करने का प्रयत्न किया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु जहां विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कोई कार्यवाहियां नहीं की गयी हैं अतः मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दें जिस से कि वह विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार करे और देखे कि वह किस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती हैं। मुझे माननीय मंत्री के इस कथन पर आश्चर्य हुआ कि अन्तर्राजकीय व्यापार केन्द्र द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने यह नहीं कहा है। यद्यपि मैं मानता हूं कि वह केन्द्र की जिम्मेवारी होगी, फिर भी उसे किसी हद तक विभिन्न राज्यों की सम्मति और परामर्श के बिना नहीं किया जा सकता है।

श्री बंसल : यह प्रश्न सरकार और देश के समक्ष १९३७ से है और मैं नहीं जानता कि विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करने में सरकार को कितना समय लगेगा। मैं जानता हूं कि यह कोई बहुत सरल विषय नहीं है और इस प्रश्न का सम्बन्ध विभिन्न राज्यों की मद्यनिषेध नीति से है जो पूर्णतः राज्यों का विषय है। किन्तु मैं यह भी जानता हूं कि इन सभी औषधियों पर, विदेशों से आयात किये जाने पर, कुछ आयात कर लगाया जाता है और विभिन्न पत्तनों पर आयात-कर के भुगतान के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में उनके स्थानान्तरण पर कोई निर्बन्धन नहीं है। विदेशों से आयात किये जाने के बाद वे औषधियां बिना किसी कठिनाई या रुकावट के राज्यों में वितरित की जा सकती हैं किन्तु उसी प्रकार की देशी वस्तुओं के स्थानान्तरण पर अनेक निर्बन्धन हैं। उन देशी वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने अथवा मंगाने के लिये अनेक औपचारिक शर्तों को पूरा करना होता है। मैं ने सोचा था कि सरकार अपने विशेषज्ञों के प्रतिवेदन और बाद में औषधि सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन को प्राप्त करने के बाद अन्तर्राजकीय व्यापार पद्धति में इस स्पष्ट दोष पर विचार करेगी। मैं ने सोचा था कि सरकार कम से कम इस दिशा में सर्वप्रथम कार्यवाही करेगी। मैं उत्पादन-शुल्कों की एकरूपता के महत्व को कम नहीं करना चाहता हूं किन्तु मेरे विचार से यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी कठिनाई यह है कि आयात निर्यात अनुज्ञप्तियों की लम्बी श्रृंखला के कारण भारतीय उत्पादक के प्रति ऐसा भेद भाव किया जाता है और साथ ही यह एक आश्चर्य है कि सरकार इस उद्योग के समक्ष उपस्थित गम्भीर समस्या के प्रति अभी तक जागरुक नहीं हुई है।

मैं जानता हूं कि कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनका सम्भवतः दुरुपयोग किया जा सकता है। माननीय मंत्री ने संकेत किया है कि मद्य निषेध वाले राज्यों में कुछ प्रकार की औषधियों का आयात बहुत अधिक बढ़ गया है। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रकार के आयात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। मैं मद्य निषेध में विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने अपनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें देखी होंगी जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के परामर्श से उन निर्बन्धित औषधियों की एक सूची तैयार करे जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है अथवा जिनमें मद्यसार का कुछ प्रतिशत भाग होता है और जिनके स्वतन्त्र उपभोग की कुछ राज्यों के मतानुसार, अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। मेरी समझ

[श्री बंसल]

में नहीं आता कि इस सिफारिश को सीधे कार्यान्वित करने में सरकार को क्या कठिनाई है। माननीय मंत्री सभा को यह बताते हैं कि यह विषय किसी अन्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। समझ में नहीं आता कि सभा के समक्ष एक ऐसा एकीकृत विधेयक रखने में सरकार को क्या कठिनाई है, जिससे कि इस समिति की सभी सिफारिशें एक साथ कार्यान्वित की जा सकें। अतः कम से कम इस दृष्टिकोण से कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें तुरन्त कार्यान्वित की जायें, प्रवर समिति को इस विधेयक पर पूर्ण विचार करने का मौक़ा दिया जाना चाहिये।

अब प्रस्तावित विधेयक के खंड ३(२) के सम्बन्ध में मैं पूछता हूं कि जहां तक छोटे पैमाने के उत्पादकों का प्रश्न है, क्या उनके लिये यह एक उचित क़दम है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इसके अर्थ को स्पष्ट करें और इस पर प्रकाश डालें कि क्या प्रक्रिया है जिससे हम यह निर्णय कर सकें कि हम इस उपबन्ध को स्वीकार कर सकते हैं या नहीं। अन्त में मैं माननीय मंत्री से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वह विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० सी० गुहा : जिस प्रकार कि प्रस्तावक ने अपनी बातें सभा के सामने रखी हैं, मेरे विचार से वैसा ही करना इस विधेयक के क्षेत्र के परे जाना है। मैं नहीं जानता कि प्रवर समिति इस विधेयक के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए कहां तक अधिकारी होगी। जैसा कि मैं ने पहले बताया है, केवल तीन सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं जिन में से दो इस विधेयक में कार्यान्वित की गयी हैं और तीसरी अभी सरकार के विचाराधीन है। मैं नहीं समझता कि प्रवर समिति विशेषज्ञ समिति की अन्य सिफारिशों के कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध स्वीकार करने की स्थिति में होगी।

श्री डाभी (कैरा उत्तर) : मैं इस विधेयक का इसलिये स्वागत करता हूं कि माननीय मंत्री ने इस विधेयक का एक उद्देश्य यह बताया है कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री का नशे के लिये उपयोग न किया जा सके। किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि इस विधेयक से यह उद्देश्य किस प्रकार पूरा हो सकेगा क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य उत्पादन शुल्क की एकरूप दर लागू करना और उसको एकत्र करने के लिये किसी एकरूप प्रक्रिया का अनुसरण करना है। मेरे विचार से इस विधेयक में कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं, जिनमें एक खण्ड ६ है, जो इन वस्तुओं के दुरुपयोग में सहायक होंगे। अतः यदि ये नियम बहुत कठोर बना दिये जायें, तो निश्चय ही किसी हद तक इन वस्तुओं के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी। यदि इस विधेयक से सरकार की मद्यनिषेध नीति को कुछ सहायता मिले, तो कम से कम उस हद तक तो मुझे समाधान होगा।

मेरी यह भी धारणा है कि यदि यह विधेयक केवल देशी औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री के लिये लागू किया गया तो इसका सम्पूर्ण प्रभाव नष्ट हो जायगा और यहां के उत्पादकों के लिये कदाचित् यह एक अन्याय होगा। जो भी हो, मैं आशा करता हूं कि सरकार मद्यनिषेध नीति को कार्यान्वित करने के लिये कोई अन्य विधान शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं एक या दो सुझाव रखना चाहता हूं। जैसा कि पहले मैं ने सभा में बताया था, न्यायालयों को सजा देने अथवा जुर्माना करने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के बारे में मेरा यह मत है कि ऐसे लोगों के प्रति कोई दया नहीं दिखायी जानी चाहिये जो मद्यनिषेध नीति के मुख्य उद्देश्य को नष्ट करते हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। मेरा सुझाव यह भी है कि इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रति हमें कोई दया नहीं दिखानी चाहिये। इसलिये शब्द "punishable" ["दण्डनीय"] के स्थान पर शब्द "punished" ["दण्ड दिया गया"] रखा जाना चाहिये और शब्द "or" ["अथवा"] के स्थान पर शब्द "and" ["और"] होना चाहिये। मेरी कल्पना यह है कि ऐसे व्यक्तियों को कारावास और जुर्माना दोनों प्रकार के दण्ड दिये जाने चाहियें। मैं चाहता हूं कि ये दण्ड और कठोर बना दिये जायें जिससे कि राज्य की मद्यनिषेध नीति में कुछ सहायता हो।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आयुर्वेदिक औषधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं ने एक संशोधन रखा है जिससे इस विषय की आशंका दूर हो जायगी। अनुसूची में यह उल्लेख किया गया है कि उन आयुर्वेदिक वस्तुओं पर जिन्हें साधारण मद्यसार-पेय के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, कर नहीं लगाया जायगा किन्तु उन आयुर्वेदिक वस्तुओं पर, जिनमें स्व-जनित मद्यसार हों और जिन्हें साधारण पेय के रूप में उपभोग किया जा सकता है, कर लगाया जायगा। इस सम्बन्ध में मुझे आपत्ति है। क्या आयुर्वेदिक औषधियों में भी ऐसा कोई मद्यसार पेय होता है? मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह उन राज्यों में, जहां मद्यनिषेध है, यह जांच करें कि ऐसी वस्तुओं को पेय के रूप में उपयोग करने के लिये कोई दण्डित किया गया है।

श्री डाभी : यह बहुत कठिन है क्योंकि अभियोक्ता को यह सिद्ध करना होगा कि उस व्यक्ति ने कोई औषधि विशेष पी है।

श्री एस० सी० सामन्त : इसलिये यह स्पष्ट है कि आसव और अरिष्ट एक प्रकार के भेषज हैं नशे का आदी बनाने वाले पेय पदार्थ नहीं हैं। जब जड़ी बूटियां उपलब्ध होती हैं तो इन औषधियों को तैयार कर के रख लिया जाता है। इस में एक बूंद भी स्पिरिट या मद्यसार का नहीं मिलाया जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता कि मेरे तथा वैद्यों के मन में जो शंका है उस को दूर करने के लिये वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : इस विधेयक का प्रारूपण बहुत ही बुरी तरह किया गया है। इसमें कहा गया है कि औषधियां तथा सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं जो साधारण मद्यसार वाले पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग में लाये जा सकती हों। इसका निर्णय कौन करेगा? वही आबकारी अफ़सर।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुये]

होना यह चाहिये था कि "यदि उस में मद्यसार का भाग पांच, दस या बारह प्रतिशत से अधिक हो"। इसी प्रकार के अन्य विधेयकों में भी एक उपबन्ध था कि वह अफ़सर तीन नमूने लेगा, जिसमें से एक सील मुहर करके दुकानदार को दे देगा और स्वयं अपने हाथ से लिख कर देगा कि उसने नमूने लिये

हैं, एक सरकार के पास भेज देगा और सरकारी विश्लेषक को यह कहने का अधिकार होगा कि इस खाद्य पदार्थ में मिलावट है या नहीं। इस विधेयक में ऐसा कोई उप न्ध नहीं है। इस विधेयक में केवल यह कहा गया है कि यदि आयुर्वेदिक रीति से तैयार की गई किसी औषधि में स्वजातीय मद्यसार हो परन्तु उसका प्रयोग साधारण मद्यसार वाले पेय पदार्थ के रूप में न किया जा सकता हो, तो उस पर शुल्क नहीं लगाया जायेगा और यदि वह ऐसे प्रयोग के लिये उपयुक्त हो तो उस पर शुल्क लगाया जायेगा।

खण्ड १९ नियम बनाने की शक्ति के सम्बन्ध में है। उपखण्ड (१) से ले कर (२१) तक जितने भी उपखण्ड हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस में केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को ऐसी औषधियों की एक सूची बनाने का अधिकार दिया गया हो। जिनमें यदि एक निश्चित प्रतिशतता तथा मद्यसार की मात्रा पाई जाए तो उनको मद्यसार वाले पेय समझा जायें। एक उप न्ध यह भी है कि अनुज्ञप्ति दी जायेगी। वह अनुज्ञप्ति किस प्रकार की होगी ? विशेषज्ञों से इस सम्बन्ध में परामर्श लेना चाहिये कि बाज़ार में बिकने वाली आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधियों के सम्बन्ध में क्या कोई ऐसा मान निर्धारित किया जा सकता है जिस से कि साधारण व्यक्ति जान सके कि अमुक औषधि मद्यसार वाली तथा शुल्क वाली है या नहीं। इन सब कार्यों के लिये यह विधेयक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाना चाहिये। इस के अतिरिक्त यह विधेयक एक बार फिर उत्पादन-शुल्क विभाग के पास भेजा जाये और उससे कहा जाये कि वह अपनी सिफारिशों को और भी स्पष्ट रूप से भेजे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : अपने अन्य मित्रों की तरह मैं भी माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये। वहीं इस पर अच्छी तरह विचार किया जा सकेगा।

मैं यह जानता हूं कि मद्यसार की परिभाषा दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि उस के तत्वों का रासायनिक अनुपात क्या होगा। परन्तु "साधारण मद्यसार (अलकोहल) वाले पेय"—इन शब्दों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। हो सकता है यह साक्ष्य उपस्थित किया जाये कि अमुक पेय साधारण व्यक्ति पर विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। मान लीजिये कि कोई व्यक्ति मद्यपान का अभ्यस्त है। उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस लिये जब तक रासायनिक तत्वों का कोई अनुपात निश्चित न किया जाये यह निर्धारित करना कठिन होगा कि अमुक औषधि इस परिभाषा के अन्तर्गत आयेगी। दूसरी बुराई यह है कि इसका निर्णय करने वाला कौन होगा इसका कोई संकेत नहीं किया गया है।

इस विधेयक के खण्ड ८ के उपबन्ध तो हमारे संविधान के अनुच्छद १९(च) के विरुद्ध हैं। मान लीजिये कि एक गाड़ीवान की गाड़ी में एक व्यक्ति एक बण्डल लिये जा रहा है जिस में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इस परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं परन्तु उस गाड़ीवान को इस का पता नहीं है। गाड़ीवान को न तो किसी पक्ष में स्थान दिया गया है और न उस को यह प्रमाणित करने का अवसर दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में निर्दोष है। ऐसी दशा में एक व्यक्ति के अपराध के कारण दूसरे निर्दोष व्यक्ति की सम्पत्ति को अर्थात गाड़ीवान की गाड़ी को ज़ब्त कर लेना संविधान के विरुद्ध है।

खण्ड १६ के अन्तर्गत उत्पादन-शुल्क अधिकारी को मामले की जांच करने के

लिये वही स। अधिकार दिये गये हैं जो एक पुलिस अफसर को प्राप्त होते हैं । इसलिये एक उत्पादन-शुल्क अधिकारी और एक पुलिस अफसर में कोई अन्तर नहीं रहता है । उसी अधिकारी के लिये खण्ड १० में कहा गया है कि प्रत्येक ऐसी जांच, जिस का उल्लेख किया जा चुका है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ तथा धारा २२८ के अर्थों में, एक न्यायिक प्रक्रिया समझी जायगी । इस प्रकार जांच करने वाले अधिकारी के सामने जो व्यक्ति जायेगा उनको यह समझना होगा कि वह न्यायालय के सामने है । मान लीजिये कि अभियुक्त उसके समक्ष जाता है तो क्या उसको शपथ लेनी पड़ेगी ? धारा १९३ के लागू करने का तो तात्पर्य यही है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा २५ का विचार नहीं किया जायेगा । वही व्यक्ति एक ही समय में पुलिस अफसर भी होगा और न्यायिक अधिकारी भी होगा। अभियुक्त को सच बोलने के लिये बाध्य करना हमारे संविधान के अनुच्छेद २०(३) के विरुद्ध है ।

और पुलिस अफसर क्या करेगा ? वह कहेगा कि "इस व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे" और भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२८ लागू हो जायेगी । हत्या के मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६२ के अनुसार अभियुक्त को इस बात के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह वास्तविकता को प्रकट करे । गत सत्र में जब हम दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार कर रहे थे तो मैं ने धारा १६२ के निकाल दिये जाने पर बहुत ही तीव्र आपत्ति की थी यहां तक कि गृह-कार्य मंत्री ने प्रवर समिति के विनिश्चय पर उस धारा को फिर से स्थान दिया और ऐसा करने में उन्होंने गर्व का अनुभव किया ।

इस विधेयक में तो धारा १६२ का भी विचार नहीं किया गया है । सामान्यतः पुलिस अधिकारी के लिये यह आवश्यक होता है कि जांच के दौरान में साक्षी जो कुछ उस के सामने कहे उस को वह पुलिस डायरी में लेखबद्ध करे । परन्तु इस विधेयक में जांच करने वाले पर यह भी उत्तरदायित्व नहीं रखा गया है । आज एक व्यक्ति एक बयान देता है । वही व्यक्ति जब न्यायालय के सामने उपस्थित होता है तो वह दूसरा बयान देता है । फिर भी अभियुक्त यह नहीं दिखा सकता है कि इसी व्यक्ति ने पहले जो बयान दिया था वह बिलकुल भिन्न था । जब तक जांच के समय के बयानों का अभिलेख नहीं रखा जायेगा बड़ा ही अन्याय होगा । धारा १६२ और १७२ के उपबन्धों को अवश्य लागू किया जाना चाहिये । बयानों का अभिलेख तैयार किया जाये और तैयार होने के बाद वह तुरन्त दूसरे कार्यालय में भेज दिया जाये । यदि यह अभिलेख उसके पास बहुत दिन तक रहेगा तो वह इसके स्थान पर दूसरा अभिलेख तय्यार कर लेगा । मैं यह मानता हूं कि मद्य निषेध लागू करने के लिये कठोर उपबन्धों की आवश्यकता है परन्तु साथ ही साथ हमें अभियुक्त का भी ध्यान रखना चाहिये ।

कितने मामलों में अभियुक्त दण्डित होते हैं इस के आंकड़े आज श्री अलगेशन ने दिये हैं । अभियुक्तों में से ८० प्रतिशत निर्दोष पाये जाते हैं । इस का अर्थ यह है कि या तो निर्दोष व्यक्ति सताये जाते हैं या जांच उचित रुप से नहीं की जाती है । उन २० प्रतिशत अभियुक्तों के सम्बन्ध में भी आप विश्वास के साथ नही कह सकते हैं कि वह निर्दोष व्यक्ति नहीं हैं । यदि आप इस प्रकार के अधिकार दे देंगे तब तो उस पर कोई प्रतिबन्ध ही नहीं रहेगा ।

इन सब बातों का निर्णय करने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

खण्ड ९ तो यहां तक कहता है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिकारों को धारण करने वाला उत्पादन-शुल्क अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसके पास यह विचार करने के कारण हों कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वह दण्डित किये जाने योग्य है । यदि यह कहा गया होता कि जिसके सम्बन्ध में उसे सन्देह हो कि उसने अपराध किया है तो भी कुछ समझ में आता परन्तु यह तो बहुत ही विचित्र है । इन शब्दों को हटाकर इनके स्थान पर उचित शब्दों को रखा जाये ।

खण्ड १३ और १६ में तो छै छै मास के कारावास के दण्ड का उपबन्ध रखा गया है परन्तु खण्ड १७ में कहा गया है कि यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई अधिकारी, बिना सन्देह के किसी उचित कारण के किसी स्थान या सवारी की तलाशी ले, अकारण ही किसी को परेशान करने के लिये उसकी जामा तलाशी ले, इस अधिनियम के अनुसार ज़ब्त की जाने योग्य किसी वस्तु की तलाशी लेने के बहाने किसी की चल सम्पत्ति छीन ले या इसी प्रकार अकारण ही किसी को शारीरिक आघात पहुंचावे तो उसे २,००० रुपये तक जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है । मेरा कोई भी शत्रु किसी उत्पादन-शुल्क अधिकारी को ५,००० रुपये की रिश्वत देकर मेरा अपमान कराने के लिये मुझे गिरफ्तार करा सकता है तथा मेरे विरुद्ध अभियोग चलवा सकता है । उस पर भी ऐसे अधिकारी को दण्ड देने में कितनी दयालुता दिखाई गई है और वह केवल इस लिये कि वह एक अधिकारी है । ऐसे मामले में कारावास दण्ड का उपबन्ध होना चाहिये । क्या यही समाजवादी ढंग का समाज है जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं ? मैं ने स्वयं अपने अनुभव से देखा है कि जिन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जालसाज़ी और मिथ्या शपथ के अपराध सम्पूर्णतः प्रमाणित किये गये हैं वही अपने अधिकारियों के आंखों के तारे हैं । यदि सरकार ऐसा करेगी तो जनता न्याय के लिये किस का मुंह ताकेगी ? इस लिये ऐसे अधिकारियों के लिये कारावास दण्ड का उपबन्ध तो होना ही चाहिये । कारावास दण्ड किस मामले में दिया जाये और किसमें न दिया जाये इसे आप न्यायालय के स्वविवेक पर छोड़ सकते हैं ।

अब मैं विधेयक के खण्ड १२ के विषय में कहता हूं । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भूमि के मालिकों पर भी यह दायित्व रखा गया है कि उन की भूमि पर अवैध रूप से जो कर योग्य माल तैयार हो उस की वे सूचना दें । किन्तु यदि वह अपनी भूमि दूसरे को दे देता है तो उसे उक्त सूचना देने के लिये ज़िम्मेवार नहीं कहा जा सकता है । फिर भी इस विधेयक के खण्ड ९ के अनुसार उसे अपराधी ठहराया जायगा जो अनुचित है ।

संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों के दृष्टिकोण से भी यह ठीक नहीं है । संविधान का उद्देश्य सारे देश को एक जैसा समझना है किन्तु मुझे खेद है कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है और राज्य पृथक् पृथक् रहते हैं । जब तक विभिन्न राज्यों में वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाई गई विभिन्न प्रकार की दरें विद्यमान हैं और जब तक इसी प्रकार के अनेक प्रतिबन्ध हैं तब तक हम देश को एक नहीं कह सकते हैं । इस विधेयक के अन्तर्गत आयात निर्यात अनुज्ञप्तियों के लिये कलकत्ते वाले को वहां आवेदन करना पड़ेगा और यहां वाले को यहां इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें बड़ी असमानता है ।

इस लिये म माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर-समिति को सौंपा जाये ।

एक ओर तो माननीय मंत्री कहते हैं कि उन का इस विधेयक द्वारा कर प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है और दूसरी ओर वह यह भी कहते हैं कि वह उद्योग की सहायता करने को इच्छुक हैं । मेरा उन से यही निवेदन है कि जो भी विनियमन किया जाय वह इस प्रकार का हो जिस से कि देशवासियों को हानि न हो और जो न्याय-सिद्धान्तों के विपरीत न हो ।

सभापति महोदय : इससे पहले कि मैं दूसरे वक्ता से भाषण देने के लिये निवेदन करूं, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि श्री गिडवानी प्रवर समिति के प्रस्तावित सदस्यों की सूची में कुछ और नाम जोड़ना चाहते हैं । क्या माननीय मंत्री इस विषय में कुछ कहेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा : पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये कितना समय निश्चित है ?

सभापति महोदय : इस के लिये कोई समय सीमा नहीं है ।

डा० रामाराव (काकिनाडा): यदि माननीय मंत्री श्री बंसल के प्रवर-समिति प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो समय की काफ़ी बचत हो सकती है ।

सभापति महोदय : यह तो उन की इच्छा पर निर्भर है । तब तक के लिये आप अपना भाषण प्रारम्भ कर सकते हैं ।

डा० रामाराव : मैं श्री बंसल के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । साथ ही पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस के पक्ष में जो कुछ कहा है उस का भी मैं समर्थन करता हूं ।

औषधि निर्माण उद्योग के सामने अनेक कठिनाइयां होते हुये भी हम देखते हैं कि उस ने काफी प्रगति की है और वह टिंकचर आदि अनेक वस्तुयें ठीक प्रकार से बना रहा है । जो औषधियां हमारे यहां ठीक बनती हैं उन का विदेशों से आयात बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

मैं अपने देश की आयुर्वेदिक औषधियों के विरोध में नहीं हूं फिर भी इतना अवश्य कहूंगा कि आसव और अरिष्ट के नाम से जो अनेक मद्य बेचे जाते हैं उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि यह कार्य हमारी मद्य-निषेध नीति के प्रतिकूल है । इन शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मैं विधेयक के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । संविधान के अनुसार यह सर्वथा वांछनीय है कि मद्य-निषेध लागू किया जाये ।

हमें प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के लिये धन की आवश्यकता है और हमें इस विधेयक से इस विषय में सहायता प्राप्त होगी । साथ ही कर जांच समिति के प्रतिवेदन के अनुसार हमें इस बात से भी सतर्क रहना चाहिये कि जो लोग कर से बचने का प्रयत्न करते हैं और सरकार को धोखा देते हैं वे ऐसा न कर पायें ।

कुछ सदस्यों ने बताया है कि विधेयक में अनेक त्रुटियां है । उस के लिये तो मैं भी निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये । साथ ही देश में दवाइयों के नाम से जो मद्य की वस्तुयें बिक रही हैं उन को रोका जाय । इस विषय में राज्य सरकारों

[श्री एन० राचय्या]

तथा पुलिस प्राधिकारियों को पूर्णरूपेण जागरूक रहना चाहिये। यदि वे अपना काम ठीक तौर से नहीं करते हैं तो इस का यह अर्थ तो नहीं है कि हम यहां विधेयक पारित करना ही बन्द कर दें।

हम देख रहे हैं कि मद्य-निषेध नीति का जनता में बहुत स्वागत किया जा रहा है। बम्बई में मद्य-निषेध बहुत सफल हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री एस० एन० अग्रवाल के सभापतित्व में सरकार ने सारे देश में मद्य-निषेध लागू करने के हेतु एक समिति बनाई है। मैं एक बार पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री सहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : इस विधेयक का हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें इस की त्रुटियां का अधिक हाल मालूम होता है। उदाहरणों के लिये इस विधेयक में तीन प्रकार के उत्पादन शुल्क अधिकारियों का उल्लेख है। खण्ड ९, १० और १५ में उन का उपबन्ध है। संविधान में यह दिया है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को २४ घंटे के भीतर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये और ये उपबन्ध उस के विपरीत हैं। इसी प्रकार ये दण्ड प्रक्रिया संहिता के भी विरुद्ध हैं। ऐसी छोटी छोटी अनेक भूलें इस विधेयक में रह गई हैं जिनका सुधार तभी हो सकता है जब कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये।

हमारे यहां विधेयक इतनी शीघ्रता से बनाये जा रहे हैं कि उन में वैधिक त्रुटियां होना स्वाभाविक सा हो गया है और उन्हें प्रवर समिति को सौंपे बिना सुधारना सम्भव नहीं है। यदि हम ऐसा न करें तो सभा का बहुत समय नष्ट हो जाये।

जैसा श्री धुलेकर ने बताया है कि अनेक औषधियों में मद्य की मात्रा प्रधानतः रहती हैं और अनेक में गौणतः अतः जब तक विधेयक में ये सब बातें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक दोनों प्रकार की औषधियों को बनाने वाले गिरफ्तार किये जा सकते हैं। अभी अक्टूबर, १९५४ में उच्चतम न्यायालय ने आयकर अधिनियम के एक अंश को अवैध घोषित किया था और हमारे बनाये गये अधिनियम यदि इसी प्रकार अवैध घोषित किये जाते रहे तो इतना परिश्रम इतना समय और इतना धन व्यर्थ ही चला जाता है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरे कथन पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री ए० सी० गुहा : यदि मुझे अनुमति दी जाय तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि यहां जो चर्चा हो रही है वह किसी भ्रम के कारण हो रही है। इस विधेयक में जो शब्द और जो वाक्यांश दिये गये हैं वे वर्तमान विधेयकों विशेषतः केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिनियम, नमक अधिनियम और समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम से लिये गये हैं। हम ने न्यायशास्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है और न हम मानवता के विरोधी हैं। मैं यह बातें बाद में बता सकता था किन्तु इस भ्रम के निवारण हेतु मैं ने इन्हें यह बता देना ठीक समझा है।

श्री नंद लाल शर्मा (सीकर) :

तद्दिव्यमय्ययं धाम
सारस्वतमुपास्महे।
यत्प्रसादात्प्रलीयन्ते
मोहान्धतमश्छटाः॥

सभापति महोदय....

श्री धुसिया (ज़िला बस्ती—मध्यपूर्व व ज़िला गोरखपुर पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या यहां संस्कृत बोली

जा सकती है ?

सभापति महोदय: मुझे माननीय सदस्यों से इतनी सहनशीलता की तो आशा है कि वे इसे सुन लें ।

श्री नंद लल शर्मा: मैं सभापति महोदय का उस सहायता के लिये जो उन्होंने प्रदान की है, धन्यवाद करता हूं ।

विधेयक औषधियों और स्नान आदि की सामग्री के सम्बन्ध में है जसा कि उद्देश्यों, आबजैक्ट्स ऐंड रीजंज़ में बताया गया है । मैं समझता हूं कि यह हमारे साम्यवादी भाइयों को स्वीकार होना चाहिये क्योंकि इसका पहला उद्देश्य साम्यवाद की समता को लाना और समस्त भारत में उत्पादन शुल्क की समान दरों और उनके समान प्रोसीजर को लागू करना है । यह शब्द हैं, और इन का अर्थ इतना ही है कि देश में जहां जो करभेद हैं वे दूर हों और सारे भारत में एक ही रेट्स हों । यह उद्देश्य तो इस बिल की तालिका में दिये गये हैं । लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से इस बिल के अन्दर जो पैरे हैं और वे बीसियों हैं और इन में से कुछ को पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यह बिल प्रोहीबीशन या मद्य निषेध लागू करने के लिये बनाया गया है, और उस मद्य निषेध के अनुसार शैड्यूल के अन्दर जितनी भी टायलैट् प्रैप्रेशंज़, मैडिसन्नल प्रैप्रैशंज़, आयुर्वेदिक प्रैप्रेशंज़ और दूसरी प्रैप्रेशंज़ हैं उनका विवरण दिया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि मद्यनिषेध इसका उद्देश्य है और जैसा कि हमारे कान्स्टीट्यूशन में हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है और यदि हमारी सरकार उस नीति का स्वागत करती है तो उसके लिये १७-८-० पर गैलन और तीन रुपये पर गैलन इत्यादि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । उसके लिये तो ऊंचे से ऊंचे रेट पर कर लगायें कोई भी विरोध नहीं करेगा और यदि इसके ऊपर शीघ्र प्रतिबन्ध लगाया जाये तो उचित होगा, इन ड्यटीज़ के लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं रहेगा ।

एक बात मैं इसके शेड्यूल के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे मित्र श्री रामा राव ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों के नाम से कई मादक पदार्थ जो हैं उनको कहीं छूट न मिल जाय । यदि वे चाहते हैं कि वे औषधियां जिन में मादक पदार्थ इस्तेमाल किये जाने ज़रूरी होते हैं आयुर्वेदिक विधियों के. अनुसार उन औषधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये यह आयुर्वेदिक पद्धति से अनभिज्ञता सिद्ध करता है, इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और ऐसा करना आयुर्वेदिक सिस्टम के ऊपर एक बहुत भारी आघात करना होगा इसलिये उसका मैं सिद्धान्त रूप में विरोध करता हूं ।

दूसरी बात मैं इस बिल की बनावट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । अभी श्री सिंहासन सिंह जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, कि यह परस्पर विरोधी तमः प्रकाशवृद्धि रुद्धरचमावयोः पदार्थों से परिपूर्ण है । एक धारा का विरोध करने वाली यहां पर अनेक धारायें हैं । आप धारा ९ और धारा १० को देखिये जो पावर टू एरेस्ट और पावर टू सम्मन के बारे में है । अभी यहां पर बतलाया गया कि वे दो भिन्न अफसर हो सकते हैं परन्तु यह भी हो सकता है कि एक ही अफसर हो । इसके आगे यह निश्चित नहीं किया गया कि वह ट्रायल कोर्ट दूसरी कौनसी होगी । क्या वही एक मात्र अफसर जो एरेस्ट करता है क्या वही अफसर होगा जो सम्मन जारी कर सकेगा और उसी को निर्णय देने का अधिकार होगा अथवा वह आदमी किसी और कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जायगा । इसका निश्चय इस बिल में नहीं किया गया है । इसके साथ साथ जैसे श्री भार्गव जी ने

[श्री नंद लाल शर्मा]

अभी विशद रूप से इसका वर्णन किया है कि हमारे मूल अधिकारों के ऊपर यह एक बहुत भारी घात है किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता छीन लेने की, उसकी सम्पत्ति पर अधिकार कर लेने की, और वैसे भी उसे कई प्रकार से कष्ट पहुंचाने की सम्भावना हो सकती है। कहा जाता है कि धारा ९ और १० के विरोध में या उनके ऊपर ब्रेक लगाने के लिये हमने यहां सेक्शन १७ रखा है। किन्तु यहां पर भी हमको यह निश्चित नहीं हुआ कि बर्डन आफ प्रूफ किसके ऊपर है। जिस व्यक्ति को निरपराध पकड़ लिया गया है उसको अपनी निरपराधिता सिद्ध करनी होगी जो कि जूरिसप्रडेंस के सिद्धान्त के विरुद्ध है। वस्तुतः हर एक व्यक्ति को न्याय निरपराध मानता है जब तक कि उसके विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध न हो जाये। अब ऐसी परिस्थिति में उसको एक व्यक्ति ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको स्वयं अपनी निरपराधता सिद्ध करनी होगी, उस अफसर के विरुद्ध। फिर यदि वह अपराधी सिद्ध नहीं हुआ और बच गया तो उस पुलिस अफसर की बोनाफाइडीज़ या मेलाफाइडीज़ को सिद्ध करने का बर्डन उस आदमी पर आवेगा या उस अफसर पर अपने को निरपराध सिद्ध करने का बर्डन आवेगा यह यहां पर निश्चित नहीं है। इधर सेक्शन २० में "वादों का सीमन और परिसीमन और अन्य कानूनी कार्यवाहियां" दिया गया है, जिसके अनुसार उस व्यक्ति के विरुद्ध जो गुड फेथ में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो कोई प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। अब वह गुड फेथ के प्रोसीडिंग का बर्डन किसके ऊपर है, उस व्यक्ति के ऊपर जिसने अपना कर्तव्य पालन किया या उस व्यक्ति के ऊपर जो कि निरपराध सिद्ध हो चुका है और अपने को दुःख दिये जाने के कारण जिसने सूट दायर किया है ?

हमारे माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि जो वास्तविक कानून है उसी में से यह टुकड़े उठा उठा कर यहां रखे हैं। लेकिन यह न हो कि "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा"। जो सामग्री कहीं से उठा कर यहां रख दी गयी है वह यहां ठीक बैठती है या नहीं इसका कुछ निश्चय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं इसे प्रवर समिति को दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री सी० अर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : मुझे इस विधेयक का समर्थन करने में बहुत खुशी होती है किन्तु माननीय सदस्यों ने इस की त्रुटियों के विषय में जो कुछ कहा है उस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। विशेषतः खण्ड ९ अत्यन्त आपत्तिजनक है जिसमें उत्पादन-शुल्क अफसर को आवश्यकता से अधिक शक्ति दे दी गई है। ऐसे उपबन्ध से जनता में असन्तोष फैल जायगा। वह यदि कोई गलती भी करे और अनुचित रूप से किसी को गिरफ्तार करवा दे तो उस का दण्ड केवल २,००० रुपये रखा गया है।

दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति, कोई झूठी सूचना देता है तो उसके लिये दो वर्ष का दण्ड निर्धारित किया गया है परन्तु उस से सम्बन्धित पदाधिकारी के लिये २,००० रुपये का दण्ड निर्धारित है। मेरे विचार से यदि पदाधिकारी को ज्ञात हो कि झूठी सूचना है तथा झूठी सूचना के आधार पर ही वह कार्य करता है तो इस कारण यह दण्ड थोड़ा है क्योंकि यह भी उतना ही गम्भीर विषय है। उसमें दिया हुआ है कि :

> "बिना कारण के तथा अनावश्यक रीति से, किसी व्यक्ति को, रोकना है, तलाशी लेता है अथवा गिरफ्तार

करता है;"

परन्तु उसके लिये दण्ड केवल २,०००रुपये ही है जबकि दूसरे व्यक्ति को कारावास में डाल दिया जाता है। हमें इसके इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

इस विधि को लागू करने में अन्य बहुत सी कठिनाइयां हैं। बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं जिन में रासायनिक प्रक्रिया के परिणामस्वरुप मद्यसार का उत्पादन होता है। इस प्रकार की औषधि के निर्माण के लिये अनुज्ञप्ति लेनी होगी। अनुज्ञप्ति लेने पर उन्हें सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। मेरे विचार से यदि यह कार्य किसी उच्च पदाधिकारी को न सौंपा गया तो वह आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में बाधा पहुंचा सकता है। इसलिये हमें यह भी निश्चित करना है कि अनुज्ञप्तियां प्रदान करने के अधिकार किस पदाधिकारी को दिये जायें अन्यथा आयुर्वेदिक औषधियों पर इसका बुरा प्रभाव होगा। यह कहा जा सकता है कि कुछ राज्यों में अनुज्ञप्ति देने की निर्धारित पद्धति है। मैं भी यह जानता हूं परन्तु प्रश्न केवल उसको लागू करने का है। यदि थोड़े वेतन वाले पदाधिकारियों को यह अधिकार दिये गये तो यह मेरे विचार से ठीक नहीं होगा।

खंड १९ की उपधारा (२) (ii) में दिया हुआ है कि "केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नियम बना सकती है।"

(२) विशषतया तथा पहली शक्ति के मूल रूप पर बिना किसी प्रकार का अतिक्रमण किये, इस प्रकार के नियमों...

(ii) कर योग्य माल अथवा किसी अंगभूत भाग अथवा अंश अथवा धारक के निर्माण या उसकी प्रक्रिया का, उस भूमि या भूग्रहादि के अतिरिक्त जो इसके लिये अनुमोदित हों, उन अपबादों तथा ऐसी शर्तों के आधीन, जिन को लगाना केन्द्रीय सरकार उचित समझे प्रतिषेध कर सकती है।

इसलिये शब्द 'एकदम' हटा दिया जाना चाहिये।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री ने बताया था कि इस विधेयक के तीन उद्देश्य हैं। प्रथम करों की दरों को समान करना, द्वितीय मद्य निषेध नीति को लागू करने में सहायता देना तथा तीसरा माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा आज प्रातः बताये गये लक्ष्य की पूर्ति करना है।

मेरे विचार से इस विधेयक का उद्देश्य करों को समान करना है। तथा ऐसा ही उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में भी दिया गया है। मद्य निषेध नीति को लागू करने में सहायता देना इसका उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करुंगा कि वे उन उपबन्धों को प्रस्तुत करें जिनके द्वारा वह मद्य निषेध नीति को प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम औषधि निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने पर तुले हैं तभी दूसरी ओर मद्य निषेध नीति को इसके द्वारा हम हानि पहुंचा रहे हैं। इसी आधार पर हम इस विधेयक को असांविधानिक घोषित कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद ४७ तथा ३७ इस प्रकार हैं कि:

४७. "राज्य अपने लोगों को आहारपुष्टि-तल और जीवन-स्तर को ऊंचा करने तथा लोक-स्वास्थ्य के

[श्री एन० एम० लिंगम]

सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मा गा तथा विशेषतया, स्वास्थ्य के लिये हानिकर मादक पेयों तथा औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा ।"

३७. "इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी किन्तु तो भी इनमें दिये हुये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनान में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा ।"

इनके आधार पर मेरा विचार है कि हम इस विधेयक के द्वारा मद्य निषेध को प्रोत्साहन देने के स्थान पर इसका उल्टा करने को तत्पर हैं क्योंकि कुछ राज्यों द्वारा बनाये गये नियमों का इससे उल्लंघन होगा ।

इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति न प्रतिवेदन में दिया है कि "१९३७ में राज्यों में मद्य निषेध लागू करने के समय यह ज्ञात हुआ था कि मद्य पीने की लालसा की पूर्ति के लिये मद्यसार द्वारा निर्मित कई औषधियों का प्रयोग किया जाता है । इन राज्यों ने मद्यनिषेध नीति को कठोरता के साथ लागू करने के लिये इस प्रकार की औषधियों की बिक्री पर कठोर नियंत्रण की व्यवस्था की जिसके द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार म गड़बड़ी उत्पन्न हो गई ।"

अतः राज्यों ने इस प्रकार के नियत्रण के द्वारा मद्यनिषेध नीति लागू की । परन्तु जैसा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया यह देश के लाभ के लिये ठीक नहीं था ।

इसके पश्चात् अखिल भारतीय उत्पादन शुल्क परिषद् का संकल्प है :

"परन्तु इसके दुर्व्यवहार की सम्भावना होने को दृष्टि में रखते हुये यह सिफारिश की जाती है कि एक केन्द्रीय समन्वय अधिकारी उन औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री की एक समान सूची बनाये जो कि औषधीय प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कार्यों में आ सकती हो तथा जिनको रियायती मूल्य वाली सूची से पृथक् कर दिया जाये ।"

इस विधेयक में हमने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है ।

समिति के प्रतिवेदन में यह कण्डिका महत्वपूर्ण है :

"विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नीतियां होने के कारण करों, अनुज्ञप्ति फीस, सामग्री सूची के सम्बन्ध म एकरूपता के सुझाव देने तथा एक समान कोई सरल कार्य नहीं है । किसी में पूर्णतया मद्यनिषेध है, किसी राज्य में. आंशिक मद्यनिषेध है तथा किसी में मद्य निषेध है ही नहीं, तथा स्पिरिट द्वारा निर्मित सामग्री का सम्बन्ध मद्यनिषेध से अधिक है इसलिये आन्तरिक तथा अन्तर्राज्यीय गमनागमन दोनों पर प्रभाव पड़ता है । इन परिस्थितियों में हमें दो प्रकार के नियम बनाने पड़ेंगे । परन्तु संविधान के अनुच्छेद ४७ के आधार पर सभी राज्य अन्ततः मद्यनिषेध की नीति को अपनायेंगे इसलिये सभी राज्यों में लागू किये जाने के लिये एक प्रकार के नियम इसी आधार पर बनाये जाने चाहियें ।"

इसीलिये मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे बताने की कृपा करें कि इस विधेयक के द्वारा मद्यनिषेध नीति

लागू करने में किस प्रकार से सहायता मिलेगी जब कि इस विधेयक के उपबन्ध मद्यनिषेध नीति के प्रतिकूल हैं।

समिति के सम्मुख दिये गये साक्ष्य में मद्रास तथा बम्बई में मद्यनिषेध लागू करने के प्रभारी व्यक्तियों के विचार इस प्रकार है:

> "मद्रास तथा बम्बई राज्यों में मद्यनिषेध अधिनियम लागू करने वाले पदाधिकारियों ने इन वस्तुओं के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसा कहा है कि एक के पश्चात् कई वस्तुयें इस प्रकार व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई गईं तथा नियंत्रण लगने तक उनकी बिक्री बहुत अधिक रही। मद्रास में इस समिति को यह ज्ञात हुआ कि जिन वस्तुओं का अधिकाधिक दुर्व्यवहार किया गया है वह औषधि निर्माण प्रणाली के अनुसार नहीं बनाई गई थीं। बहुत अधिक मद्यसार वाली नशीली औषधियां नवीन व्यापारिक नामों से बनाई गईं तथा मद्य पीने वाले व्यक्तियों की आकांक्षा पूर्ति के लिये बाजारों में बेची गईं। तथा जब से उत्पादन-शुल्क निरीक्षकों को प्रयोगशालाओं में औषधियों में मद्यसार की मिलावट में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया गया है और उनको केवल मद्यसार को काम में लाये जाने का सुनिश्चय करने मात्र का ही भार सौंपा गया है तब से प्रमाणित औषधि-निर्माण प्रणाली के अनुसार औषधियों के बनाये जाने का सुनिश्चय करने की कोई सम्भावना नहीं रही है।"

मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि कई राज्य सरकारों के इतने त्याग के पश्चात् भी बहुत से व्यक्ति इन औषधियों तथा प्रसाधन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। मैं जानता हूं कि औषधीय वस्तुओं के स्थान पर हानिकारक विष बेचा जाता है।

इसलिये यह कहना कि इस विधेयक के द्वारा हम मद्यनिषेध को निरुत्साहित कर रहे हैं ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त इन औषधियों को बिकने देकर हम लोग स्वास्थ्य पर कुठाराघात कर रहे हैं।

जहां तक राज्यों में समानता रखने का प्रश्न है यह ठीक है। परन्तु राज्यों में मद्यनिषेध नीति भी लागू करनी है तथा इसका हमारी योजना में उच्च स्थान है तथा सारी सभा का ध्यान इसी ओर आकर्षित है।

इसीलिये मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें तथा राज्यों को अनुच्छेद २७७ के अधीन कर इकट्ठा करने दें, तथा मद्यनिषेध जांच समिति के अनुभवों के आधार पर, इस पर पुनर्विलोकन करें। मेरा सुझाव यह भी है कि इस विधेयक को, माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

यदि इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो इसके द्वारा न तो मद्यनिषेध ही हो सकता है और न ही व्यापार को ही ठीक प्रकार से विकसित किया जा सकता है।

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि श्री बंसल द्वारा प्रस्तावित प्रवर समिति को सौंपा जाने का प्रस्ताव न तो मुझे ही तथा न ही सरकार को मान्य है। मेरे विचार से यह बिल्कुल ही व्यर्थ है कि एक सीमित विधेयक को जैसा कि उसके उद्देश्यों तथा कारणों में दिया हुआ है, विशेषज्ञ

[श्री ए० सी० गुहा]

समिति की अन्य सिफारिशों के आधार पर विचार किये जाने के लिये प्रवर समिति को सौंपा जाये जब कि इन सिफारिशों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों को है, केन्द्रीय सरकार को नहीं । इसलिये मेरे विचार से, जिस प्रकार की प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तावक ने प्रस्तुत किया है वह विधेयक के उपयुक्त नहीं है ।

आप स्वयं उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में देख सकते हैं कि वर्तमान विधेयक संविधान के उपबन्धों को लागू करने के लिये ही बनाया गया है । इसलिये प्रवर समिति में उसके उद्देश्यों पर ही ध्यान रखा जा सकता है । अब इसका निर्णय सभापति पर ही है ।

सभापति महोदय : सरकार की अस्वीकृति पर मेरा कार्य समाप्त हो जाता है ।

श्री ए० सी० गुहा: कभी कभी मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव अधिक कह जाते हैं । इससे पहले वाले विधेयक के समय भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था तथा मैं उनके विचा ों को समझ सकता हूं तथा उनकी सराहना करता हूं । इस शताब्दी के प्रारम्भ में हमने ली वार्नर की एक पुस्तक 'भारत के नागरिक' पढ़ी थी । इसके पश्चात इस पुस्तक का स्थान श्री एन० एन० घोष द्वारा लिखित 'ब्रिटिश शासन के लाभ' ने ले लिया । इसका नाम कुछ ऊटपटांग था ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : "भारत में इंगलैंड का कार्य" ।

श्री ए० सी० गुहा : धन्यवाद । उसमें हमें पढ़ाया गया था कि ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक यह था कि ब्रिटिश न्यायशास्त्र पद्धति में अभियोजन पर सिद्ध करने का उत्तरदायित्व रहता था, तथा जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता था उसको निर्दोष समझा जाता था । वह सुन्दर विचार था परन्तु मेरे विचार से हमने उन दिनों को बहुत पीछे छोड़ दिया जब कि वास्तविकता के साथ इन विचारों का समन्वय होता था । समय परिवर्तित हो चुका है तथा न्यायशास्त्र के विचार भी बदल चुके हैं ।

उन्होंने इस विधेयक के कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये तथा कहा कि विधेयक में ठीक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है तथा विधेयक के कुछ उपबन्धों ने संविधान के प्रारम्भिक सिद्धान्तों को ही कुचल डाला है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि वे खंड, जिनको उन्होंने न्याय के विरुद्ध तथा संविधान के विरुद्ध बताया है, वर्तमान अधिनियमों में से ही लिये गये हैं तथा उन में से कुछ अधिनियम कई वर्षों तक लागू रहे हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि ये अधिनियम बड़ी शीघ्रता से बनाये गये थे अथवा इनके द्वारा देश में गड़बड़ी उत्पन्न हो गई । मैं यह मानने को तत्पर हूं कि प्रत्येक विधि में उसी प्रकार कुछ न कुछ खराबियां होती हैं, जिस प्रकार से कि हाथ से बनाई गई वस्तुओं में होती हैं । मैं नहीं मान सकता कि इस सभा द्वारा पारित सभी विधियों में कोई कमी नहीं होगी । परन्तु अन्य विधियों की तुलना में, इस विधि की शब्दावलि भी बुरी नहीं है अथवा न्यायविरुद्ध नहीं है ।

मैं सभा को स्मरण करा देना चाहता हूं कि यह विधेयक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग का है तथा इसके कुछ उपबन्ध जिनकी ओर उनका निर्देष है केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के ही शब्द हैं जो कि कोई नवीन अधिनियम नहीं है । एक अथवा दो उपबन्ध, १८७८ के समुद्र सीमा

शुल्क अधिनियम से लिये गये हैं जो कि एक महत्वपूर्ण विधि है तथा कितने ही वर्षों से लागू है ।

उन्होंने कुछ संशोधनों की पूर्व सूचना दी है परन्तु इन संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिये वह उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय : वह आ सकते हैं ।

श्री ए० सी० गहा : मैं उनका स्वागत करूंगा ।

माननीय सदस्यों ने दूसरा प्रश्न मद्य-निषेध तथा आयुर्वेदिक औषधियों के सम्बन्ध में किया था । मेरे विचार से किसी गड़बड़ी के कारण मुझे ठीक समझा नहीं गया है । जहां तक मुझे याद है मैं ने यह शब्द कहे थे कि विधेयक को बनाते समय हमने मद्य-निषेध की नीति का भी ध्यान रखा था । मुझे यह स्मरण नहीं होता है कि मैं ने कहा था कि विधेयक का एक उद्देश्य मद्यनिषेध नीति की सहायता देना है । इसी सम्बन्ध में मैं ने एक अन्य विधेयक की ओर निर्देश किया था जिसको वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय निकट भविष्य में प्रस्तुत करेगा । मैं नहीं बता सकता कि कब तक यही विधेयक इन औषधियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में गमनागमन का नियंत्रण करेगा । इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है । इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद २६८ के उपबन्धों को लागू करके उत्पादन शुल्कों की दरों में एकरूपता स्थापित करना है । मैं ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बताया था कि किस प्रकार यह शुल्क विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है । राज्यों की सहायता से विशेषज्ञ समिति की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर किसी न किसी प्रकार की एक-रूपता स्थापित की गई है । उस के पीछे कोई वैधानिक बल नहीं है । यह केवल राज्यों के सद्विवेक तथा सहयोग मात्र पर ही आधारित है । इसीलिये हमने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है जिस से कि इस एक-रूपता को वैधानिक बल प्राप्त हो सके । मेरा यह दावा नहीं है कि इस का उद्देश्य मद्यनिषेध नीति को सहायता देना है, परन्तु तो भी हम सरकार की मद्य निषेध नीति पर भी दृष्टि रखेंगे । यदि इस विधेयक के कुछ खंडों को समुचित रीति से कार्यान्वित किया गया तो उन से मद्यनिषेध की नीति को प्रश्रय मिलेगा । यह इस बात के निर्णय पर निर्भर होगा कि किन औषधियों को पेय समझा जाता है और किन को नहीं जिस से कि विभिन्न राज्य इन औषधियों के वर्गी-करण का निर्धारण करने के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर सकें । यह मद्य निषेध नीति को अप्रत्यक्ष रुप से सहायता देना है । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एकरूपता लाना है । अतः मद्यनिषेध के दृष्टिकोण से इस विधेयक की आलोचना करना मेरे विचार से उचित नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : अपेय औषधियों को पीने से लोगों को कौन रोकता है ?

श्री ए० सी० गुहा : वह राज्य भी जहां मद्यनिषेध है ऐसा निषेध नहीं करेंगे क्योंकि वह अपेय है ।

जहां तक आयुर्वेदिक औषधियों का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि इस समय हम उन पर कोई कठोर शर्तें या निर्बन्धन नहीं लगा रहे हैं । कुछ आयुर्वेदिक औषधियों में स्वयं-जनित मद्यसार होता है और उनका प्रयोग सामान्य नशीले पेयों की भांति किया जा सकता है और इसलिये विभिन्न राज्यों में उन पर विभिन्न परिमाण में शुल्क लगाये गये हैं । सौराष्ट्र में यह शुल्क तीन रुपया प्रति गैलन है, उत्तर प्रदेश में यह ६० रुपया प्रति गैलन है, हैदराबाद में पांच रुपया प्रति

[श्री ए० सी० गुहा]

गैलन है, पश्चिम बंगाल में ३० रुपया प्रति गैलन है और मद्रास में ३५ रुपया प्रति गैलन है ।

श्री धुलेकर: मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य को यह कह कर ठीक कर दूं कि उत्तर प्रदेश में ६० रुपये का शुल्क स्वयं-जनित मद्यसार पर नहीं है । यह संजीवनियों और सुराओं पर लिया जाता है, जो सुवित की जाती हैं । यही अन्तर है ।

श्री ए० सी० गुहा: यह शब्द विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रयुक्त किया गया है । यह शुल्क विभिन्न राज्यों में तीन रुपये से लगाकर ६० रुपये तक है, हम इसे सभी जगह तीन रुपये कर रहे हैं । मेरे विचार से आयुर्वेदिक औषधियों के दृष्टिकोण से इस विधेयक में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या शुल्क की इस कमी से मद्यनिषेध को सहायता मिलेगी अथवा नहीं ?

श्री ए० सी० गुहा: यह तो एकरूपता के लिये है । इस विधेयक का यह मुख्य उद्देश्य है ।

श्री सिंहासन सिंह: क्या यह कमी मद्य निषेध में सहायक होगी ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने कहा कि उसका विनियमन एक अन्य विधेयक के द्वारा किया जायेगा और यह इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : दूसरा विधेयक आयातों तथा निर्यातों को विनियमित करता है ।

श्री ए० सी० गुहा: अन्तःराज्य गमनागमन को ।

श्री एन० एम० लिंगम : इसका मद्यसार की प्रतिशतता से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री ए० सी० गुहा: यह इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से निश्चित किया जायगा ।

कुछ सदस्यों ने नियम-निर्मात्री शक्तियों का निर्देश किया । इस सभा द्वारा पारित किये गये अनेकों विधानों में सरकार या सरकारी प्राधिकारियों द्वारा नियम बनाने की शक्ति का उपबन्ध होता है । मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि इन नियम-निर्मात्री शक्तियों के परिणामस्वरूप लोगों को असुविधा हुई है । यदि ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट प्राप्त होगी तो सरकार कोई न कोई कार्यवाही करेगी । सम्भव है कि नियम-निर्मात्री शक्ति व्यक्तिगत प्रकृति के अनुसार कार्य करे ; सम्भव है कि कुछ अफसर अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर जायें अथवा वह ऐसी बातों पर आग्रह करें जो सामाजिक न्याय की दष्टि से दोषपूर्ण हों । यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि नियम-निर्मात्री शक्तियां दी गई हैं या नहीं । यह तो मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता की द्योतक हैं । नियम-निर्मात्री शक्ति कोई नई चीज नहीं है । अतः इस की आलोचना करने में कोई सार नहीं है ।

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के पास नियम बनाने के अधिकारों के पुनरीक्षण के लिये सौंपे जाने का कोई कारण नहीं समझता । जैसा कि सरकार की नीति है, ये समस्त नियम सभा के समक्ष रखे जायेंगे और यदि कोई बात प्रतिकूल हुई तो सदस्य उन नियमों पर चर्चा कर सकते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा प्रयुक्त किये गये शब्द "व्यर्थ" पर माननीय सदस्य श्री बंसल को आपत्ति हुई है—किन्तु उनके व्यक्तित्व के विरुद्ध मेरा कोई आशय नहीं है—फिर भी मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जब उन्होंने कोई गम्भीर सुझाव देना हो तो कम-से-कम उन्हें इस विधेयक की सीमायें तो देख लेनी चाहियें। विधेयक केवल एक ही प्रयोजन के लिये है और इसके द्वारा केवल दो ही सिफारिशों की अभिपूर्ति होगी। किन्तु यदि उनकी इच्छा है कि ३१/३२ सिफारिशों को ही लाया जाये तो मैं अब भी यही कहूंगा कि यह सुझाव व्यर्थ ही है। ३१ सिफारिशों में से २० सिफारिशों की पूर्ति यदि समस्ततः नहीं तो अंशतः की जा चुकी है। अन्य १० सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारें विचार कर रही हैं। उन में से बहुत सी केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आतीं अतः प्रवर समिति उन सिफारिशों पर विचार नहीं कर सकेगी।

मुझे आशा है कि वह अपना प्रस्ताव वापस लेंगे और यह विधेयक पारित किया जायगा।

सभापति महोदय : अब हमारे सामने दोनों प्रस्ताव हैं। क्या माननीय सदस्य पहले प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखना चाहेंगे ?

श्री बंसल : यद्यपि सभी माननीय सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है और यद्यपि माननीय मंत्री ने इसे व्यर्थ कहा है, फिर भी मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री, जिसमें मद्यसार, अफीम, भांग अथवा कोई अन्य मादक औषध अथवा मादक द्रव्य हो, पर उत्पादन शुल्क लगाने तथा उसका समाहार करने का उपबन्ध कर नेवाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। खंड २ से ७ तक कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ७ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ से ७ तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : खंड ९ तथा १० में पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन हैं और वह अनुपस्थित हैं। १३ से १७ तक कोई संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ से २१ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ८ से २१ तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ९, पंक्ति ३२ में "Alcohol" ["मद्यसार"] के स्थान पर "Spirit" ["स्पिरिट"] रखा जाये।"

(२) पृष्ठ ९, पंक्ति ३३ के अन्त में "but are known as Asavas and Arishtas" ["किन्तु जिन्हें आसव तथा अरिष्ट कहते हैं"] जोड़ दिया जाये।

(३) पृष्ठ ९ में ३४ से ३६ तक की पंक्तियां हटा दी जायें।

अनुसूची में ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों पर उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जा सकता

[श्री एस० सी० सामन्त]

जिन्हें मद्य के रूप में प्रयोग न किया जा सकता हो। और, वास्तव में, यह कोई मद्य-सार भी नहीं होते। अतः माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करें।

दूसरे संशोधन से यदि यह और जोड़ दिया जाये तो खंड अधिक स्पष्ट हो जायगा। और आसवों तथा अरिष्टों पर कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा।

तीसरे संशोधन से मेरा अभिप्राय यह है कि जो शब्द इस समय वहां पर प्रयुक्त हुये हैं उन्हें हटा दिया जाये और मद्यसार वाली आयुर्वेदिक औषधियों पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिये 'स्वयं उत्पादित-मद्य-सार' के स्थान पर 'निकाले गये मद्यसार वाली औषधियां' आदिष्ट किया जाये। इससे मेरा आशय यह है कि जो आयुर्वेदिक औषधियां मद्यसार वाली नहीं हैं उन पर उत्पादन शुल्क न लगाया जाये। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री मेरे संशोधन ३ के स्थान पर इसे स्वीकार करेंगे।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुये।

श्री धुलेकर : मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं।

आयुर्वेदिक औषधियां जिनमें मद्यसार रहता है और जिन्हें खींच कर निकाल कर तैयार किया जाता है वह प्रथम श्रेणी में आती हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें उत्पादन शुल्क से विमुक्ति दी जाये—किन्तु यह बात बिल्कुल गलत है कि आसवों तथा अरिष्टों को मद्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब तक हम ने किसी ऐसी घटना को नहीं सुना कि आसव तथा अरिष्ट के प्रयोग पर बम्बई अथवा मद्रास में कोई अभियोग चला हो। यदि माननीय मंत्री ही किसी घटना के बारे में बता सकें तो मैं उनको हार्दिक धन्यवाद दूंगा। मेरे पूछने का कारण यह है, कि चूंकि इन आसवों में कुछ ऐसी चीजें डाल दी जाती हैं जिस से फिर इन्हें अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि आप दो औंस से अधिक द्राक्षासव पी लें तो निश्चित रूप से उसे अतिसार रोग हो जायगा। कहने का आशय यह है कि इस प्रकार के आसवों को मदिरा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अरिष्टों को भी मदिरा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिये आप द्राक्षासव आदि को मदिरा की श्रेणी में नहीं रख सकते।

डा० एम० एम० दास : यह भी एक प्रकार से लाल मदिरा के समान होता है और इसे पिया जा सकता है।

श्री धुलेकर : कम-से-कम मैं ने तो ऐसा नहीं देखा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आपको मद्यसार का कोई अंश निर्धारित करना चाहिये ताकि आप इसे मदिरा कह सकें। और उत्पादन-शुल्क अधिकारी प्रत्येक आसव तथा अरिष्ट को मदिरा न कहें। सरकार को चाहिये कि वह इस बात का निश्चय करे कि १० अथवा १२ प्रतिशत मद्यसार वाले आसव को मदिरा समझा जायेगा—अन्यथा इस सम्बन्ध में बहुत कठिनाइयां होंगी। यदि कोई व्यक्ति २ प्रतिशत मद्यसार वाले आसव को भी पी लेगा तो अधिकारी उसे पकड़ सकेंगे—इस लिये इस अभिव्यक्ति में यह बड़ी कमी रह जायगी। मैं यह नहीं कहता कि आप इस पर कोई शुल्क न लगायें। किन्तु मैं तो यह कह रहा हूं कि यदि मद्यसार का अंश निर्धारित न किया गया तो भ्रष्टाचार के द्वार खुल जायेंगे। वैद्यों से घूस ली जाने लगेगी और

यह बात कि उसका चालान किया जाये अथवा नहीं अधिकारी के स्वविवेक पर रहेगी ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

यद्यपि माननीय मंत्री श्री बंसल को उनका प्रस्ताव वापस लेने पर तैयार भी करें फिर भी उन्हें इस बात के बारे में सोचना चाहिये । भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ चुका है, इस बात से और भी बढ़ेगा । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्पादन शुल्क की मात्रा से कहीं अधिक रुपया तो आपके उत्पादन-शुल्क अधिकारी घूस के रूप में खा जायेंगे ।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नियम भी बनाया जाये जिससे मद्यसार का प्रतिशत निर्धारित हो जाये । उससे कम मद्यसार वाले आसव पर शुल्क आदि न लगे ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : मैं ने श्री धुलेकर के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है । यद्यपि मैं इस बात को नहीं मानता कि द्राक्षासव आदि के अधिक प्रयोग से अतिसार हो जाता है---क्योंकि वैद्य इस आसव को उदर की खराबियों के दूर करने के लिये ही देते हैं, फिर भी मैं उनके साथ सहमत हूं कि इन आसवों को लाल मदिरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें बहुत थोड़ा मद्यसार रहता है और वह भी स्वतः जोश देकर बनता है । इसलिये यदि आप भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं तो अवश्य ही मद्यसार का अंश निश्चित कर दिया जाये और उन्हीं पर उत्पादन शुल्क लगाया जाये । अतः मैं श्री धुलेकर का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री ए० सी० गुहा : जैसा कि मैं ने कहा है, आयुर्वेदिक औषधियों की स्थिति जैसी कि इस विधेयक में उपबन्धित है वर्तमान स्थिति से कभी बुरी न होगी । इसके विपरीत मैं समझता हूं कि स्थिति अच्छी ही हो जायेगी ।

मैं इन पेय तथा अपेय औषधों के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखने का दावा नहीं कर सकता किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को माना है और इस उपबन्ध में भी उन्हें ही स्वीकार किया है ।

जहां तक श्री धुलेकर ने कहा है, मैं उनके सुझाव से सहमत हूं और जब नियम बनाये जायेंगे तो इन बातों का ध्यान रखा जायेगा । जब नियम बना लिये जायेंगे तो यदि वह समझेंगे कि किन्हीं नियमों में सुधार किये जाने की आवश्यकता है तो निश्चय ही हम उन पर विचार करेंगे । मुझे आशा है कि अब उनके हृदय में इस सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं रहेगी । हम उन्हें यह आश्वासन दे सकते हैं कि नियम बनाते समय उनकी बातों पर ध्यान रखा जायेगा ।

उन्होंने हमारे अधिकारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी कुछ कहा है । यदि हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि हमारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं तो निस्सन्देह हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते । यह सच है कि कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं परन्तु मैं समझता हूं कि अधिकतर हमारे कर्मचारी ईमानदार हैं और अब उनमें यथापूर्व भ्रष्टाचार की आदत नहीं है । यदि हमारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो केवल आयुर्वेदिक में ही नहीं, वे एलोपैथी में भी कर सकते हैं । इसलिये आयुर्वेदिक को इस विधेयक के उपबन्धों से विमुक्ति देने का यह कोई तर्क नहीं है ।

श्री धुलेकर : मैं ने विमुक्ति के लिये कभी प्रार्थना नहीं की ।

श्री ए० सी० गुहा: मैं नियम बनाने के अधिकार वाली उनकी बात से सहमत हूं। यदि नियम बनाने के बाद, वह समझें कि अब भी कोई सुधार किया जाना है तो वह हमें लिख दें। हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

मुझे आशा है कि श्री एस० सी० सामन्त, अपने संशोधनों पर जोर नहीं देंगे और उन्हें वापस लेंगे और अनुसूची को जैसी कि यह विधेयक में है, पारित होने देंगे।

डा० एम० एम० दास : क्या श्री सामन्त के संशोधनों पर अब भी विचार किया जा रहा है ?

सभापति महोदय : जी हां।

श्री एस० सी० सामन्त : मुझे बड़ी प्रसन्नता होती यदि मेरे संशोधन स्वीकार किये जाते—तथापि मैं उन्हें वापस लेना चाहूंगा।

संशोधन सभा की अनुमति से, वापस लिये गये

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १—संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा आरम्भ

श्री ए० सी० गुहा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १, पंक्ति ६ में "1954" ["१९५४"] के स्थान पर "1955" ["१९५५"] रखा जाये।

[सभापति महोदय द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव रखा गया और स्वीकृत हुआ।]

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियमन सूत्र

श्री ए० सी० गुहा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

अधिनियमन सूत्र में "Fifth year" ["पांचवें वर्ष"] के स्थान पर "Sixth year" ["छटे वर्ष"] आदिष्ट किया जाये।

[सभापति महोदय द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव रखा गया और स्वीकृत हुआ।]

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री ए० सी० गुहा: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

मैं श्री बंसल की एक बात के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा जिसे मैं पहले कहना भूल गया था। वह बन्धित वस्तुशाला प्रबन्ध के बारे में है। मेरे विचार में उन्हें कुछ गलत धारणा हुई है। विधेयक में बन्धित वस्तुशाला सम्बन्धी जो उपबन्ध हैं वे अनिवार्य नहीं हैं, यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। इसका आशय यह है कि शुल्क उन्हीं राज्यों में लगाया जायगा जिनमें औषधों का भंडार बन्धित वस्तुशालाओं में किया जायगा और यदि निर्माता इस प्रकार की बन्धित वस्तुशाला चाहेगा। उदाहरण के लिये बंगाल केमिकल्ज दिल्ली में एक बन्धित वस्तुशाला रख सकते हैं। तब जो सामान दिल्ली की वस्तुशाला से निकाला जायगा उस पर दिल्ली राज्य शुल्क लगायेगा और

इसकी आय दिल्ली राज्य को जायेगी । यह आवश्यक नहीं कि एक निर्माता सारे देश में बन्धित वस्तुशालायें रखे, और वैसे इनका रखना आवश्यक भी नहीं है । केवल अभिप्राय यह है कि शुल्क उसी राज्य को प्राप्त होगा जिसमें ऐसी वस्तुशाला स्थित है । मैं ने इस बात को स्पष्ट करने का विचार किया ताकि माननीय सदस्य को आशंका न रहे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम बहुत पुराना अधिनियम है । वास्तव में, यह १८७८ में अधिनियमित किया गया था । उस समय से इसमें कतिपय संशोधन भी हुये हैं । मेरे विचार में गत वर्ष भी मुझे एक संशोधन विधेयक को लाना पड़ा था । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम इस अधिनियम को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं । किन्तु ऐसे पुनरीक्षण के होने से पूर्व जो कि अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बना दे, पर्याप्त समय लगेगा । इस समय के लिये हमने कुछ एक संशोधन करने हैं जिससे कि आपात काल के लिये उपबन्ध कर लिया जाये और इसी प्रयोजन को कर हमने इस विधेयक को पुरःस्थापित कि है ।

यह भी स्वभावतः सीमित क्षेत्र का विधेयक है । मैं समझता हूं कि मैं इस विधेयक को चार विभिन्न वर्गों में बांट सकता हूं इन विगत वर्षों में हमारे वैदेशिक व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार कतिपय प्रथाओं तथा व्यवहार का विकास हुआ है । उन प्रथाओं तथा व्यवहार को वैध समर्थन प्राप्त नहीं है । इस विधेयक से इन प्रथाओं तथा व्यवहार को वैध समर्थन प्राप्त हो सकेगा । हम कार्य रूप में जो कुछ भी कर रहे थे उसी को संविधि में रखने के लिये हम विधि तथा सभा की स्वीकृति चाहते हैं ।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में है कि तस्कर-व्यापार के नियंत्रण के लिये कुछ अतिरिक्त शक्ति प्राप्त की जाय । सभा को यह मालूम होगा कि तस्कर व्यापार बहुत बढ़ गया है । इसके पूर्व तस्कर व्यापार के लिये कोई आर्थिक प्रोत्साहन नहीं था किन्तु तत्पश्चात् कई प्रतिबन्धों, नियंत्रणों, अनुज्ञप्तियों तथा प्रतिषेधों के लागू होने के कारण तथा स्वदेशी उद्योगों के विकास एवं विभाजन के पश्चात् लम्बी भू-सीमा होने के कारण तस्कर व्यापार एक लाभप्रद प्रभेद के रूप में बहुत प्रचलित हो गया । कुछ वस्तुओं का आयात तथा निर्यात प्रतिषिद्ध है । यदि एक तस्कर-व्यापारी इन्हें भारत के अन्दर तथा भारत से बाहर ला और ले जा सके तो उसे बहुत आय हो सकती है । अब तक तस्कर व्यापार के लिये यह आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था किन्तु अब सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह कड़ी कार्यवाही करे तथा तस्कर व्यापार को रोकने के लिये अतिरिक्त शक्तियां ग्रहण करे ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत हुआ ।

[श्री ए० सी० गुहा]

इस विधेयक का तीसरा प्रयोजन सीमा के माल छुड़ाने वाले एजेण्टों का विनियमन करना है । वहां भी हमारे विदेशी व्यापार के परिवर्तनशील पहलुओं के साथ साथ कुछ प्रथायें तथा व्यवहार-प्रक्रिया विकसित हो गई हैं । हम इन चीजों को संविधि में रख कर इन्हें वैध रूप प्रदान करना चाहते हैं ।

इस विधेयक का चौथा प्रयोजन निस्सन्देह साधारण है, किन्तु प्रशासन की दृष्टि से वह भी बड़े महत्व का है । विकसित विदेशी व्यापार की जटिलताओं के साथ कुछ मामलों में सीमा शुल्क पदाधिकारियों के लिये प्रारम्भिक स्थिति में यथार्थ निर्धारण करना सम्भव नहीं हो पाता । गलत निर्धारण कर के चीजें निपटायी जा सकती हैं । जब दूसरे पक्ष के विरुद्ध गलत निर्धारण होता है तो वह सरकार अथवा राजस्व के केन्द्रीय बोर्ड में पुनर्विचार तथा अपील के लिये निवेदन करता है किन्तु जब गलत निर्धारण उसके हित में होता है तो वह अपील अथवा पुनर्विचार के लिये निवेदन नहीं करता । ऐसी स्थिति में मामले को फिर से चलाने के लिये कोई प्राधिकारी नहीं है । इस विधेयक के द्वारा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, ऐसे मामलों को भी—जिनका निर्धारण हो चुका है, मूल्य चुका दिया गया है तथा जिन्हें माल दिया गया है—को भी पुनः चला सकता है ।

संक्षेप में, ये चार बातें ही विधेयक के मुख्य लक्ष्य में आती हैं ।

प्रथाओं तथा व्यवहार का विनियमन करने वाली पहली बात, मख्यतः व्यापारियों तथा कारोबार समुदाय के लाभ के लिये है--उदाहरणतः अन्तर्कालीन शुल्क देकर माल छुड़ा लेना । इसका उपबन्ध खंड ३ में है ।

अब जहां तक पूर्ववर्ती प्रणाली का सम्बन्ध है, इससे यह अभिप्रेत है कि किसी विशेष तिथि को कोई पोत आया, किन्तु उसको माल का विवरण तथा प्रवेश का बिल इससे पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाय तथा उस बीच सारी प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली जाय जिससे कि पोत के पहुंचते ही औपचारिक कार्यवाही की प्रतीक्षा किये बिना ही माल उतार लिया जा सके । इसके लिये आवश्यक उपबन्ध खंड ७ और ८ में हैं ।

वास्तविक परीक्षण के पूर्व, शुल्क लिया जाना तथा निर्धारण भी व्यापारियों तथा कारोबारी समुदाय के लाभ के लिये ही हैं । हमने खंड ९ में एक नई चीज का उपबन्ध किया है जिससे निर्यात करने वालों को लाभ होगा ।

अल्प परिमाण में माल के मामले में, आज तक सम्बन्धित व्यक्ति को भेजे जाने के पांच दिन के अन्दर ही अपना दावा प्रस्तुत करना पड़ता था । निर्यातकर्ता के लिये, भेजे गये माल का तत्काल सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं होता है । वह निर्यात शुल्क की वापसी के लिये पांच दिन के भीतर ही दावा करने में समर्थ नहीं हो सकता । अब हम इस अवधि को बढ़ा कर तीन महीने रख रहे हैं जिससे कि अल्प परिमाण में माल के सम्बन्ध में निर्यातकर्ता अपना दावा कर सकें ।

जहां तक माल छुड़ाने वाले एजेण्टों को अनुज्ञप्तियां देने का प्रश्न है, विधेयक में रखे गये उपबन्ध कारोबारी समुदाय के लिये सहायक होंगे । वर्तमान विधि का यदि उचित निर्वचन किया जाय तो उसका अभिप्राय यह होगा कि माल छुड़ाने वाले एजेन्ट को प्रत्येक प्रेष्य (भेजे गये माल) के लिये अनुज्ञप्ति लेनी होती है । वास्तव में इस प्रकार

कार्य करना सम्भव नहीं है तथा हम अब तक इन माल छुड़ाने वाले एजेन्टों को स्थायी अनुज्ञप्ति वाले ही समझ कर बिना किसी वध प्राधिकार के कार्य करते रहे हैं। यहां हम इस बात का उपबन्ध कर रहे हैं कि माल छुड़ाने वाले एजेन्टों को अनुज्ञप्तियां दी जायें और उसे प्रत्येक प्रष्य के लिये आवेदन देने की आवश्यकता नहीं। हम अनुज्ञप्तियां स्वीकृत करने के तथा आवश्यकता होने पर उनके निरसन करने के लिये भी कुछ नियम बना रहे हैं।

हाल ही में हमारा ध्यान इन माल छुड़ाने वाले एजेन्टों के अवांछनीय कार्यों की ओर गया है। वर्तमान विधि के अधीन ऐसे अपराधोन्मुख माल छुड़ाने वाले एजेन्टों से उचित व्यवहार कर सकना सम्भव नहीं है। हम वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारत के विदेशी व्यापार के अनुसार इसे उचित रूप दे रहे हैं।

वर्तमान अधिनियम में कुछ कमियां भी हैं। हमें सीमान्त शुल्क समाहर्त्ता के द्वारा निर्धारित मामलों पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड अब मामलों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें फिर से चलाने का अधिकार ले रहा है।

इसके अलावा, कुछ वस्तुयें भारत से बाहर इस लिये निर्यात की जा सकती हैं कि उनके कुछ अंशों का पहिले किसी वस्तु के निर्माण में उपयोग हुआ होगा। हो सकता है कि यह वस्तुयें विदेशों में न बिक सकें तथा जिस व्यक्ति को माल भेजा गया हो वह इन्हें न छुड़ाये और वे वस्तुयें भारत को वापस आ जायें। तो हमारे पास निर्यातकर्ता के द्वारा निर्यात करते समय दी गई प्रत्याहृत राशि के लौटाने का कोई उपबन्ध नहीं है।

ऐसे मामलों में यह उपबन्ध बना कर हम प्रत्याहृत राशि की छूट के वापिस लेने के लिये कह सकते हैं। अन्यथा निर्यात से वापस आने पर इस वस्तु को भारत में निर्मित तथा समुद्र पार नहीं गई वस्तुओं से अधिमान्यता प्राप्त होगी।

इसके उपरान्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध तस्कर व्यापार विरोधी उपबन्ध हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई है। प्रतिदिन प्रश्न काल के दौरान वित्त पर दोनों सभाओं में विभिन्न प्रकार के तस्कर व्यापार से सम्बन्धित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह सभा इस समस्या की गम्भीरता से भली भांति परिचित है। हमने इस विधेयक में सरकार को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दिये जाने के लिये उपबन्ध किया है जो कि विधेयक के खंड १० से १५ तक उल्लिखित है। मैं कह सकता हूं कि इनमें से कुछ उपबन्धों के अनुसार अब भी कार्य किया जा रहा है। यथा एक्स-रे के सम्बन्ध में कई मामलों में हमें सम्बन्धित तस्कर व्यापारी का एक्स-रे करना पड़ता है और यदि उसने किसी बहुमूल्य धातु अथवा जवाहरातों को अपने शरीर पर लगे कपड़ों में छिपा रखा है तो हमें वे वस्तुयें वहां से बाहर निकालनी पड़ती हैं। सच बात तो यह है कि हमारे पास इन सन्दिग्ध व्यक्तियों का एक्स-रे करने का कोई वैध प्राधिकार नहीं था, किन्तु अब हमने इसे विधेयक में स्थान दिया है और हमने यह उपबन्ध किया है कि एक्स-रे केवल न्यायालय के आदेशानुसार तथा समुचित डाक्टरी अधीक्षण के अधीन ही होगा।

अब मैं इस विधेयक को सभा के माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं और आशा करता कि वे इसे पारित करने की कृपा करेंगे।

प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई घटना के बारे में वक्तव्य

सभापति महोदय : सरकार प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई एक विशेष घटना के बारे में वक्तव्य देना चाहती है । क्या सभा पंडित जी० बी० पन्त को एक वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करेगी ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां :

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) : मैं आपको तथा सभा के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने तथा सदस्यों को आज प्रातः प्रधान मंत्री की नागपुर यात्रा के दौरान हुई एक गर्हित घटना, जिसके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक सरकारी विज्ञप्ति जारी की है, के सम्बन्ध में जानकारी देने की अनुमति प्रदान की है । विज्ञप्ति इस प्रकार है :

> "आज ११-४५ मध्याह्न पूर्व एक सड़क के चौराहे पर, जब प्रधान मंत्री सोनेगांव हवाई अड्डे से नागपुर जा रहे थे, एक घटना घटी । वह एक खुली मोटर में यात्रा कर रहे थे तथा उनके अगल-बगल वहां के मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल बैठे थे । वे मोटर में खड़े थे । सड़क के दोनों ओर बड़ी भीड़ थी । एक रिक्शा वाले ने अपनी रिक्शा उनकी मोटर के सामने अड़ा दी जिसके फलस्वरूप मोटर रोक देनी पड़ी । रिक्शा वाला मोटर की ओर बढ़ा तथा पांवदान (फुट बोर्ड) पर आ कूदा । उसके हाथ में एक चाकू था । तत्काल ही राज्यपाल के सेना-सचिव तथा अन्य पुलिस अधिकारियों ने उस पर क़ाबू पा लिया । कार्यक्रम के अनुसार प्रधान मंत्री की मोटर तत्काल आगे बढ़ी तथा मुख्य मंत्री के भवन की ओर गई जहां कि प्रधान मंत्री ने विधान सभा के कुछ सदस्यों एवं अन्य लोगों की एक सभा में भाषण दिया । इस रिक्शावाले ने, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, अपना नाम बाबूराव बताया । मामले की जांच की जा रही है ।"

उक्त घटना के सम्बन्ध में अस्पष्ट समाचार फैल रहे थे, जिससे सदस्यगण तथा जनता चिन्तित थी । इसलिये मैं ने मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उल्लिखित तथ्यों को बता देना आवश्यक समझा । प्रधान मंत्री स्वस्थ तथा प्रसन्न हैं, तथा पूर्ववत् अपने व्यस्त कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं । उन्होंने इस घटना को कोई महत्व प्रदान नहीं किया । वास्तव में, वह इससे भी अधिक गम्भीर बातों का निरपेक्ष भाव से विचार करते हैं । मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ सभी सदस्य ईश्वर को धन्यवाद तथा देश को बधाई देंगे और यह प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री युग-युग तक जीवित रह कर देश को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करते रहें ।

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक--जारी

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड— ैरठ): यद्यपि यह विधेयक टेकनिकल मामलों से सम्बन्धित है तथापि इसमें तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कुछ अतिरिक्त शक्तियां दिये जाने का उपबन्ध है जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । ये शक्तियां खंड १० से १५ में उल्लिखित हैं, जिनके पढ़ने पर ज्ञात होगा कि कोई भी माल इस आधार पर छीना जा सकता है कि वह चोरी से लाया गया माल है । तब जिसके अधिकार में यह माल है वह इसका प्रमाण देगा कि यह चोरी से लाया गया माल नहीं है ।

यह बताने के लिये कि यह उपबन्ध कितना अव्यावहारिक है, मैं दो एक उदाहरण दूंगा । माना बम्बई का एक आयातकर्ता घड़ियों का एक प्रेष्य प्राप्त करता है जिस पर वह सीमा शुल्क चुका देता है । तत्पश्चात् कई व्यापारियों के हाथों होती हुई वे घड़ियां दिल्ली के एक विक्रेता के पास पहुंच जाती हैं जहां सीमा शुल्क अधिकारी उन्हें इस आधार पर छीन लेता है कि उन पर सीमा शुल्क नहीं चुकाया गया है । वह इसे कैसे सिद्ध कर सकता है । वह मूल आयातकर्ता के पास पहुंच कर यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि माल पर सीमा शुल्क चुकाया नहीं गया है । इसी प्रकार यदि सीमा शुल्क पदाधिकारी बम्बई के एक व्यापारी के यहां से ५०० तोला सोना इस आधार पर छीन लेता है कि वह चोरी से आया है, वह उसके पास पहुंचने से पूर्व कई हाथों में जा चुका होगा । वह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि उस पर सीमा शुल्क चुका दिया गया है । मैं कहता हूं कि यह सिद्ध करना असम्भव है । यदि मैं यह सिद्ध कर देता हूं कि मैं ने सामान का सारा मूल्य अदा कर दिया है पर यदि मैं यह सिद्ध नहीं कर पाता कि इस सामान पर आयात शुल्क भी अदा कर दिया गया है तो इस खण्ड के अधीन हमें मुक्त नहीं किया जायेगा । वर्तमान विधि में यह व्यवस्था है कि यदि एक सीमा शुल्क अधिकारी कुछ सोना इस आधार पर पकड़ता है कि यह तस्कर व्यापार का है तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि वह सोना चोरी छिपे ले जाया जा रहा था तभी उसे जब्त किया जा सकेगा । इसका निर्णय सीमा शुल्क प्राधिकारियों, चाहे वे सीमा शुल्क समाहर्ती हो या राजस्व का केन्द्रीय बोर्ड हो या वित्त विभाग का संयुक्त सचिव हो, पर ही निर्भर रहता है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता । यदि यह मामले न्यायालयों में लिये जायें तो सीमा शुल्क अधिकारियों को यह सिद्ध करना कठिन हो जाय कि अमुक सामान चोरी से ले जाया जा रहा था । वर्तमान विधि के अधीन सीमा शुल्क अधिकारियों को बहुत अधिकार प्राप्त हैं । कई बार केवल इस शक पर कि यह सोना चोरी से ले जाया जा रहा है उसे जब्त कर लिय गया । अब उन्हें एक और असाधारण अधिकार दिया जा रहा है जिसके कारण कुछ चीजों का व्यापार, जैसे सोने का व्यापार, असम्भव हो जायेगा ।

मैं आपको एक मामले का उदाहरण दूंगा । ४० वर्षों से सोने का व्यापार करने वाले एक व्यापारी ने ऋण लेकर ७०,००० रुपये का ७०० तोला सोना खरीदा और उसे बेच कर ऋण अदा कर दिया । सीमाशुल्क अधिकारी ने उस सोने को इस आधार पर पकड़ लिया कि वह चोरी से लाया गया सोना है । अब थोड़ा सा प्रमाण मिलने पर भी इस सोने को चोरी से लाया गया सोना सिद्ध करके उसे जब्त कर लिया जायेगा । सीमा शुल्क समाहर्ता को इतने अधिक अधिकार हैं । ऐसा होने पर भी सरकार संदेह करती ही जाती है । मैं यह कहता हूं कि यह सिद्ध करना असम्भव है कि इस सोने का आयात शुल्क अदा कर दिया गया है । मैं मानता हूं कि तस्कर व्यापार होता है पर उसका कारण प्रशासन की ढील या अन्य कारण हो सकते हैं । अतः उचित तो यह है कि प्रशासन की ढील को ठीक किया जाय । पर राज्य के राजस्व की रक्षा के लिये आप ऐसे उपबन्ध की व्यवस्था नहीं कर सकते कि व्यापार करना ही असम्भव हो जाये ।

इससे ईमानदार व्यक्तियों के लिये कोई भी व्यापार करना असम्भव हो जायेगा । मेरे पिता जी ने, मान लीजिये, आज से १० वर्ष पूर्व १०० तोला सोना खरीदा था ।

[श्री सी० सी० शाह]

सोना मेरे घर में है। सीमा शुल्क अधिकारी यह कह कर कि मुझे इसे चोरी से लाया हुआ होने का शक़ है, इस सोने को जब्त कर सकते हैं क्योंकि मैं यह कैसे सिद्ध कर सकता हूं कि इस सोने पर आयात शुल्क अदा किया जा चुका है। सीमा शुल्क अधिकारी तो केवल यह कहते हैं कि मुझे यह शक़ है। फिर उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है कि आयात शुल्क अदा कर दिया गया है। यह उपबन्ध बहुत कठोर है।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नगिरि दक्षिण) : उस व्यक्ति के पास रसीद या अन्य लेख्य होने चाहियें ताकि वह सिद्ध कर सके कि उसने उसे क्रय किया है।

श्री सी० सी० शाह: केवल इस बात का प्रमाण काफी नहीं है कि उस व्यक्ति ने उसे खरीदा है। उसे यह भी सिद्ध करना पड़ता है कि उस चीज का आयात शुल्क भी अदा कर दिया गया है। यदि हम इस विधेयक की तुलना रेलवे सामान (अवैध क़ब्जा) विधेयक के साथ करके देखेंगे तो हम पायेंगे कि यह विधेयक उसकी अपेक्षा अधिक कठोर है। उस विधेयक में न्यायालय को यह सिद्ध करना पड़ता है कि अमुक वस्तु रेलवे प्रशासन की है और फिर वह व्यक्ति भी सिद्ध कर सकता है कि उसने उसे चुराया नहीं है बल्कि खरीदा है। पर इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप के पास उसके खरीदने का प्रमाण हो बल्कि आप के पास इस बात का भी प्रमाण होना चाहिये कि उस वस्तु का आयात शुल्क भी अदा कर दिया गया है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारी और व्यापारिक समुदाय पर कई प्रकार के अनुचित कार्यों का आरोप लगाया जा सकता है, पर हमें ऐसा कोई कार्य न करना चाहिये जिससे व्यापार और वाणिज्य असम्भव हो जायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं श्री गुहा द्वारा रखे गये विधेयक के उद्देश्यों से सहमत हूं और यह भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिये। पर यह भ्रष्टाचार तब तक ठीक नहीं हो सकता, चाहे कितने ही अच्छे विनियम बनाये जायें, जब तक कि भ्रष्ट प्रशासन को ठीक नहीं किया जाता। मेरा मतलब यह नहीं है कि सीमा शुल्क विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है और अन्य पदाधिकारी बिल्कुल ईमानदार हैं।

कलकत्ता सीमा शुल्क विभाग और प्रत्याहृत सम्बन्धी विषयों के बारे में हमें कुछ सूचना मिली थी। मैं ने माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में प्रश्न भी किया था। सीमा-शुल्क नियमावली में इस बात की व्यवस्था है कि प्रत्याहृत की अनुमति है। वायुयान द्वारा लाये गये तेल के निर्यात के सामान्य विवरण के अनुसार मिलान करने पर पता चला कि १५ लाख रुपये के मूल्य के तेल में घोटाला है। एक क्लर्क ने इस घोटाले को पकड़ा था। एक बड़े पदाधिकारी ने जांच के सारे कागजात वापस मंगवा लिये, और उस क्लर्क की बदली कर दी गयी। और फिर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की सिफारिश आई कि यह १५ लाख रुपये के दावे विशे मामले के रूप में स्वीकार कर लिये जायें।

पहली अप्रैल को मैं ने माननीय मंत्री को पुनः सीमा शुल्क कार्यालय की फाइलों की संख्यायें भेजीं। मैं चाहता था कि इस सम्बन्ध में जांच की जाय। पिछले सत्र म मैं ने माननीय मंत्री को पुनः इसका स्मरण

कराया, पर मुझे लगा जैसे वह इस मामले को दबाना चाहते हैं। पर वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं थी मेरा अभिप्राय यह है कि अच्छे विनियोगों के बनाने से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक उनका पालन ठीक प्रकार न किया जाय। अतः प्रशासन की हालत सुधारना परम आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के बड़े मामलों में जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल होते हैं, पूरी जांच अवश्य होनी चाहिये। मैंने जो सूचना मंत्रालय को भेजी है उस पर मंत्रालय को पूरी जांच करनी चाहिये।

सभापति महोदय : चूंकि अभी कई लोग इस विषय पर बोलने को इच्छुक है अतः हम सभा स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, १४ मार्च, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।